



# मेरी योजना



योजनाएं / नीतियां

- जनकल्याणकारी
- स्वरोजगार / रोजगारपरक
- कौशल विकास / प्रशिक्षण
- निवेशपरक

मूलभूत सेवाये

प्रमाण पत्र



लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

पोर्टल

मेरी योजना मेरा अधिकार , अपणि सरकार जनता के द्वार

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।



मात्र प्रधानमंत्री जी का गढ़वाल मण्डल में श्री बदरीनाथ

और

कुमाऊं शहर में आदि कैलाश का भ्रमण ।

# “मेरी योजना”

“इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उददेश्य, पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल शब्दों में अवगत कराना है, जिससे पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और हमारा उत्तराखण्ड “सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड” बन सके।” प्रथम बार, इस प्रकार की पुस्तक बनाने का समग्र प्रयास किया गया है। यह पुस्तक जहां पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगी वहीं नीतिनिर्धारणकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठकों के लिए रुचिकर एवं सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के प्रति सजग बनायेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव/आपत्ति हेतु कृपया निम्न पते/ईमेल में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करण को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।”



कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

दिनांक 09 जून, 2023

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून।  
ईमेल—[sopi-1@uk.gov.in](mailto:sopi-1@uk.gov.in)

## **संरक्षण एवं निर्देशन**

श्री पुष्कर सिंह धामी— मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड, श्रीमती राधा रत्नौड़ी—अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं श्री दीपक कुमार—सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

## **सम्पादन**

श्री दीपक कुमार—सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं सुश्री रंजना—समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

## **विभागीय समन्वयन एवं नियम/अधिनियम/शासनादेशों का संकलन तथा सूची तैयार करना**

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, के अधिकारी/कार्मिक श्री एन०एस० डुंगरियाल—संयुक्त सचिव, श्री रावेन्द्र चौहान—विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती वन्दना पाटनी—विशेषकार्याधिकारी, श्री संतोष चन्द मिश्रा—पूर्व अनुभाग अधिकारी, श्री रमेश कुमार—समीक्षा अधिकारी, श्री उत्सव सेमवाल—सहायक समीक्षा अधिकारी।

## **पुस्तक प्रूफ रीडिंग**

श्री दीपक कुमार—सचिव, श्री एन०एस० डुंगरियाल—संयुक्त सचिव, श्री अनिल प्रकाश उनियाल—अनु सचिव, श्रीमती संद्या नेगी—अनुभाग अधिकारी, सुश्री रंजना—समीक्षा अधिकारी।

## **सहयोग**

समस्त विभागीय अधिकारी/कार्मिक, श्रीमती सरिता तोमर—विशेषकार्याधिकारी, सचिवालय के कतिपय वरिष्ठ अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव, मीडिया सेंटर सचिवालय, ई.आफिस टीम, एनआईसी, मा० मुख्यमंत्रीजी की मीडिया टीम।

## **कम्प्यूटर कम्पोजिंग एवं पेज डिजाइन**

सुश्री रंजना—समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार—समीक्षा अधिकारी, श्रीमती कुसुम—कम्प्यूटर सहायक, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

## **मुद्रण**

(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा मुद्रित तथा संबंधित पुस्तक आमजन हेतु डिजिटल रूप में <https://uk.gov.in> पर उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

## पुष्कर सिंह धामी



मंत्री उत्तराखण्ड

### संदेश

उत्तराखण्ड सचिवालय  
देहरादून- 248001  
सचिवालय फोन: 0135-2716262  
0135-2650433  
फैक्स: 0135-2712827  
विधान सभा फोन: 0135-2665100  
0135-2665497  
फैक्स: 0135-2666166  
Email: cm-ua@nic.in

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी, निवेशपरक, रोजगारपरक, कौशल विकास, प्रशिक्षण योजनाओं को आम जन-मानस तक सुलभता से पहुँचाये जाने के उद्देश्य से नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से भी आम जन-मानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने का अनूठा एवं अभिनव प्रयास किया गया है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग/आम जन-मानस की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार की नीतियों को जनसामान्य तक पहुँचने में अत्यन्त सुलभता होगी। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के सभी वर्गों को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न जनकल्याणकारी, विकासपरक योजनाओं एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी आशा है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं का लाभ आम जन-मानस को पहुँचाये जाने के उद्देश्य से प्रकाशित होने वाली पुस्तक एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना एक सकारात्मक पहल के साथ ही मील का पत्थर साबित होगी। इस पुस्तक के प्रकाशन से विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी एवं निवेशपरक योजनाओं की जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध होने एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होने पर निःसंदेह यह भविष्य के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड का यह प्रथम प्रयास है, इसके लिए इस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं।

मेरी ओर से पुस्तक के सफल प्रकाशन एवं इस महत्वपूर्ण जानकारियों को आम जन-मानस तक डिजिटल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।

(पुष्कर सिंह धामी)

डॉ सुखबीर सिंह सन्धु  
Dr. Sukhbir Singh Sandhu



### संदेश

यह हर्ष का विषय है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित, जनकल्पणकारी, रोजगारपरक योजनाओं का समावेश करते हुए आम जनमानस तक सुलभता से पहुंचाये जाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तक को आम जनमानस तक सुलभता से पहुंचाये जाने के लिए डिजिटल माध्यम से भी पृथक से उपलब्ध किया जा रहा है।

ऐसा विश्वास है कि कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी राज्य के अंतिम गांव के व्यक्ति तक पहुंचाये जाने में सहायक सिद्ध होगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

  
(डॉ सुखबीर सिंह सन्धु)  
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
Government of Uttarakhand  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन  
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan  
राज्य सचिवालय, देहरादून  
Civil Secretariat, Dehradun  
Phone (Off.) 0135-2712100, 2712200  
(Fax) 0135-2712500  
E-mail : cs-uttarakhand@nic.in  
chiefsecyuk@gmail.com

राधा रतौड़ी, भा.प्र.से.  
अपर मुख्य सचिव



उत्तराखण्ड शासन  
गृह एवं कारागार विभाग  
4 सुमाष मार्ग, देहरादून-248001  
दूसरा : 0135-2712055,  
फैक्स : 0135-2712014


दिनांक—22.11.2023

### संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य सरकार के अन्तर्गत राज्य के विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी संकलित कर जनोपयोगी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाएं जाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। कार्यक्रम कियान्वयन विभाग प्रकाशित होने वाली पुस्तक को डिजिटल रूप में भी उपलब्ध करा रहा है जिससे राज्य में निवासरत युवा ही नहीं बल्कि अप्रवासी युवा भी लाभान्वित होंगे।

मुझे आशा है कि पुस्तक के प्रकाशन से राज्य के सभी वर्ग के जनमानस जिनको सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन्हें सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो पाएगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु कार्यक्रम कियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।

  
(राधा रतौड़ी)  
अपर मुख्य सचिव

दीपक कुमार,  
सचिव



उत्तराखण्ड शासन।  
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,  
4 सुभाष मार्ग,  
देहरादून—248001  
दूरभाष : 0135—2664127

#### प्रस्तावना एवं आभार

प्रदेश के यशस्वी मा० मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी, जी द्वारा उत्तराखण्ड शासन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में सचिव पद का दायित्व दिये जाने से मुझे प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे लिए एक और यह सौभाग्य की बात थीं लेकिन दूसरी ओर मेरे सम्मुख मा० मुख्यमंत्री जी, मा० मंत्रीगणों, मा० विधायकगणों के अतिरिक्त प्रदेश के मुखिया के रूप में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, ३०० सुखवीर सिंह सन्धु अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, श्रीमती राधा रतूड़ी जी के साथ—साथ विभिन्न विभागीय सचिवगणों के सहयोग से कार्य करते हुए राज्य सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी थीं। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का गठन वर्ष 2009 में होने के फलस्वरूप तत्समय समय की आवश्यकतानुरूप तीन शासनादेश निर्गत होने के साथ हुई थीं, तब से अब तक विभागान्तर्गत गतिविधियों को मूर्त रूप देना भी मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मेरे द्वारा विभागीय गतिविधियों को आमजनमानस तक पहुंचाये जाने और मा० मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया गया। इस कड़ी में मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ अपने अधीनस्थ एक सुयोग्य अधिकारियों/कार्मिकों की टीम का गठन किया गया जिसमें सचिवालय प्रशासन विभाग के मुखिया के रूप में अपर मुख्य सचिव महोदया, श्रीमती राधा रतूड़ी जी का मुझे भरपूर सहयोग और सानिध्य प्राप्त हुआ।

अपने अधिकारियों/कार्मिकों के साथ विभागीय गतिविधियों को प्रकाशित किये जाने के लिए राज्य सरकार की नीतियों को आमजनमानस तक किस तरह से पहुंचाया जाये इस बात पर मंथन/विचार विमर्श किया गया और परिणामस्वरूप निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा आमजनमानस को प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं, जिनका ज्ञान अभी जनता को नहीं है अथवा कम है, की जानकारी एक ही थींम के अन्तर्गत संकलित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाये।

मुझे यह भी महसूस हुआ कि चूंकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के फलस्वरूप भी कठियपय कारणों से आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं और वर्तमान में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव का दायित्व एवं विभिन्न बैठकों में मा० मुख्यमंत्री जी के प्रशासनिक नेतृत्व से मेरा परिचय हुआ और उनकी प्राथमिकताओं को निकटता से परखने और समझने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में “सरकार जनता के द्वार” कार्यक्रम के संचालित होने के फलस्वरूप आशातीत परिणामों को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि जनता के बीच जाकर सरकार द्वारा विभिन्न संचालित योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करें, परन्तु इसमें यह समस्या महसूस की गई कि किसी भी अधिकारी को विभिन्न विभागों की जानकारी कैसे हो सकती है? क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी विभाग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए उसकी जानकारी अपने विभाग की योजनाओं तक सीमित रहती है और समस्त जानकारियों के अभाव में किस तरह से जनपद, विकास खण्ड स्तर पर वह सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर सकता है और मुझे महसूस हुआ की मा० जनप्रतिनिधियों के सम्मुख भी यह समस्या आती होगी। इसी के दृष्टिगत सरकार के विभिन्न विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पुस्तक के तौर पर प्रकाशित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी कम में ०९ जून, २०२३ को मा० मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के बाद सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विभागों की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और युवाओं के लिए रोजगारपरक सम्बन्धी योजनाओं को आमजनमानस


तक पहुंचाया जाने के लिए कार्ययोजना पर कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया और इसी कड़ी में पुस्तक को प्रकाशित करने के रूप में माठ मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को सरल भाषा में संकलित किया जाये जिससे प्रदेश के आम जनमानस (जिसमें प्रदेश के युवावर्ग विशेष रूप से लाभान्वित हो सके) को वर्तमान में संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी, आवेदन कहां और कैसे किया जाये?, योजनाओं की पात्रता क्या है? चयन प्रक्रिया क्या है? आवेदन हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? इत्यादि की जानकारी को सुलभता से समझाने का प्रयास किया गया है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं युवाओं के भविष्य के लिए यह पुस्तक भील का पथर साबित होगी।

पुस्तक के प्रकाशन में योजनाओं से संबंधित शासनादेशों, नीतियों, दिशानिर्देशों, अधिनियमों आदि दस्तावेजों की आवश्यकता थीं और इन दस्तावेजों के संकलन में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा यथावश्यक कार्मिकों की तैनाती / मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, श्रीमती राधा रत्नांजली जी का मार्गदर्शन एवं सहयोग सदैव मिलता रहा और उनके सहयोग से ही इस पुस्तक का प्रकाशन किये जाने में सफलता प्राप्त हो पाई।

कार्यक्रम कियान्वयन विभाग के सुयोग्य अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा समस्त विभागों से ग्राप्त दस्तावेजों का अध्ययन कर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रूपरेखा के बनाये दिना कार्य वास्तव में चुनौतीपूर्ण था तथापि सभी अधिकारियों के अधक परिश्रम और प्रयास से इस पुस्तक को मूर्त रूप दिये जाने में मैं सफल हो पाया हूं। इस हेतु कार्यक्रम कियान्वयन विभाग में कार्यरत सुश्री रंजना,

समीक्षा अधिकारी का भरपूर योगदान प्राप्त हुआ। विभागीय अधिकारियों के अधक प्रयास और कड़ी लगन के द्वारा पुस्तक का प्रकाशन सम्बन्ध नहीं था और इसी कड़ी में पूर्व अपर सचिव, स्व० वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री नन्दन सिंह डुंगरियाल, संयुक्त सचिव, श्री अनिल प्रकाश उनियाल, अनु सचिव, (श्री संतोष चन्द्र मिश्रा पूर्व अनुमान अधिकारी), श्रीमती संध्या नेगी (वर्तमान अनुमान अधिकारी), श्री नारायण सिंह राणा, श्री रमेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, श्री उत्सव सेमवाल, सहायक समीक्षा अधिकारी, श्रीमती कुमुम, कम्प्यूटर सहायक, के साथ ही विशेष कार्याधिकारी के रूप में सहयोगी एवं मार्गदर्शक के रूप में श्री ललित मोहन आर्य, श्री आर० के० चौहान, श्री संजीव कुमार शर्मा, डॉ० शैलेष कुमार पंत, श्री घर्मन्द पवाल, श्रीमती वंदना पाटनी और श्रीमती सरिता तोमर के द्वारा किये गये परिश्रम की प्रशंसा के साथ ही इनके द्वारा प्रदत्त अधक प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के शासन स्तर पर विभिन्न पदों पर सुशोभित उच्चाधिकारियों, विभिन्न विभागाध्यक्षों जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों/शासनादेशों/आदेशों/नियमों/ अधिनियमों/नीतियों/ योजनाओं का संकलन, संबंधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आभार व्यक्त करता हूं साथ ही मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे प्रदेश के यशस्वी माठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुस्तक को मूर्त रूप दिये जाने में अभिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु भरपूर योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।



(दीपक कुमार)  
सचिव

## अनुक्रमणिका

क्र.	राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, निगम, संगठनों के नाम	जन कल्याणकारी, स्वरोजगार / रोजगारपरक, कौशल विकास / प्रशिक्षणपरक, योजनाओं / कार्यकमों, निवेशपरक नीतियों तथा मूलभूत सेवाओं का नाम एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग होने वाले प्रमाण पत्रों के नाम।	पृष्ठ संख्या
1.	<u>समाज कल्याण विभाग</u>	1. वृद्धावस्था पेंशन 2. निराश्रित विधवा पेंशन 3. दिव्यांग पेंशन 4. तीलू रौतेली पेंशन योजना 5. बोना पेंशन योजना 6. किसान पेंशन 7. परित्यक्ता पेंशन, 8. अनुजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना 9. निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना 10. दिव्यांग युवक / युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना 11. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (भारत सरकार द्वारा संचालित) 12. अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों को कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति 13. अनुसूचित जाति / जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति योजना 14. अनुसूचित जाति / जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति 15. पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति 16. पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति 17. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 18. राजकीय वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह का संचालन	15-21
2.	<u>सैनिक कल्याण विभाग</u>	1. पैन्यूरी ग्रान्ट 2. मेडिकल ग्रान्ट 3. विवाह हेतु अनुदान 4. शिक्षा अनुदान 5. योक्षणल ट्रैनिंग अनुदान 6. 100 प्रतिशत अशक्त बच्चों हेतु अनुदान 7. निराश्रित अनुदान 8. विशेष चिकित्सा सहायता 9. भवन निर्माण हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति 10. मोबिलिटि इक्विपमेन्ट सहायता 11. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 12. एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० में प्रवेश 13. वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी 14. विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि 15. उत्तराखण्ड शहीद कोष अनुदान 16. आवासीय सहायता अनुदान 17. स्टाम्प ड्यूटी में छूट 18. इंजिनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति 19. निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण 20. निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।	22-30
3.	<u>महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग</u>	(1) समेकित बाल विकास सेवायें (आई०सी०डी०एस०), (2) किशोरी बालिका योजना, 3. मिशन शक्ति योजनान्तर्गत वन स्टॉप सेंटर, (4) मिशन शक्ति योजना—सामर्थ्य के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, (5) सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास), (6) नंदा गौरा योजना, (7) मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, (8) मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, (9) मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, (10) मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, (11) तीलू रौतेली पुरस्कार, (12) सैनेटरी नैपकिन योजना, (13) आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष, (14) राष्ट्रीय महिला हैल्पलाईन 181	31-36
4.	<u>महिला कल्याण विभाग</u>	(1) स्पॉसरशिप योजना(90 प्रतिशत के०प००), (2) अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण, का लाभ प्राप्त करने के लिए अनाथ प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (3) राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया। (4) शासकीय बाल देखरेख संस्थान (5) दत्तक बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया।	37-40
5.	<u>अल्पसंख्यक विभाग</u>	(1) स्वरोजगार योजना “अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु”, (2) मुख्यमंत्री हुनर योजना, (3) मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस फाउन्डेशन योजना, (4) अल्पसंख्यक पोर्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100प्रति.के.प०), (5) अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना (100प्रति.के.प०), (6) अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत प्रति रा०प००), (7) अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (8) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना (9) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना।	41-47
6.	<u>श्रम विभाग</u>	(1) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया, (2) (असंगठित कामगारों का एकीकृत नेशनल डेटा बेस)प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंन योजना (PM-SYM), (3) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)	48-50
7.	<u>उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)</u>	(1) श्रमिक कार्ड एवं श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण, (2) पुत्र / पुत्री शिक्षा सहायता (3) टूल-किट सहायता (4) साईकिल / सिलाई मशीन सहायता (5) सौर उर्जा सहायता (6) छाता सहायता (7) सैनेट्री नैपकिन (8) शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता (02 किश्तों में), (9) भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु, (10) प्रसूति आर्थिक सहायता, (11) पुत्री विवाह आर्थिक सहायता, (12) निःशक्ता पेंशन, (13) वृद्धा पेंशन (60 वर्ष पूर्ण होने पर), (14) वृद्धा पेंशन (65 वर्ष पूर्ण होने पर), (15) कुटुम्ब पेंशन, (16) मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता।	51-56

8.	<u><a href="#">खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग</a></u>	(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना—गुलाबी राशन कार्ड), (2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार—सफेद राशन कार्ड), (3) राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड) (4) मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना, (5) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ।	57–61
9.	<u><a href="#">गृह (पुलिस) विभाग</a></u>	(1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनकी विधवाओं की मासिक/पारिवारिक पेंशन, (2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराखिकारियों को सम्मिलित रूप से अनुमत्य “सम्मान पेंशन” की योजना, (3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा, (4) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की पेंशन, (5) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन योजना, (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों (पति/पत्नी) को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात् पेंशन दिये जाने की योजना, (7) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शायाग्रस्त (ठमकतपकमद) हुए राज्य आन्दोलनकारियों की विशेष सम्मान पेंशन योजना, (8) आपातकालीन अवधि (दिनांक—25.06.1975 से दिनांक—21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की ‘लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन’ योजना, (9) आपातकालीन अवधि (दिनांक—25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को ‘लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन’ योजना।	62–65
10.	<u><a href="#">न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)</a></u>	1. विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना 2. बहुउद्देशीय शिविरों/जनजागरूकता शिविर/चिकित्सा शिविरों/विधिक सेवा शिविरों का आयोजन 3. विशेष अभियान – “हमदर्द” 4. “उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तराखण्ड महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020” 5. “विधिक सेवा रथ” का संचालन/कार्यान्वयन।	66–70
11.	<u><a href="#">बेसिक शिक्षा विभाग</a></u>	1.निःशुल्क पाठ्य –पुस्तक योजना 2. निःशुल्क जूता एवं बैग योजना 3. प्रधानमंत्री पोषण शक्तिनिर्माण (पी0एम0 पोषण) योजना 4. राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया ।	71–72
12.	<u><a href="#">माध्यमिक शिक्षा विभाग</a></u>	(1) आवासीय—राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/राजीव गांधी अभिनव विद्यालय,(2) पण्डित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार,(3) बालिका शिक्षा प्रोत्साहन(साईकिल योजना),(4) डॉ शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति, (5) श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति,(6) आर0आई0एम0सी0 छात्रवृत्ति (सैनिक छात्रवृत्ति), (7) प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति, (8) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर), (9) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर), (10) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12)	73–78
	<u><a href="#">समग्र शिक्षा परियोजना</a></u>	1-ECCE (प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा) 2. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका (छात्रावास) 3.नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास 4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 5. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पी0एम0 पोषण) 6. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम	79–82
13.	<u><a href="#">उच्च शिक्षा विभाग</a></u>	(1) राज्य के मेधावी छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना, (2)एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना, (3) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, (4)ऋषि एवं मिलन खोसला छात्रवृत्ति योजना (5) प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना, (6) उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, (7) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, (8) समर्थ पोर्टल <a href="https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login">https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login</a>	83–88
14.	<u><a href="#">संस्कृत शिक्षा विभाग</a></u>	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम – (1) संस्कृत छात्र प्रतियोगिता, (2) अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन (3) संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान (4) अनुसूचित जाति एवं अनु जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना (5) संस्कृत शोध छात्रवृत्ति योजना, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम – (1) पी.जी.	89–93

		डिप्लोमा (P.G. Diploma), (2) सर्टिफिकेट (Certificate) (3) मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति (4) निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम— (1) संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निशुल्क वितरण, (2) संस्कृत विद्यालयों के मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।	
15.	<u>संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग</u>	(1) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, (2) उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों / साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना, (3) लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता, (4) धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासीयों को आर्थिक सहायता, (5) ०५०३०/जनजाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश-भूषा का क्रय करने हेतु, (6) भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय।	94–97
16.	<u>प्राविधिक(तकनीकी) शिक्षा, विभाग</u>	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की निम्न छात्रवृत्ति योजना संचालित हो रही है :- 1. प्रगति, 2. सक्षम, 3. स्वनाथ	98–99
17.	<u>कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग</u>	1.राज्य पोषित योजना (ELSTP) 2. दस्तकार प्रशिक्षण 3. मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैशिक रोजगार योजना	100– 101
18.	<u>युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग</u>	(1) प्रान्तीय रक्षक दल (पी०आर०डी०) स्वयंसेवकों की तैनाती, (2) खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, (3) युवा दलों को आर्थिक सहायता (4) युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल स्वावलम्बन योजना, (5) महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल का गठन (6) ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना (7) युवाओं का साहसिक प्रशिक्षण।	102– 106
19.	<u>खेल विभाग</u>	1. खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 2.खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर नकद पुरस्कार धनराशि 3. राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 4. मुख्यमंत्री उद्दीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना 5. खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 6.राज्याधीन सेवाओं में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन/ खिलाड़ियों को नौकरी 7.विभाग के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति 8.भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता /पेंशन ।	107–113
20.	<u>उत्तराखण्ड अन्तर्रिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक)</u>	(1) रिमोट सेंसिंग व जी०आई०सी० एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग/क्षमता विकास कार्यक्रम/शोध कार्य	114–116
	<u>उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र</u>	(1) E-Content का विकास एवं प्रसारण, (2) STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) की प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन, (3) विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन। (4) Experiential Learning के अंतर्गत हैण्डस ऑन ट्रेनिंग तथा एस्पोजर विजिट।	117– 119
	<u>उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद</u>	1. आंचलिक विज्ञान केंद्र 2. सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 3. राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 4. उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम 5. उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी 6. आर्टिफिशिल इंटेलीजेन्स 7. सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली 8. शोध अनुसंधान एवं विकास 9. विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण 10.यात्रा अनुदान	120–122
21.	<u>उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग)</u>	कौशल विकास कार्यक्रम:- पादप उत्तक संर्वधन द्वारा पौध उत्पादन विधि एवं कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हाइड्रोपोनिक एवं मृदारहित कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, पेयजल एवं मृदा गुणवत्ता जॉच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आण्विक जीवविज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिमालय वनस्पतियों से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद से औषधि निर्माण पर प्रशिक्षण।	123–125
22.	<u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग</u>	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य की योजनायें :-1. ईजा-बोई शागुन योजना, 2. कैंसर डे केयर सेंटर, 3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, 4. चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु) 5. दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (यू०आई०डी० कार्ड) बनाने की प्रक्रिया।      राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड :- 1. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) 2. जननी सुरक्षा योजना (JSY) 3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) 4. प्रतिरक्षण कार्यक्रम 5. बाल स्वास्थ्य	126–135

		कार्यक्रम 6. किशोर स्वास्थ्य परामर्श कलीनिक, 7. सप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण, 8. सैनिटरी नेपकिन वितरण, 9. निःशुल्क जांच योजना, 10. 108 आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा, 11. खुशियों की सवारी सेवा, 12. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 13. निःशुल्क रक्त 14. हीमोग्लोबिनोपैथी 15. एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाइन 16. राष्ट्रीय क्षेय उन्मूलन कार्यक्रम 17. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) 18. राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB) 19. राष्ट्रीय पैलियटिव केरर कार्यक्रम (NPPC) 20. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण 1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना) 2. राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना। राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान—मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया	
	<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग</u>	(1) मेडिकल (स्नातक पाठ्यक्रम—एम०बी०बी०एस, परास्नातक पाठ्यक्रम—एम०डी० / एम०ए०एस), (2) डेंटल पाठ्यक्रम (स्नातक पाठ्यक्रम, परास्नातक पाठ्यक्रम), (3) नर्सिंग पाठ्यक्रम (डिप्लोमा / स्नातक पाठ्यक्रम—ए०एन०एम०, बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग, परास्नातक पाठ्यक्रम एम०एसी०—सी० एन०पी०सी०सी०), (4) पैरामेडिकल पाठ्यक्रम (डिप्लोमा / स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रम)	136—143
23.	<u>होम्योपैथी</u>	(1) 13 राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय, 71 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, 28 एन०एच०एम० विंग, 05 आर०सी०एच० तथा 04 त्वचा रोग केन्द्र (2) 27 होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना, (3) होम्योपैथिक औषधि निर्माण तथा विक्रय के नवीन लाईसेन्स निर्गत तथा नवीनीकरण करना।	144—145
24.	<u>आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग</u>	(1) आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र (आयुष्मान भारत योजना), (2) आयुर्विद्या—आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ जीवनशैली, (3) सुप्रजा—आयुष के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों हेतु स्वास्थ्य लाभ, (4) योग वैलनेस केन्द्र।	146—147
25.	<u>सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग</u>	(1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार), (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैना) उद्यम (3) स्टार्टअप नीति—2023, (4) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति—2023, (5) मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट पॉलिसी—2021, (6) उत्तराखण्ड राज्य विल्प रत्न पुरस्कार, (7) उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिये पुरस्कार योजना, (8) हथकरघा कताई—बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना, (9) शिल्पियों हेतु पैशांश योजना, (10) थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु)।	148— 161
26.	<u>खादी ग्रामोद्योग बोर्ड</u>	(1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार), (3) खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना।	162— 163
27.	<u>पर्यटन विभाग</u>	1. दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम—स्टे) विकास योजना 2. ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम—स्टे अनुदान योजना 3. अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम—स्टे) पंजीकरण 4. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 5. उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान।	164—172
28.	<u>ऊर्जा विभाग (उरेडा)</u>	1. राष्ट्रीय बायो इनर्जी कार्यक्रम 2. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 3. ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना 4. Grid Connected Rooftop Phase-II योजना, MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित	173—175
	<u>यू०पी०सी०एल०</u>	नये विद्युत मीटर (घरेलू) संयोजन / कनेक्शन की प्रक्रिया, एल०टी० संयोजन, एच०टी० संयोजन	176—177
29.	<u>सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग</u>	1. शूटिंग अनुमति प्रमाण—पत्र 2. फिल्मों को अनुदान	178—180
30.	<u>ग्राम्य विकास विभाग</u>	1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) 2- दीनदयाल अन्तोदय—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) 3- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY) 4- प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण (PMAY-G) 5-रुल बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स(RBI), 6- बी०पी०एल० सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया 7. सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 SECC सूची	181—185
31.	<u>सहकारिता विभाग</u>	(1) दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (2) मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना (3) मोटर साईकिल टैक्सी	186—189

		योजना (4) ई-रिक्षा कल्याण योजना	
32.	<u>कृषि विभाग</u>	1.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kissan) 2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 4. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) 5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) 6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) 7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (S.H.C.) 8. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम) (NMSA-RAD) 9.परम्परागत कृषि विकास योजना (P.K.V.Y.) 10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 11. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) 12. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कस्टम हायरिंग सेन्टर/बडे किसानों हेतु (SMAM) 13. इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) कृषि विभाग –उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	190–208
33.	<u>उद्यान विभाग</u>	(1) उद्यान कार्ड बनाने की प्रक्रिया (2) फल विस्तार क्षेत्र (3) सब्जी क्षेत्रफल विस्तार (4) मसाला क्षेत्रफल विस्तार (5) पुष्प क्षेत्रफल विस्तार (6) मशरूम उत्पादन (7) ट्यूबवैल स्थापना/पौण्ड निर्माण (8) ग्रीन हाऊस निर्माण, (9) मौनपालन, (10) तुडाई उपरान्त प्रबन्धन, (11) खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन (12) टपक सिंचाई (ड्रिप) स्प्रिंकलर, (13) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (14) उद्यानों की घेरबाड़ की योजना, (15) मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना, (16) वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना (17) सेब की अति सघन बागवानी योजना, (18) मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, चमोली, उत्तराखण्ड— (1) बीज/पौध निशुल्क वितरण योजना (2) कृषकों का पंजीकरण (3) जड़ी-बूटी उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण (4) वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना। उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा – (1) पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम (2) टी टूरिज्म (3) चाय फैक्ट्रियों की स्थापना। भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड –भेषज कृषि विकास योजना (जड़ी बूटी कृषिकरण कार्यक्रम)।	209–226
34.	<u>सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुइ, देहरादून</u>	(1) सगन्ध जागरूकता कार्यक्रम, (2) सगन्ध कृषक पंजीकरण, (3) सगन्ध कृषिकरण (4) कृषिकरण अनुदान योजना (5) मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण (6) राज्य में सगन्ध पौधों की खेती कर रहे किसानों/संस्थाओं/समूहों को उनके उत्पाद के तुडाई उपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा, (7) गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट (8) सगन्ध तेलों/उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य (9) सिडकूल, काशीपुर में स्थित एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना पर एमएसएमई विभाग द्वारा प्रोत्साहन।	227–232
35.	<u>पशुपालन विभाग</u>	(1) बकरी पालन, (2) भेड़ पालन, (3) गौ पालन, (4) महिला बकरी पालन, (5) कुकुकुट वैली की स्थापना, (6) ब्रॉयलर फॉर्म की स्थापना, (7) पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान (8) गौसदनों की स्थापना	233–236
36.	<u>डेरी विकास विभाग</u>	(1) राज्य समेकित सहकारी विकास योजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजना (2) दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (4) साइलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना	237–239
37.	<u>रेशम विभाग</u>	1.रेशम वृक्षारोपण 2.कीटपालन उपकरण 3.कीटपालन कक्ष	240–242
38.	<u>मत्स्य विभाग</u>	(1) पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण (2) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति उपयोजना (3) मत्स्य पालन विवरीकरण(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना) (4) राज्य महिला मातिस्यकी इनपुट योजना (5) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (6) दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)।	243–248
39.	<u>वन विभाग</u>	1. महिला नसरी 2. हमारा स्कूल हमारा वृक्ष 3. हमारा पेड हमारा धन 4.मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि।	249–255
40.	<u>आवास विभाग</u>	1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक	256–257
41.	<u>शहरी विकास विभाग</u>	1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डै०-एन०य०१ल०१म०) 2. पी०एम०स्वनिधि 3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	258–259
42.	<u>स्वजल परियोजना</u>	(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-शौचालय निर्माण), (2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-अपशिष्ट प्रबन्धन)	260–261
43.	<u>पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)</u>	(1) जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था, (2) राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासारत बी.पी.एल./निर्धन परिवारों को रु० 100 में जल संयोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध	262– 264

44.	<u>पंचायती राज विभाग</u>	1.जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र 2. मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र 3. परिवार रजिस्टर 4. निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र 5. शौचालय प्रमाण—पत्र	265—268
45.	<u>राजस्व विभाग</u>	1. स्थाई निवास प्रमाण पत्र, 2. उत्तराधीनी/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, 3.पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र, 4.चरित्र प्रमाण पत्र ठेकेदारी/सामान्य हेतु, 5. हैसियत प्रमाण पत्र, 6.स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, 7. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी होने संबंधी परिचय पत्र, 8. आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण—पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैध होता है) 9. (1) अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (2) अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (3) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य की सेवाओं हेतु (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण—पत्र 03 वर्ष के लिए वैध होता है)। (4) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु (यह क्रीमी लेयर की श्रेणी में न आने तक, वैध होता है)। 10.आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र 11.सामान्य जाति प्रमाण पत्र 12.विरासत दर्ज करना (मृत्यु होने की स्थिति में)। 13.दाखिल खारिज (क्रय—विक्रय) 14.खाता खतौनी में संशोधन 15.जमीन का डिमार्केशन (सीमांकन) करने की प्रक्रिया/खेत की पैमाइश, नापजोख हेतु। 16.खसरा खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया 17.नकल खसरा एवं नकल सजरा (भू—मानचित्र की प्रति) प्राप्त करना। 18.दैवीय आपदा आर्थिक सहायता	269—278
46.	<u>परिवहन विभाग उत्तराखण्ड</u>	1.वाहनों का पंजीयन कार्य 2. चालक/परिचालक लाइसेंस संबंधी कार्य 3.व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस संबंधी कार्य 4. व्यवसायिक वाहनों के परमिट संबंधी कार्य 5. वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण 6.निजी क्षेत्र में आटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग को मान्यता 7. निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता	279—287
47.	<u>आधार केन्द्र</u>	1.आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) आधिनियम, 2016	288—289
48.	<u>कार्यो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड</u>	मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया	290—291
49.	<u>सूचना प्रौद्योगिकी (ITDA)</u>	1. मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल <a href="https://cmhelpline.uk.gov.in/">https://cmhelpline.uk.gov.in/</a> 2- अपुणि सरकार पोर्टल <a href="https://eservices.uk.gov.in/">https://eservices.uk.gov.in/</a> 3- आई०टी० पॉलिसी व संशोधन—2020	292—295
50.	<u>कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)</u>	1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण 2. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	296—298
51.	<u>नागरिक उड़डयन विभाग</u>	उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)	299—300
52.	<u>आपदा प्रबन्धन विभाग</u>	1.आपदा के कारण मृत्यु, 2. हाथ—पैर, औंख या औंछों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान, 3.जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो, 4. घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या दो दिन से अधिक अवधि तक जल भराव से प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिये, 5. कृषि भूमि एवं अन्य की क्षति के लिये सहायता, 6. कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 33 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में), 7. 02 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को निवेश अनुदान, 8. पशुपालनः—छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता 9. मछली पालन, 10. हाथकरधा—कारीगरों को सहायता, 11. भवन (पूर्णतः क्षतिग्रस्त / नष्ट भवन), 12.सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति के सम्बन्ध में।	301—305
53.	<u>उत्तराखण्ड सूचना आयोग</u>	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में जानकारी।	306
54.	<u>सेवा का अधिकार आयोग</u>	सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के संबंध में जानकारी।	307
55.	<u>उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग</u>	उत्तराखण्ड राज्य में समूह “ख” व “ग” की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।	308—309

# समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड



राष्ट्रीय एकता दिवस पर देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन दिव्यांग समारोह, मिनी स्टेडियम, चम्पावत

## समाज कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	वृद्धावस्था पेंशन	प्रतिमाह रु0 1,500/- पेंशन प्रदान की जाती है।	60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग (पति—पत्नी दोनों) जिनके परिवार की मासिक आय रु. 4000/- से कम अथवा बी0पी0एल0 श्रेणी के हों। कोई अन्य पेंशन मिलने पर आवेदक को इस पेंशन का लाभ अनुमत्य नहीं है।	<p>आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन विभाग के पेंशन पोर्टल <a href="http://ssp.uk.gov.in">ssp.uk.gov.in</a>, अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल <a href="https://eservices.uk.gov.in/">https://eservices.uk.gov.in/</a> के माध्यम से करेगा।</p> <p>आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :—</p> <p>आवेदक का मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो (ग्राम प्रधान/बी0पी0डी0 ओ0/सभासद द्वारा प्रमाणित) तथा आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, सीबीएस बैंक खाता, जो आधार कार्ड से लिंक/सीड हो, की छायाप्रति। परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु), ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक में चयनित/पारित प्रस्ताव की प्रति। जिस जनपद से आवेदन करेंगे, उक्त सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे।</p> <p>ऑनलाइन आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन हेतु क्रमशः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी से उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर स्वीकृत कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के 1 माह बाद पेंशन खाते में आ जाती है।</p>
2.	निराश्रित विधवा पेंशन	रु0 1,500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।	विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम न हो। परिवार की मासिक आय रु0 4000/प्रतिमाह से कम हो या बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र हो। अन्य पेंशन का लाभ न ले रही हो।	वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा।
3.	दिव्यांग पेंशन	रु0 1,500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।	आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। दिव्यांगता प्रमाण—पत्र तथा मासिक आय रु0 4000/-प्रतिमाह से कम हो या बी0पी0एल0 श्रेणी का हो। अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो।	वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा यू0आई0डी0 प्रमाण पत्र भी देना होगा।
4.		रु0 1200/-	18 वर्ष से ऊपर के महिला/पुरुष, जो कृषि कार्य करते हुए 20 प्रतिशत	वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ कृषि कार्य करते हुए चोटिल होने का कृषि अधिकारी का

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	से 40 प्रतिशत तक दिव्यांग हुए हों। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 20 से 40 प्रतिशत तक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ₹०आई०डी० प्रमाण पत्र भी देना होगा।
5.	बौना पेंशन	₹० 1200 / प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	21 वर्ष से ऊपर ऐसे बौने व्यक्ति जिनकी ऊंचाई 4 फुट से कम हो। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु बौना होने की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण—पत्र की जरूरत नहीं है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी बौने व्यक्ति की ऊंचाई नापते हैं।
6.	किसान पेंशन	₹० 1,200 /— प्रतिमाह पेंशन	उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो तथा स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं।	वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ खतौनी की नकल की प्रमाणित प्रति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ₹० 10 /— के स्टॉम्प पेपर पर स्वयं की भूमि पर खेती करने तथा 02 हें० अथवा 02 हें० से कम जमीन सम्बन्धी शपथ पत्र, भी संलग्न करना होगा। भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा फॉर्म/प्रपत्र पर लिखकर प्रमाणित किया जाता है। इसमें आय प्रमाण—पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7.	परित्यक्ता चेंशन	₹० 1200 तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी को ₹० 1400 प्रति माह दी जाती है।	उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाएँ (जो 40 वर्ष से अधिक की हों) जो ₹०पी०एल० हों अथवा जिनके परिवार की समस्त स्त्रीतों से आय ₹० 4000 /— प्रतिमाह से अधिक न हो। निराश्रित अविवाहित महिला का विवाह होने पर आवेदक अपात्र हो जायेगी।	वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के अतिरिक्त :— <ul style="list-style-type: none"><li>परित्यक्ता महिला के मामले में शादी की अवधि 01 वर्ष से अधिक हो जाने तथा पति के 01 वर्ष से अधिक समय से लापता होने/छोड़े जाने के सम्बन्ध में स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो।</li><li>मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की स्थिति में— सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित पति अथवा पत्नी को मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति को अकित करते हुए धनोपार्जन हेतु अक्षमता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।</li></ul>
8.	अनु० जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान।	अनु०जाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री ₹० 50,000 /— की दर से	अनु०जाति के परिवार की समस्त स्त्रीतों सहित मासिक आय ₹० 4000 /— अथवा ₹०पी०एल परिवार। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाईन पेंशन पोर्टल <a href="http://ssp.uk.gov.in">ssp.uk.gov.in</a> , अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल <a href="https://eservices.uk.gov.in/">https://eservices.uk.gov.in/</a> के माध्यम से करेगा तथा निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :— आवेदक का मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। वैध आय प्रमाण पत्र अथवा ₹०पी०एल० प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु) दुल्हन एवं दुल्हे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। शपथ पत्र (आवेदक के परिवार ने इससे पूर्व सिर्फ 1 बार लाभ लिया हो

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अनुदान।		अथवा लाभ ही न लिया हो) जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में हो तथा उसी समय दस्तावेज पूरे न हों, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परंतु लाभ, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जॉच की जायेगी तथा जॉच आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी।
9.	निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना	निराश्रित विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु ₹0 50,000/- प्रति पुत्री अनुदान	विधवा पेंशन प्राप्त कर रही ऐसी विधवाओं को जिनकी समस्त स्रोतों से मासिक आय ₹0 4000/- तक हो अथवा बी0पी0एल परिवार हो। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	क्रमांक-8 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के अतिरिक्त विधवा पेंशन, समाज कल्याण से प्राप्त हो रही है अथवा नहीं, समाज कल्याण विभाग इसकी पुष्टि करता है तथा इसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
10.	दिव्यांग युवक/ युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना	विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन के रूप में ₹0 25,000/- दिये जाते हैं।	ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, के साथ सामान्य व्यक्ति द्वारा अथवा दोनों दिव्यांगजनों द्वारा विवाह करने पर लाभ दिया जाता है। दंपत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो। दंपत्ति उत्तराखण्ड का निवासी हो या कम से कम पॉच वर्ष से अधिवासी हो, परंतु दंपत्ति भारत का नागरिक हो। दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी अपराधिक मामले में दंडित न हो। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य। युवती (दुल्हन) की आयु 18 से 45 के मध्य हो तथा दंपत्ति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या कानूनी विवाह किया	इसमें वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन का प्रारूप सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट <a href="https://socialwelfare.uk.gov.in/">https://socialwelfare.uk.gov.in/</a> से डाउनलोड करने के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर आवेदन भरकर सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाता है। आवेदन प्रारूप के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे :— दम्पत्ति का आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ₹0000000000 की छायाप्रति, स्थायी निवास/ 5 वर्ष से राज्य में निवास करने की पुष्टि का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण की छायाप्रति। शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। शपथ पत्र (आयकर दाता न होने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न होने तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न होने संबंधी) सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों की जॉच कर पात्रता के आधार पर संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जनपद में जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने पर आवेदक को प्रोत्साहन धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		हो।		
11.	राष्ट्रीय परिवारि क लाभ योजना (भारत सरकार द्वारा संचालित)	परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार को ₹0 20,000/- दिये जाते हैं।	सिर्फ बी0पी0एल0 परिवार के कमाऊ सदस्य (जिनकी आयु 18 से 59 के मध्य हो) की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता परिवार को दी जाती है। परिवार के सदस्य, कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत कभी भी आवेदन कर सकते हैं।	वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन है। पात्र आवेदक द्वारा आवेदन प्रारूप, समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट <a href="https://socialwelfare.uk.gov.in/">https://socialwelfare.uk.gov.in/</a> से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे :—परिवार के सदस्य/आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो, बैंक खाता पासबुक जो आधार से लिंक/सीड हो, बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल। कमाऊ सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड। उक्त दस्तावेजों सहित फार्म, सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते हैं। जिला स्तर से आवेदन भारत सरकार को भेजने तथा दस्तावेज सही पाये जाने पर धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान की जाती है।
12.	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति धनराशि (राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	• आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्र/छात्राएं। • आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो।	विद्यार्थियों द्वारा भारत सरकार के (NSP) एन0एस0पी0 पोर्टल ( <a href="https://scholarships.gov.in">https://scholarships.gov.in</a> ) में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करेंगे—आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो तथा सी0बी0एस0 बैंकखाता जो आधार लिंक/सीड हो, पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र, आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो, का स्वघोषणा पत्र। आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों, जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से डिफेक्ट किया जाता है तथा जिन्हें सही नहीं किया जा सकता है, उनको स्थाई रूप से रिजेक्ट किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सीधे खाते में भेजी जाती है।
13.	अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति योजना	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	• ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय ₹0—2.50 लाख तक हो। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्र/छात्र हो।	क्रमांक-12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय ₹0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण—पत्र आवश्यक होगा।
14.	अनुसूचित जाति/जनजाति	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज्य	अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय ₹0	क्रमांक-12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय ₹0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण—पत्र आवश्यक होगा।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	दशमोत्तर छात्रवृत्ति	य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। 10वीं पास के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।	
15.	पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख तक हो।</li> <li>उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।</li> <li>अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्र हो।</li> <li>10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम हेतु।</li> </ul>	क्रमांक-12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख से कम का आय प्रमाण—पत्र तथा पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
16.	पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	अन्य पिछड़ी जाति के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। 10वीं पास के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।	क्रमांक-12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र तथा पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
17.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।	क्रमांक-12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र।
18.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह का	वृद्धजनों को रहने, खाने, वस्त्र, चिकित्सा आदि की	<ul style="list-style-type: none"> <li>महिला/पुरुष द्वारा सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह, के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।</li> <li>आय का कोई प्रावधान नहीं है।</li> <li>उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी</li> </ul>	संबंधित वृद्ध महिला/पुरुष द्वारा सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह, के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ परिवार रजिस्टर की नकल, आधार की प्रति, प्रधान/सभासद की आख्या संलग्न करनी होगी। उसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग से जांच

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	संचालन	निःशुल्क सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।	निवासियों हेतु संचालित। राज्य में 02 वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह संचालित हैं। वर्तमान में जनपद चमोली एवं बागेश्वर में हैं।	करवायी जाती है जिसमें राजस्व निरीक्षक की आव्याय, तहसीलदार की संस्तुति, प्राप्त होती है तथा चिकित्सक द्वारा जारी दूसरे संवासीयों को संक्रमित नहीं करने वाली बीमारी का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जाता है। जांच के उपरांत, दिये गये निवेदन/प्रार्थना पत्र के क्रम में जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित आवास में रहने हेतु आदेश पारित किया जाता है तथा संबंधित व्यक्ति उसके उपरांत आवास में निवास कर सकता है।

\*\*\*\*\*

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT.

# सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड ।



कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित करते हुये  
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ।

दिनांक 26 जुलाई, 2023

४

## सैनिक कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
<b>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा देय सहायता</b>				
1.	पैन्यूरी ग्रान्ट	₹0 4000/- प्रतिमाह	<p>हवलदार रैंक तक के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा, वृद्ध आश्रम में निवासरत हो, को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त तथा स्वयं के आवास में निवासित पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त अनुमत्य।</p> <p><b>नोट</b> – केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की गई पूर्व सैनिक की परिभाषा (केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की पॉलिसी कम्पोडियम) की परिधि में आच्छादित हो।</p>	<p>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉग-इन-आईडी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, आयु प्रमाण पत्र, (यदि डिस्चार्ज बुक में जन्म तिथि अंकित न हो), आवेदक का पहचान पत्र, आवेदक की बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ, पैन्यूरी प्रमाण पत्र, जो कि कै0एस0बी0 की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।</p> <p>जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांचोपरांत केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा जाता है। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान वर्ष में एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।</p>
2.	मेडिकल ग्रान्ट	₹0 50000/- प्रतिवर्ष	<p>हवलदार रैंक तक के नॉन-ई०सी०एच०एस० पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा हेतु अनुमत्य।</p> <p><b>नोट</b>– चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के उपरान्त 180 दिन के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।</p>	<p>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉग-इन-आईडी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, चिकित्सा से संबंधित मूल बिल तथा डिस्चार्ज की समरी (संबंधित चिकित्सक के मुहर सहित हस्ताक्षरित), अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्वःघोषणा प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांचोपरांत केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा जाता है। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।</p>
3.	विवाह हेतु अनुदान	₹0 50000/- प्रति पुत्री	<p>केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा की प्रथम दो पुत्रियों के विवाह तथा सैनिक विधवा के पुर्णविवाह हेतु अनुदान।</p> <p><b>नोट</b>– विवाह होने के उपरान्त 180 दिन के</p>	<p>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉग-इन-आईडी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, पी०पी०ओ०, आवेदक का पहचान पत्र, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			भीतर आवेदन करना आवश्यक है।	<p>सहायता प्राप्त न करने का स्व: घोषणा प्रमाणपत्र, आवेदक की बैंक पास बुक।</p> <p>जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।</p>
4.	शिक्षा अनुदान	₹0 1000/- प्रतिमाह	हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा के प्रथम दो बच्चों (स्नातक कक्षा तक) तथा सैनिक विधवा स्नातकोत्तर के लिए अनुमन्य।	<p>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई०डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैः— डिस्चार्ज बुक, पी०पी०ओ० पूर्व सैनिक के अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी परिवार विवरण तथा आवेदक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, गत वर्ष में उत्तीर्ण की गयी कक्षा की अंक तालिका, अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्व: घोषणा प्रमाणपत्र।</p> <p>जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।</p>
5.	वोकेशनल ट्रैनिंग अनुदान	₹0 50000/- एकमुश्त।	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक विधवा, जिनके द्वारा केन्द्र/राज्य/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, हेतु अनुमन्य।	<p>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई०डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैः— डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, केन्द्र/राज्य/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक के प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र।</p> <p>जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
6.	100 % अशक्त बच्चों हेतु अनुदान	रु0 3000/- प्रतिमाह	सभी रैंक के पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा के शत-प्रतिशत दिव्यांग बच्चों हेतु अनुमन्य।	<p>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0, आवेदक का बैंक पास बुक, आवेदक एवं अशक्त बच्चे का पहचान पत्र, सेना चिकित्सालय द्वारा जारी पूर्व सैनिक के शत-प्रतिशत अशक्त बच्चे का प्रमाण पत्र।</p> <p>जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।</p>
7.	निराश्रित अनुदान	रु0 3000/- प्रतिमाह	समस्त रैंक के पूर्व सैनिक तथा सैनिक विधवा, दोनों की मृत्यु होने पर, उनके निराश्रित बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक अथवा विवाह होने तक (जो भी पूर्व हो) अनुदान धनराशि दी जाती है।	<p>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण, बैंक पास बुक, माता-पिता मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक पुत्री होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अविवाहित प्रमाण पत्र।</p> <p>जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।</p>
8.	विशेष चिकित्सा सहायता	अधिकतम रु0 1,50,000 (प्रथम बार)।  अग्रेत्तर वर्षों हेतु अधिकारियों	समस्त रैंक के नान ई०सी०एच०एस० सदस्य की निम्न बीमारियों हेतु अनुमन्य :— (1) एन्ज्योग्राफी, एन्ज्योप्लास्टी। (2) सी०ए०बी०जी०, डाइलसिस। (3) ओपन हार्ट सर्जरी। (4) वाल्ब रिप्लेसमेंट। (5) पेस मेकर इंप्लांट। (6) सिरिबिल स्ट्रोक।	<p>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचानपत्र, बैंक पासबुक, चिकित्सा से संबंधित मूल बिल, जिसमें संबंधित चिकित्सक के मुहर सहित हस्ताक्षर हो, एडमिशन एवं डिस्चार्ज रिपोर्ट जिसमें चिकित्सालय के समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित हो, अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्वःघोषणा प्रमाण पत्र।</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		को कुल व्यर्ह का 75% एवं अन्य रैंक हेतु 90% (अधिकतम रु075000 प्रतिवर्ष)।	(7) प्रोस्टेट सर्जरी। (8) ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। (9) रिनल फिल्योर। (10) कॉसर।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
9.	भवन निर्माण हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति	अधिकतम रु0 1,00,000 तक ब्याज की प्रतिपूर्ति।	युद्ध में शहीद सैनिक के आश्रित, युद्ध दिव्यांग सैनिक एवं शॉन्टि काल में सेन्य सेवा के कारण दिव्यांग सेवानिवृत्त सैनिकों को भुगतान किया जाता है।  संबंधित द्वारा भवन निर्माण हेतु बैंकों से, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान जैसे एल.आई.सी., जी.आई.सी. एवं हुड़कों से लिये गये ऋण के ब्याज के सापेक्ष प्रतिपूर्ति।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई०डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— डिस्चार्ज बुक, पी०पी०ओ०, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जिसमें ऋण भुगतान की तिथि, अवधि एवं धनराशि अंकित हो), भूमि व भवन का स्वामित्व प्रमाण पत्र।  जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
10.	मोबिलिटि इकिव्यप मेन्ट सहायता	मोडिफाईट स्कूटर हेतु अधिक (लोवर लिम्ब) की दिव्यांगता हेतु। वास्तविक व्यय अथवा रु0 1,00,000, जो भी कम हो।	पूर्व सैनिक जो सेवामुक्ति के बाद 50% से अधिक (लोवर लिम्ब) की दिव्यांगता हेतु।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई०डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— डिस्चार्ज बुक, पी०पी०ओ०, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, सेना चिकित्सालय द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।  जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
11.	प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना	पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के	व्यवसायिक शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, वेटरनरी, एम०बी०ए० आदि के०एस०बी० की वेबसाइट पर अंकित	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई०डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :—

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		पुत्र को रु0 2500 प्रतिमाह एवं पुत्री को रु0 3000 प्रतिमाह।	व्यवसायिक डिग्री कोर्स सूची) ग्रहण कर रहे जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिक के आश्रित पुत्र/पुत्री। आश्रित पुत्र/पुत्री द्वारा 12वीं/Mininimum Education Qualification (MEQ की परीक्षा जो भी अनुमन्य हो) में 60 % से अधिक अंक प्राप्त किए हों।	आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, के0एस0बी0 की वेबसाइट पर उपलब्ध एनेक्जर-1, 2 एवं 3 को भरकर अपलोड करना, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं/MEQ की अंक तालिका, पूर्व सैनिक की श्रेणी के आधार पर जो भाग-2 आदेश/पहचान पत्र/पी0पी0ओ0 जो भी अनुमन्य हो, शपथ पत्र यदि पुत्र/पुत्री पूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति के बाद जन्म हुआ हो। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।
12.	एम0बी0 बी0एस0/ बी0डी0एस0 में प्रवेश	केंद्र, राज्य सरकार की एमबीबीएस एवं बीडीएस सीटों में चयन में वेटेज।	शहीद सैनिक/पूर्व सैनिक/सेवारत सैनिकों के आश्रितों को निम्नवत् वरीयता कम के आधार पर सीटों का आवंटन :— (1) युद्ध में शहीद सैनिक। (2) युद्ध में घायल सेवानिवृत्ति सैनिक। (3) शांति काल में सैन्य सेवा के कारण शहीद सैनिक। (4) शांतिकाल में सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग सैनिक। (5) वीरता पदक धारक सैनिक	केन्द्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट <a href="http://www.ksb.gov.in">www.ksb.gov.in</a> से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जहां संबंधित सैनिक पंजीकृत हो, वहां से प्रमाणित करवाने के उपरान्त निम्न दस्तावेज आवश्यक है :— आवेदन पत्र, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र। उक्त प्रमाण पत्र का उपयोग करने के बाद संबंधित सीटों में चयन हेतु वेटेज प्राप्त किया जा सकता है।
13.	वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी धनराशि	एकमुश्त धनराशि अधिकतम 50 लाख तथा न्यूनतम 4 लाख दी जाती है। साथ ही वार्षिकी अधिकतम	वीरता पदक से अलंकृत राज्य के सेवारत सैनिकों/पूर्व सैनिकों को एकमुश्त अनुदान/वार्षिकी अनुमन्य है। सैनिक के शहीद होने अथवा मृत्यु होने की दशा में निम्नानुसार अनुमन्य है :— (1) वीर नारी (पूरे जीवनभर अथवा दूसरा विवाह करने तक)। (2) पुत्र (25 वर्ष की आयु तक)/पुत्री (विवाह होने तक)। (3) माता—पिता। (4) अविवाहित बहनें।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर, संबंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज :— आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं निरस्त किया हुआ चैक, यदि आवेदक आश्रित हो तो आश्रित का पहचान पत्र, उत्तराखण्ड का मूलनिवास प्रमाणपत्र, की वीरता पदक से अलंकृत किये जाने के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति, इस आशय का शपथ पत्र (रु 10 के स्टाम्प पेपर पर) कि वीरता पदक पर देय एकमुश्त अनुदान/वार्षिकी धनराशि किसी दूसरे राज्य से प्राप्त न किया हो और ना ही भविष्य में करुंगा/करुंगी, की छायाप्रति, यदि आवेदक भूतपर्व सैनिक हो तो डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात्

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		3 लाख एवं न्यूनतम 40 हजार दी जाती है।	(5) भाई (25 वर्ष की आयु तक)।	सही पाये गये आवेदकों को डी०बी०टी० के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है, जिसमें एकमुश्त तत्काल भुगतान की जाती है तथा वार्षिकी प्रतिवर्ष भुगतान की जाती है।
14.	विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को एकमुश्त अनुदान राशि।	अधिकतम 2 लाख तथा न्यूनतम 75 हजार दी जाती है।	विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत राज्य के सेवारत सैनिक/पूर्व सैनिकों को एकमुश्त अनुदान अनुमन्य है।	सम्पूर्ण आवेदन एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक 13 के अनुसार होगी परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किये जाने के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
15.	उत्तरा खण्ड शहीद कोष अनुदान।	रु0 10 लाख एकमुश्त अनुदान	विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवा/आश्रित को अनुमन्य। (क) शहीद के विवाहित होने की दशा में :- (i) विधवा (वीर नारी) - विहित धनराशि 60% (ii) माता-पिता - विहित धनराशि 40% (ख) परन्तु यह कि यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो पूर्ण विहित धनराशि, विधवा (वीर नारी) को दी जायेगी तथा जहां विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं है तो विहित धनराशि, का 40 प्रतिशत माता-पिता को तथा 60 प्रतिशत सभी आश्रित बच्चों में बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा। (ग) ऐसी स्थिति में जहां माता-पिता तथा विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं हैं तो विहित धनराशि, सभी आश्रित बच्चों में बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा। (घ) ऐसी स्थिति में जहां विधवा (वीर नारी) जीवित न हो और बच्चे भी न हों तो सम्पूर्ण विहित धनराशि, माता-पिता को दिया जायेगा। (ङ) ऐसी स्थिति में जहां	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर, संबंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज :- बैंक खाता पासबुक, युद्ध से सम्बंधित प्रारम्भिक रिपोर्ट, युद्ध अपघटन सम्बंधित अभिलेख कार्यालय/महानिदेशक कार्यालय का भाग-दो आदेश, शहीद सैनिक का बैटल कैज्युल्टी प्रमाण पत्र, आश्रितों का सम्बंधित अभिलेख कार्यालय/महानिदेशक कार्यालय द्वारा निर्गत नातेदारी प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक, आश्रितों का पहचान पत्र, जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्णवास कार्यालय द्वारा अनुग्रह अनुदान भुगतान न किए जाने का प्रमाण पत्र, अर्द्धसैनिक बल के लिए - महानिदेशक अर्द्धसैनिक बल द्वारा जारी बैटल कैज्युल्टी/आप्रेशनल कैज्युल्टी का प्रमाण पत्र, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए - महानिदेशक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा जारी बैटल कैज्युल्टी/आप्रेशनल कैल्युल्टी का प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात् सही पाये गये आवेदकों को डी.बी.टी. के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			शहीद अविवाहित अथवा विधुर हो, विहित धनराशि, माता—पिता को दिया जायेगा।	
16.	आवासीय सहायता अनुदान।	रु0 2 लाख एकमुश्त अनुदान।	विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों में शहीद सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों एवं युद्ध दिव्यांग सेवा मुक्त सैनिकों को पूरे जीवन में एक बार भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अनुमन्य।	<p>जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर, संबंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज :— शहीद सैनिक/युद्ध दिव्यांग सेवामुक्त सैनिक की बैटल कैजुल्टी रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि, बैटल कैजुल्टी का पार्ट टू आर्डर की सत्यापित प्रतिलिपि, आश्रितों का प्रमाण—पत्र, भवन निर्माण/मरम्मत के कार्य का आगणन कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा जारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक को पूर्व में राज्य सरकार से आवासीय सहायता भुगतान न करने का प्रमाणपत्र।</p> <p>जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात् सही पाये गये आवेदकों को डी.बी.टी. के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।</p>
17.	इंजिनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	इंजिनियरिंग—12 हजार, मेडिकल—15 हजार, पीएचडी—10 हजार, प्रतिवर्ष	इंजिनियरिंग/मेडिकल एवं पी0एच0डी0 की कक्षाओं में अध्यनरत पूर्व सैनिकों के आश्रितों को अनुमन्य धनराशि भुगतान की जाती है। नोट :— आवेदक का बैंक खाते एवं डिस्चार्ज बुक में सही नाम अंकित होना अनिवार्य है।	<p>आवेदक द्वारा सैनिक कल्याण विभाग की बेबसाईट <a href="http://www.sainikkalyan.org">www.sainikkalyan.org</a> पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, जिस कोर्स में अध्ययनरत हों, उसका प्रमाण पत्र।</p> <p>जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं निदेशालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात् सही पाये गये आवेदकों को डी.बी.टी. के माध्यम से कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।</p>
18.	नि:शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण।	01 वर्षीय कम्प्यूटर/एकाउंटिंग नि:शुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा एवं उनके आश्रित, जिनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हों, हेतु अनुमन्य है, जिसमें उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में निम्न प्रशिक्षण वर्तमान में दिये जा रहे हैं :— <ul style="list-style-type: none"> <li>• डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग अवधि— 01 वर्ष</li> <li>• डिप्लोमा इन प्रोफेशनल एकाउंटिंग अवधि— 01 वर्ष</li> </ul>	<p>सर्वप्रथम निदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार—प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों से कोर्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— साधारण प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, 12वीं पास प्रमाण पत्र।</p> <p>इसके उपरांत संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को नाम उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा संबंधित संस्था आवेदकों को प्रशिक्षण शुरू किये जाने से पूर्व प्रशिक्षण में प्रतिभाग</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
19.	निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।	सेना /अर्द्ध सैनिक बलों एवं पुलिस बल में भर्ती हेतु 8 सप्ताह का भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिकों के पुत्र जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम हो और हाईस्कूल में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो, को निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय (प्रशिक्षकों का मानदेय + खाना + आवास) का भुगतान निदेशालय सैनिक कल्याण द्वारा किया जाता है। <u>नोट</u> :— वर्ष में 5 कोर्सों का संचालन किया जाता है।	करने हेतु सूचित करती है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार—प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिकों के पुत्रों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— साधारण प्रार्थना पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षिक संबंधी प्रमाण पत्र (कम से कम हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण), चिकित्सा प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक। उक्त दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा किया जाता है। इसके उपरांत प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु सूचित किया जाता है। तदोपरान्त राज्य के गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल में प्रशिक्षण शुरू किया जाता है।

\*\*\*\*\*

PROGRAMME IMPLEMENTATION

# महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।



जनपद नैनीताल के रामनगर में गोदभराई कार्यक्रम में मां मंत्री जी



मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष 2022

## महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	समैक्षित बाल विकास सेवाएं (आई.सी. डी. एस.)	<p>आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से निःशुल्क निम्न सेवायें प्रदान की जाती है :—</p> <p>06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण/टीकाकरण, संदर्भ सेवायें।</p> <p>03 वर्ष—06 वर्ष के बच्चों को प्रतिरक्षण/टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवायें।</p> <p>गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रतिरक्षण/टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवायें।</p>	<p>देश के समस्त 06 माह से 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलायें एवं धात्री मातायें।</p> <p>इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।</p>	<p>संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा या स्वयं लाभार्थी द्वारा नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर योजना के लाभ हेतु पंजीकरण करवाया जाता है। पंजीकरण करने हेतु गर्भवती/धात्री महिला/बच्चे का आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप पर पंजीकृत कर योजना का निम्न लाभ दिया जाता है :—</p> <p><b>कुकड़ फूड</b> — आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत 03 से 06 वर्ष के स्कूल पूर्व बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं ताजा पका भोजन, महीने में 25 दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिया जाता है।</p> <p><b>टेक होम राशन</b> — 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, 03—06 वर्ष के बच्चे, अतिकृपोषित बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से प्रतिमाह टी0एच0आर0 के रूप में गेंहू एवं फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिरक्षण, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान किया जाता है।</p>
2.	किशोरी बालिका योजना	किशोरी बालिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं जीवन चक्र विषयों पर जागरूकता तथा वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार (फोर्टिफाइड चावल एवं गेंहू प्रत्येक माह में 25 दिन के अनुसार) दिया जाता है।	उत्तराखण्ड के आकांक्षी जनपद— हरिद्वार एवं ऊदमसिंहनगर की 14 वर्ष से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बलिकाएं।	पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाता है, जिसके लिए किशोरी का आधार एवं जन्मप्रमाण पत्र आवश्यक है।
3.	वन स्टॉप सेन्टर	पीड़ित महिला/किशोरी को एक ही कार्यालय/स्थान पर आश्रय/रात में रुकने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सलाह, पुलिस सुविधा एवं परामर्शदाता की सेवाएं एक ही परिसर में 24x7 निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।	पीड़ित महिलायें/किशोरी (दुर्योगहार, अपराध, घरेलू हिंसा आदि से पीड़ित)	मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 01 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। पीड़ित महिला/किशोरी सीधे वन स्टाप सेन्टर में जाकर अपनी समस्या से अवगत करा सकती है या राष्ट्रीय महिला हेल्पलाईन 181 पर फोन करके, अपनी समस्या बता सकती है। विभाग द्वारा तैनात मनोचिकित्सक/काउंसलर/संबंधित अधिकारी द्वारा पीड़ित महिला की समस्या जानकर यथावश्यक रात्रि विश्राम, पुलिस, कानूनी सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	प्रधान मंत्री मातृत्व बद्धना योजना	<p>प्रथम बच्चे के जन्म पर प्रथम किस्त के रूप में ₹० 3000/- मिलते हैं। लाभ प्राप्त करने हेतु, दो प्रसवपूर्व जांच के बाद आवेदन करना होता है, जिस हेतु दस्तावेज़ :- मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड (MCP कार्ड), गर्भावस्था का पंजीकरण और कम से कम दो प्रसवपूर्व जांच (ANC) अधिमानतः LMP से छह माह के भीतर)</p> <p>प्रथम बच्चे की द्वितीय किस्त के रूप में ₹० 2000/- मिलते हैं। बच्चे के जन्म से 270 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है, जिस हेतु दस्तावेज़ :- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, MCP कार्ड की प्रति जिसमें बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण हो 14 सप्ताह / बी०सी०जी० और पेंटा की तीनों डोज या इसके समकक्ष का टीकाकरण प्रमाण पत्र।</p> <p>दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि जन्मा बच्चा बालिका हो, तो ₹० 6000/- मिलते हैं। बालिका के जन्म के 09 माह के भीतर आवेदन करना होगा, जिस हेतु दस्तावेज़ :- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, गर्भावस्था का पंजीकरण और कम से कम दो प्रसवपूर्व जांच (ANC) अधिमानतः LMP से छह माह के भीतर, MCP कार्ड की प्रति जिसमें बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण हो 14 सप्ताह / बी०सी०जी० और पेंटा की तीनों डोज या इसके समकक्ष का टीकाकरण प्रमाण पत्र।</p>	<p>कोई भी गर्भवती एवं धात्री महिलाएं, जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष हो, पात्र होंगी -</p> <p>पारिवारिक वार्षिक आय आठ लाख से कम हो अथवा बी०पी०एल० कार्ड धारक महिला, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, किसान सम्मान निधि की लाभार्थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) आयुष्मान भारत की लाभार्थी, आंशिक (40%) या पूर्ण द्विव्यांग, अनुसूचित जाति / जनजाति महिला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका / आशा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA 2013) राशन कार्ड धारक, महिलाएं पात्र होंगी।</p>	<p>मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के अंतर्गत, इस योजना में महिला को निम्न दस्तावेज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका को उपलब्ध करवाकर, उनके द्वारा ऑनलाइन <a href="https://pmmvy.wcd.gov.in/">https://pmmvy.wcd.gov.in/</a> आवेदन किया जाता है। वर्तमान में लाभार्थियों के स्वयं आवेदन की व्यवस्था अभी नहीं है।</p> <p>प्रधान मंत्री मातृत्व बद्धना योजना में अंकित अनिवार्य दस्तावेजों के साथ ही महिला का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, जो आधार से लिंक हो व (DBT Enabled) हो, महिला का जन्म प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आठ लाख से कम की आय का प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, यदि दिव्यांग हों तो, दिव्यांग प्रमाण पत्र, तथा कॉलम 4 में अंकित की गयी पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र एवं पति का आधार कार्ड आवश्यक है।</p> <p>समस्त दस्तावेज तैयार कर, उक्त निर्धारित समयावधि से पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराने पड़ते हैं, यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया गया तो, प्रेग्नेंसी कन्सीव करने की तिथि से (जो MCP कार्ड में अंकित हो) 730 दिन के भीतर आवेदन करना होगा तथा द्वितीय बालिका के जन्म पर, MCP कार्ड न होने की स्थिति में बालिका के जन्म तिथि से 460 दिन के भीतर आवेदन करना होगा, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उसको ऑनलाइन किया जाता है तथा आवेदन सही पाये जाने पर निर्धारित धनराशि भुगतान की जाती है।</p>
5.	सखी निवास-काम काजी महिला छात्रावास	महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गयी है, जिसमें एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने के उपरांत हॉस्टल में निवास कर सकते हैं। सुविधायें-रहने की व्यवस्था, मैस, पुस्तकालय, जिम, टी०वी० हॉल, क्रैच आदि।	उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली कामकाजी महिलायें।	वर्तमान में जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में संचालित है। हॉस्टल में जाकर, फार्म जमा करना पड़ता है, जिसमें आधार कार्ड एवं परिवार के सदस्यों का विवरण तथा फीस जमा कर हॉस्टल में निवास किया जा सकता है।
6.	नंदा गौरा	इस योजना अन्तर्गत पात्र परिवार की 02 बालिकाओं को, प्रति बालिका को दो किश्तों	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी परिवार, जिनकी	इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालिकाओं / माता-पिता / अभिभावक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	योजना	<p>में क्रमशः जन्म के समय ₹० 11000/- एवं बालिका द्वारा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर ₹० 51000/- की धनराशि दी जाती है।</p> <p><b>प्रथम किश्त हेतु कन्या के जन्म होने के 06 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है तथा बालिका का जन्म किसी चिकित्सालय/एएनएम सेंटर में होना अनिवार्य है।</b></p> <p><b>द्वितीय किश्त, बालिका द्वारा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर, जिस वर्ष 12वीं पास किया हो, उसी वर्ष जुलाई माह से आवेदन मांगे जाते हैं तथा उसी वर्ष में नवम्बर माह तक आवेदन जमा करने पड़ते हैं। अगले वर्ष में आवेदन करने पर, आवेदन मान्य नहीं होगा। बालिका द्वारा 12वीं पास उत्तराखण्ड बोर्ड/अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई/आईसीएसईसी बोर्ड/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली से किया होगा, तो ही मान्य होगा। बालिका अविवाहित होनी आवश्यक है।</b></p>	<p>मासिक आय प्रतिमाह ₹० 6000/- हो अथवा बीपीएल हो, की 2 बालिकाएं पात्र होंगी।</p> <p>माता/पिता/अभिभावक द्वारा परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में कन्या के जन्म पर योजना का लाभ दिये जाने/न दिये जाने विषयक शपथ पत्र देना अनिवार्य है, जिसमें निम्न बिंदु अंकित किये जायेंगे:-</p> <p>मेरे द्वारा चल अचल सम्पत्ति एवं अन्य चाही गयी, समस्त सूचनाएं सही सही दी गयी है।</p> <p>मैं प्रमाणित करता/करती हूँ की यह लाभ मेरी प्रथम/द्वितीय पुत्री द्वारा लिया जा रहा है।</p> <p>मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।</p> <p>मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातों का विवरण, एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट सहित दे दिया गया है।</p> <p>12वीं पास होने की स्थिति में—मेरी बालिका अविवाहित है, अंकित करना होगा।</p> <p>नारी निकेतन, बालिका निकेतन, अनाथ आश्रम, राज्य सरकार द्वारा</p>	<p><a href="https://www.nandagaura.uk.in/">https:// www.nandagaura.uk.in/</a> पर जाकर, पंजीकरण करना होता है पंजीकरण हेतु आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद निर्धारित अवधि के भीतर लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य हैं:-</p> <p><b>कन्या के जन्म पर— मातृशिशु प्रतिरक्षण/एम०सी० पी० (टीकाकरण) कार्ड, कन्या शिशु की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र, माता का संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र, माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, जो आधार से लिंक/सीड हो, मोबाइल नंबर, स्थाई निवास प्रमाण पत्र।</b></p> <p><b>बालिका के 12वीं पास करने पर— छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, जो आधार से लिंक/सीड हो, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, हाईस्कूल का प्रमाण—पत्र, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय / अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र, उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति (यदि उपलब्ध है), प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र केवल संस्थागत छात्रा के लिए आवश्यक है।</b></p> <p><b>उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्न दस्तावेज, दोनों किश्तों का लाभ लेने के लिए आवश्यक हैं:-</b></p> <p>आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद/पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, नगरीय/ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराया समझौते के कागजात ना उपलब्ध होने की स्थिति में गृह कर ना देने का ग्राम प्रधान/पार्षद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति/विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति (यदि उपलब्ध है), शपथ पत्र, अन्य आवश्यक अभिलेख परिवार के विगत 03 बार के बिजली के बिलों की प्रति तथा विगत 01 बार के पानी के बिल की प्रति कनेक्शन न होने की स्थिति में शपथ पत्र में अवश्य उल्लेख करे।</p> <p>आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			सहायतित अन्य गृहों में पलने वाली बालिकाओं को 12वीं उत्तीर्ण होने के उपरांत लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या माता-पिता के नाम की अनिवार्यता से छूट प्रदान होगी।	की जाती है एवं जांच में सही पाये जाने पर, बजट की उपलब्धता के आधार पर धनराशि खाते में भुगतान की जाती है।
7.	मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना	स्कूल पूर्व बच्चों (3 वर्ष से 06 वर्ष) को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केले चिप्स दिये जाते हैं।	3 वर्ष से 06 वर्ष बच्चे	आंगनबाड़ी केन्द्र पर जो बच्चे जाते हैं/पंजीकृत होते हैं उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान दिया जाता है।
8.	मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना	गर्भवती/धात्री महिलाओं को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन खजूर दिया जाता है जिन पंजीकृत गर्भवती/धात्री महिलाओं द्वारा अण्डा नहीं लिया जाता उनको खजूर उपलब्ध कराया जाता है।	गर्भवती/धात्री महिलायें	आंगनबाड़ी केन्द्र पर महिला पंजीकृत होते हैं, उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान किया जाता है।
9.	मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना	03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को फोर्टीफाइड मिल्क विटामिन ए व डी युक्त सुगन्धित दूध सप्ताह में चार दिन दिया जाता है।	03 से 06 वर्ष तक के बच्चे	आंगनबाड़ी केन्द्र पर जो बच्चे जाते हैं/ पंजीकृत होते हैं उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान दिया जाता है।
10.	मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना	राज्य में प्रसवोपरान्त महिला को प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर एक-एक किट एवं जुड़वा बच्चों के जन्म पर महिला को एक व बच्चों को पृथक-पृथक दो महालक्ष्मी किट से लाभान्वित किया जायेगा।	गर्भवती महिलायें (जो इनकम टैक्सपेयर न हो) जो आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हों, को प्रसवोपरान्त महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है।	आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव होने के उपरान्त, लाभ के रूप में महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। किट के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए निम्न सामग्री निर्धारित की गई है :— <b>माताओं के लिए</b> – ड्राई फ्रुट, जुराब, स्कार्प तौलिया, शाल, कंबल, बेडशीट, सैनेटरी पैड, सरसों तेल, साबुन नेलकटर। <b>बालिका के लिए</b> – सूती/गर्म ठोपी, जुराब, लंगोट, तौलिया, बेबी सोप, रबर शीट, गर्म कंबल, टीकाकरण कार्ड।
11.	तीलू रौतेली पुरस्कार	प्रत्येक जनपद से एक महिला अथवा किशोरी, जिसने किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो, को राज्य सरकार द्वारा ₹0 51000.00 की नगद धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	राज्य की ऐसी महिलाओं एवं किशोरियों जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों—सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, साहस व बहादुरी का उत्कृष्ट कार्य किया हो,	विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से वर्ष में एक बार आवेदन मांगे जाते हैं, तत्समय आवेदन विभागीय वेबसाइट <a href="https://wecd.uk.gov.in/">https://wecd.uk.gov.in/</a> पर आनलाईन करना होता है। प्राप्त आवेदनों को जनपद स्तरीय समिति द्वारा अवलोकन कर जिला स्तर से निदेशालय को तीन नाम प्रेषित किये जाते हैं। जिसे राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन कर अंतिम प्रतिभागी का

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आवेदन करेंगे।	चयन किया जाता है। पुरस्कार 8 अगस्त को वितरित किया जाता है।
12.	सैनेटरी नैपकिन योजना	किशोरी बालिकाओं/महिलाओं को ₹0 6.00 में सैनेटरी नैपकीन का वितरण किया जाता है।	किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं	समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों से खरीद सकते हैं।
13.	आंगन बाड़ी कर्मी कल्याण कोष	न्यूनतम धनराशि ₹0 30,000/- दिये जाते हैं एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ₹0. 1,30,000/- दी जाती है तथा जमा धनराशि पर प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि का प्राविधान है।	मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकारी/सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर।	आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष अन्तर्गत, पारितोषिक धनराशि प्राप्त करने हेतु, उन्हें साबंधित सीडीपीओ कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के साथ आंगनबाड़ी केन्द्र से सेवानिवृत होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संलग्न करना होगा।
14.	राष्ट्रीय महिला हैल्प लाइन 181	महिलाओं एवं किशोरियों को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक एवं त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु 181 राष्ट्रीय महिला हैल्पलाइन नम्बर संचालित किया जाता है।	महिलायें/किशोरी	पीडित एवं जरूरतमंद महिला द्वारा 181 नम्बर पर, 24 घंटे में से कभी भी काल कर अपनी समस्या को बताया जाता है। यदि किसी योजना की जानकारी प्राप्त करनी हो तो, तत्संबंधी सूचना भी एवं विभाग संबंधी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

\*\*\*\*\*

# महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।



मुख्य सेवा सदन में नंदा गौरा योजना के अन्तर्गत 80,000 लाभार्थी बालिकाओं को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से रु0 323.22 करोड़ धनराशि  
हस्तांतरित

## महिला कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	स्पान्सरशिप योजना (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रूपये 4,000/- (रूपये चार हजार मात्र) सहायता राशि बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है।	<p><b>18</b> वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ₹0 72,000/- तथा शहरी क्षेत्रों हेतु ₹0 96,000/- हो।</p> <p>ऐसे बच्चे जिन्होंने माता-पिता/ अभिभावक दोनों को खो दिया है। पी0एम0 केर्यस योजना के तहत आच्छादित बच्चे, उन परिवारों के बच्चे जिन्होंने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है।</p> <p>कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (CCL), बाल श्रम के शिकार बच्चे, अवैध व्यापार के पीड़ित बच्चे, बाल विवाह और POCSO पीड़ित बच्चे, बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों के अलावा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य बच्चे भी शामिल हैं।</p>	<p>योजना का लाभ लेने हेतु जिला परिवीक्षा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना पड़ता है तथा आवेदन पत्र के साथ बच्चे का आधार कार्ड, बैंक खाता, छोटा बच्चा होने की स्थिति में अभिभावक के साथ बैंक खाता, माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र, माता-पिता को संकटमय रोग अथवा अक्षम होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र, अभिभावक/माता पिता का आधार कार्ड आदि आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। उसके उपरांत फार्म जिला परिवीक्षा कार्यालय में जमा किया जाता है। तदपश्चात् जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति के उपरांत सभी को लाभ मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। लक्ष्य की सीमा के अंदर चयनित आवेदनों को ही लाभ मिलता है।</p>
2.	अनाथ बच्चों हेतु क्षेत्रिज आरक्षण प्राप्त करने के लिए “अनाथ प्रमाण पत्र” बनाने की प्रक्रिया	राजकीय/ अशासकीय सेवाओं में 5 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।	<p>उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक / दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) आरक्षण हेतु पात्र होंगे।</p> <p>राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, आरक्षण हेतु पात्र होंगे।</p>	<p>संबंधित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में अनाथ होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसके साथ अनाथ बच्चे का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण-पत्र, संलग्न करना होगा। तदोपरांत विभाग/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जांच करायी जाती है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उपजिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है। अनाथ प्रमाण पत्र को संबंधित बच्चा, सेवाओं में आवेदन के दौरान उपयोग कर सकता/सकती है। तभी वह अनाथ आरक्षण प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। वर्तमान में यह व्यवस्था ऑफलाइन है।</p>
3.	राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया।	18 वर्ष से ऊपर की मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओं अथवा निराश्रित महिलाओं को वस्त्र,	18 वर्ष से ऊपर की अनाथ/निराश्रित/परित्यक्त/सङ्करों पर मिलने वाली लावारिस महिला तथा मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिला, अनैतिक व्यापार में संलिप्त महिला।	<p>महिला स्वयं/कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र या अपने आसपास की मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग महिला अथवा निराश्रित के संबंध में सूचना 181 नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं तथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस/एस0डी0एम0/सिटी मजिस्ट्रेट/डी0एम0 को सूचना दे सकते हैं। उसके उपरांत पुलिस रेस्क्यू करती है तथा संबंधित महिला की चिकित्सा व अन्य जांचे कर, जिलाधिकारी के आदेश पर राजकीय महिला कल्याण एवं</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		भोजन, आवास, चिकित्सा, परामर्श, मनोरंजन तथा प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।		<p>पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में भेजती है जिसकी सूची निम्नवत है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (मानसिक), केदारपुरम देहरादून।</li> <li>राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र केदारपुरम देहरादून।</li> <li>राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, (संरक्षण गृह) नैनीताल।</li> <li>राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, (संरक्षण गृह) कोटद्वार।</li> <li>राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र पिथौरागढ़।</li> </ol>
4.	शासकीय बाल देखरेख संस्थान, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह तथा खुला आश्रय गृह में प्रवेश की प्रक्रिया।	संस्थान एवं गृह में बच्चों को वस्त्र, भोजन, आवास, चिकित्सा, परामर्श, मनोरंजन, प्रशिक्षण, शिक्षा आदि की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। उक्त सुविधाओं के साथ बच्चों को आवास के स्थान पर डे केयर सुविधा दी जाती है।	<p><b>शासकीय बाल देखरेख संस्थान में अनाथ/निराश्रित बच्चे, परित्यक्त बच्चे, अभ्यर्पित बच्चे, शोषित एवं उपेक्षित बच्चे।</b></p> <p><b>राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में विधि विवादित /कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों आते हैं।</b></p> <p><b>खुला आश्रय गृह के अन्तर्गत सड़क के किनारे निवासरत निराश्रित, भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले बच्चे एवं मलिन बस्ती के स्कूल न जाने वाले बच्चे।</b></p>	<p>बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से संबंधित बच्चों को संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाता है साथ ही 1098 टोल फी नम्बर के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान में राज्य में निम्न संस्थान/गृह स्थापित हैं -</p> <p>शासकीय बाल देखरेख संस्थान-देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा में कुल 05 स्थापित हैं।</p> <p>राजकीय सम्प्रेक्षण गृह-अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी एवं ऊधमसिंह नगर में कुल 10 स्थापित हैं।</p> <p>खुला आश्रय गृह-देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार में कुल 07 स्थापित हैं।</p>
5.	दत्तक बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया	अनाथ, निराश्रित, अभ्यर्पित बच्चों को माता-पिता कानूनी रूप से उपलब्ध हो जाते हैं एवं जो माता-पिता बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उनको कानूनी रूप से बच्चे मिल जाते हैं।	<p>बच्चों को गोद लेने के लिए माता-पिता की पात्रता :-</p> <p>भावी दत्तक माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, उनके जीवन के लिए कोई खतरनाक चिकित्सा स्थिति नहीं होगी और उन्हें किसी भी प्रकार के अपराधिक कृत्य में दोषी न ठहराया गया हो या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपी नहीं होना चाहिए। कोई भी भावी दत्तक माता-पिता उनकी वैवाहिक स्थिति और उनका जैविक पुत्र या पुत्री होने या न होने के बावजूद निम्न के अधीन बालक का दत्तकग्रहण कर सकते हैं :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>विवाहित दम्पत्ति के मामले में</li> </ul>	<p>दत्तक बच्चे ग्रहण करने हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Agency-CARA) की वेबसाईट <a href="http://www.cara.nic.in">www.cara.nic.in</a> पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है।</p> <p>ऑनलाइन पंजीकरण हेतु देश के भीतर दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार के नवीनतम फोटो, पैन-कार्ड/पास पोर्ट/आधार/वोटर आईडी/प्रवासी नागरिक कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, पिछले वर्ष का आय प्रमाण-पत्र सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/आय प्रमाण-पत्र/आयकर रिटर्न, विवाह प्रमाण-पत्र, विवाह-विच्छेद डिक्री/पति या पत्नी का मृतक प्रमाण-पत्र, भावी माता-पिता का जन्म प्रमाण-पत्र, किसी विकित्सा पेशेवर से प्राप्त इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र कि भावी माता-पिता को चिरकालिक, संकामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दोनों दत्तक ग्रहण के लिए स्वरक्ष्य हैं, एकल भावी दत्तक माता-पिता के मामले में रिश्तेदार से शपथ-पत्र, दत्तक ग्रहण परिवार में बड़ी आयु के बालक व बालकों की सहमति।</p> <p>बच्चों को गोद लेने से पूर्व बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बालकों (अनाथ, परित्यक्ता) को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			<p>दत्तक ग्रहण के लिए दोनों पति—पत्नी की सहमति आवश्यक होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कोई भी एकल महिला किसी भी लिंग के बालक का दत्तकग्रहण कर सकती है। परंतु कोई एकल पुरुष बालिका को दत्तकग्रहण का पात्र नहीं होगा।</li> </ul> <p>किसी दम्पत्ति का कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैगाहिक संबंध न होने पर बालक का दत्तक ग्रहण नहीं दिया जाएगा। बालक और भावी दत्तक माता—पिता में से किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष से कम का नहीं होगा। भावी दत्तक माता—पिता, जिन्हें 03 वर्षों के भीतर एक भी अभिदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, की ज्येष्ठता की गणना रजिस्ट्रेशन की तारीख से की जायेगी।</p>	<p>करते हुए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में भेजा जाता है जो वर्तमान में अल्मोड़ा, देहरादून हरिद्वार में हैं। जब गोद लेने वाले माता—पिता ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा संबंधित प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उनको उक्त अभिकरणों से बच्चे गोद दिये जाते हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>जिला मजिस्ट्रेट के उत्तदायित्व –</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदन भरने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर दत्तकग्रहण आदेश जारी किया जायेगा।</li> <li>2. विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या जिला बाल संरक्षण कार्यालय और बालक के सम्बन्धी परिवार या दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन लेना।</li> <li>3. सम्बन्धित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दस्तावेजों की उचित छानबीन के बाद मामले की सुनवाई के लिये आवश्यक प्रबंधन।</li> <li>4. न्यायालय के समक्ष लम्बित दत्तकग्रहण मामलों से सम्बन्धित सभी मामले नियम 45 में प्रदत्त विनियमों की अधिसूचना की तारीख से जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किये जायेंगे।</li> </ol> </li> </ul>

\*\*\*\*\*

PROGRAMME IMPLEMENTATION

# अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।



PROGRAMME

## अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।				
1.	स्व रोजगार योजना "अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोज गारों हेतु"	<p>स्वरोजगार के लिए अनुदान की व्यवस्था है। ₹0 1 लाख से 10 लाख तक का ऋण लिये जाने पर, ऋण का 25 प्रतिशत धनराशि का अनुदान। न्यूनतम 25 हजार एवं अधिकतम 2,50,000/- है।</p> <p>योजना का लाभ ऋण लेने पर ही मिलेगा, जिसमें 60 प्रतिशत ऋण लेना होगा तथा 25 प्रतिशत विभाग द्वारा अनुदान/सब्सिडी दी जाती है तथा 15 प्रतिशत अंशदान आवेदक के पास होना चाहिए। ऋण पर ब्याज बैंक में वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार लगेगा।</p>	<p>आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का हो तथा उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी हो, आयु कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष के मध्य हो, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2,50,000/- से अधिक नहीं हो अथवा बीपीएल परिवार का सदस्य हो।</p>	<p>लाभार्थी का चयन करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है। उसके उपरांत आवेदन फॉर्म प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी) के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन फार्म के साथ निर्धारित आय प्रमाण पत्र/बीपीएल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता एवं अविधित योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर आवेदन पत्र भरकर सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करेगा।</p> <p>तत्पश्चात जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है, साक्षात्कार में सफल आवेदकों के आवेदन पत्र, बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदक के बैंक को प्रेषित किया जाता है। बैंक स्वीकृति उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवदेन पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुये अनुदान की 25 प्रतिशत राशि अवमुक्त किये जाने हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है, निगम मुख्यालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति उपरान्त अनुदान की धनराशि जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा लाभार्थी से लाभार्थी अंश की 15 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करते हुये, 40 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित बैंक को प्रेषित कर दी जाती है। जिसके उपरान्त सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक को ऋण अवमुक्त कर दिया जाता है। वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन है तथा ऑनलाइन की प्रक्रिया गतिमान है।</p>
2.	मुख्यमंत्री हुनर योजना	<p>इस योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण ही दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भुगतान भी किया जाता है।</p> <p>₹. 2000/- प्रशिक्षण अवधि 100 घंटे होने पर,</p> <p>₹. 2500/- प्रशिक्षण अवधि 150 घंटे होने पर,</p> <p>₹. 4000/- प्रशिक्षण अवधि 250</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे महिला/पुरुष जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। शैक्षिक योग्यता पारम्परिक प्रशिक्षण यथा सिलाई कढाई, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक, बुनाई, आदि हेतु न्यूनतम पांचवीं/साक्षर होना चाहिये। शिक्षा राजकीय स्कूल</p>	<p>उक्त योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, उसके उपरांत आवेदक, आवेदन फार्म अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करके आवेदन उक्त कार्यालय में जमा करना होगा। उसके उपरांत जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		<p>घंटे होने पर, रु. 4500/- प्रशिक्षण अवधि 300 घंटे होने पर, प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान किया जाता है।</p> <p>विभाग, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से देती है तथा प्रशिक्षण में उपस्थिति के अनुसार मानदेय दिया जाता है।</p> <p>उपस्थिति 90 प्रतिशत होनी अनिवार्य है।</p>	<p>अथवा मदरसों से हो, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षणों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/नेटवर्किंग/एकाउन्टिंग इत्यादि व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो।</p> <p>परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 3,50,000 एवं शहरी क्षेत्र रु. 4,50,000 होनी चाहिये।</p>	<p>द्वारा, आवेदक को साक्षात्कार हेतु बुलाकर चयन किया जाता है, आवेदक को उस समय भी सभी दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। चयन के उपरांत संबंधित संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।</p> <p>प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित कराये जाते हैं। यदि किसी को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो आवेदक, विज्ञापन पूर्व भी प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा कर सकता है ताकि प्रशिक्षण शुरू होने पर संज्ञान में लिया जाये।</p>
3.	मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रु0 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण का लाभ दिया जाता है।	<p>अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र-छात्राएं जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हों, 12वीं उत्तीर्ण हो तथा वह जिस विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान में अध्ययन कर रहा हो/दाखिला लिया हो, वह केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो।</p> <p>परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु. 2,50,000 होनी चाहिये।</p> <p>ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी को शिक्षा पूर्ण करने के 6 माह/सेवायोजित के उपरांत अगले 3 वर्षों में ऋण की वापसी करनी होगी।</p>	<p>आवेदन पत्र जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर, जनपदीय कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त तक जमा किया जाता है तथा आवेदन वर्तमान में ऑफलाईन होता है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का कलर फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, जन्मप्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट, कॉलेज/संस्थान में एडमिशन प्रमाण पत्र, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज आईडी, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, इस आशय का शपथ पत्र कि ऋण योजना का लाभ प्रथम बार लिया जा रहा है।</p> <p>02 गारंटर के वेतन/आय संबंधी प्रमाण पत्र, गारंटरों के पैन कार्ड, फोटो, आधार, राशन कार्ड, हैसियत प्रमाण-पत्र रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।</p> <p>तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा उक्त आवेदन 15 सितम्बर तक निगम मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं। उसके उपरांत उत्तराखण्ड शासन में गठित चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं, जिन्हे ऋण चयन समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवं ऋण की स्वीकृत धनराशि अभ्यर्थी की मांग के अनुरूप सम्बन्धित जनपद के खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है। जनपदीय कार्यालय द्वारा सम्बन्धित आवेदक को धनराशि खाते में दी जाती है। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट सीमा के अंतर्गत ही प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं अन्य प्रस्ताव खत: निरस्त समझे जाते हैं।</p>

निदेशालय उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)	<p>दाखिला एवं शिक्षण हेतु निम्नवत छात्रवृत्ति, प्रतिवर्ष (हास्टलवासी/ दिवास्कॉलर) को दी जाती है –</p> <p>कक्षा 11वीं व 12वीं हेतु– अधिकतम रु. 7000/-</p> <p>कक्षा 11वीं व 12वीं के समकक्ष तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु– अधिकतम रु. 10,000/-</p> <p>अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट हेतु– अधिकतम रु. 3,000/-.</p> <p>एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि हेतु) प्रतिमाह दी जाती है :–</p> <p>कक्षा 11वीं व 12वीं तथा समकक्ष तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित (हास्टलवासी–380/-रु. दिवास्कॉलर–230/-रु.)</p> <p>अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम।</p> <p>(हास्टलवासी–570/-रु. /दिवास्कॉलर–300/-रु.</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं, जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे।</p> <p>अभिभावक की सभी ऋतों से वार्षिक 2 लाख से अधिक न हो।</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय के 11वीं, 12वीं/समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत तथा अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP2.0) से <a href="http://www.scholarships.gov.in">www.scholarships.gov.in</a> में कभी भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान छात्र/छात्रा की बेसिक जानकारी यथा नाम, माता-पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता आदि पूछी जाती है। पंजीकरण के उपरांत आईडी, पासवर्ड जनरेट होता है।</p> <p>छात्रवृत्ति हेतु विभाग द्वारा अखबारों में/उक्त पोर्टल पर, विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। तत्समय संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा पोर्टल की पंजीकृत आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर अथवा पंजीकरण न किया हो तो पंजीकरण कर, आवेदन करना होता है तथा आवेदन के दौरान स्कूल/संस्थान का चयन करना होता है। आवेदन के दौरान छात्र/छात्रा को शैक्षिक प्रमाण पत्र जो संबंधित छात्रवृत्तियों हेतु अनिवार्य हों, आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आदि अपलोड करके ऑनलाइन जमा करना होता है। साथ ही स्कूल/संस्थान में भी ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि स्कूल/संस्थान जांच कर सके।</p> <p>आवेदन के उपरांत आवेदक का आवेदन पत्र, स्कूल के नोडल अधिकारी के पास आ जाता है। संबंधित INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन–पत्रों को SNO(State Nodal Officer) को अग्रसारित करता है तथा SNO द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है। आवेदक के सभी दस्तावेज/पात्रता सही पाये जाने पर, भारत सरकार द्वारा पात्र अन्यथियों को डी०बी०डी० के माध्यम से सीधे छात्र/छात्रा के खाते में भुगतान किया जाता है।</p>
5.	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, 100% केन्द्र पोषित)	<p>छात्र/छात्राओं को स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स हेतु निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है –</p> <p>भरण–पोषण भत्ता (केवल 10 माह के लिए/ प्रतिवर्ष) – हॉस्टलवासी रु. 10,000/- दिवास्कॉलर रु. 5,000/- पाठ्यक्रम शुल्क – हॉस्टलवासी रु. 20,000/- दिवास्कॉलर रु. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे।</p> <p>छात्र/छात्रा के अभिभावक</p>	<p>आवेदन–पत्रों को SNO(State Nodal Officer) को अग्रसारित करता है तथा SNO द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है। आवेदक के सभी दस्तावेज/पात्रता सही पाये जाने पर, भारत सरकार द्वारा पात्र अन्यथियों को डी०बी०डी० के माध्यम से सीधे छात्र/छात्रा के खाते में भुगतान किया जाता है।</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			की सभी ऊर्तों से वार्षिक आय दो लाख पचास हजार से अधिक न हो।	
6.	अल्पसंख्यक कक्षा 9 से 10 तक प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)	कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु (हॉस्टलवासी/ दिवास्कॉलर) छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है – प्रवेश शुल्क रु 500/- शिक्षण शुल्क रु. 350/- एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएँ जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे। छात्र/छात्रा के अभिभावक की सभी ऊर्तों से वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो।	
7.	अल्प संख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना	राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कक्षा 01 से 10 तक, प्रतिमाह निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है – कक्षा 01 से 5 तक— 50 रु. कक्षा 06 से 8 तक—80 रु. कक्षा 9 से 10 तक—120 रु.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएँ जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों, पात्र होंगे।	
8.	मुख्यमंत्री अल्प संख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को निम्न प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है :– <b>हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी—</b> 60% या अधिक प्राप्तांक पर रु0 10,000/- 70 % या अधिक प्राप्तांक पर रु0 15,000/- 80 % या अधिक प्राप्तांक पर रु0 20,000/- <b>इण्टरमीडिएट/आलिम—</b> 60 % या अधिक प्राप्तांक पर रु0 15,000/- 70 % या अधिक प्राप्तांक पर रु0 20,000/-	अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राएँ पात्र होंगी जो – उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अर्थर्थी के रूप में 60 % या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों। माता/पिता/अभिभावक, गरीबी रेखा के नीचे आते हों अथवा उनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्रों को भरे जाने हेतु विज्ञापन (प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक, सामान्य रूप से) प्रकाशित किया जाता है तथा वर्तमान में आवेदन ऑफलाइन किये जाते हैं। आवेदन फार्म विभागीय कार्यालय से तथा विभागीय वेबसाइट <a href="http://www.minoritywelfare.uk.gov.in">www.minoritywelfare.uk.gov.in</a> से प्राप्त करने के उपरांत निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे – अल्पसंख्यक होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित होने एवं परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिला हो या मिलेगा, का शपथ पत्र, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आदि, फार्म के साथ लगाने के बाद विकास खण्ड कार्यालय/जिला कार्यालय में जमा करना होगा तथा विकास खण्ड कार्यालय द्वारा जिले में भेजे जाते हैं एवं जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुत कर निदेशालय से मांग की जाती है। निदेशालय स्तर से प्रस्ताव

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		80 % या अधिक प्राप्तांक पर ₹० 25,000/-	81,000/- तथा शहरी में ₹. 1,03,000/- से कम हो। छात्राएं अविवाहित हों तथा आयु 20 वर्ष से अधिक न हो। एक दम्पति की अधिकतम 2 पुत्रियों को ही इसका लाभ मिलेगा।	शासन को प्रेषित किया जाता है। बजट प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से जनपदों को मॉग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है तथा जिले से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भुगतान की जाती है। जिस वर्ष हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की है उसी वर्ष इसका लाभ मिलेगा तथा उसी वर्ष आवेदन करना अनिवार्य होगा। लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता पर होता है।
9.	मुख्यमंत्री अल्प संख्यक प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक समुदाय अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु निम्नवत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है :— संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु :— प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु ₹. 75000/- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु ₹. 25000/- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु — प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त ₹. 60,000/- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु ₹. 20,000/- राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि समूह (क)–IITs & IIMs की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश	अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलम 3 में अंकित अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी हो, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये, यदि है तो) ₹० 4.50 लाख रुपये से अधिक न हो। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्थानों की संगत परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा सफल होने का मूल आवेदन पत्र/प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही प्राविधानित अनुदान राशि देय होगी।	आवेदक, आवेदन प्रारूप निदेशालय/जिला अल्पसंख्यक कार्यालय से ले सकते हैं अथवा वेबसाइट <a href="http://www.minoritywelfare.uk.gov.in">www.minoritywelfare.uk.gov.in</a> से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल होने के 30 दिन के भीतर तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने के बाद संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। वर्तमान में आफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वघोषित अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, निर्धारित आय का वैध प्रमाण पत्र, संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा परीक्षा में सफल होने का प्रमाण, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, आधार कार्ड, शपथ पत्र (कि यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है तथा संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का यह उसका कौन सा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) प्रयास है। राजकीय सेवा में होने अथवा नहीं होने का विवरण भी देना होगा) आदि सत्यापित कर, फार्म भरकर, परीक्षा परिणाम जारी होने के 01 माह के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। जहां पर सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल प्रमाण—पत्रों की जांच की जाती है, जिस हेतु अभ्यर्थी को बुलाया जा सकता है। जांच में सही पाये जाने/पात्रता सही होने पर जिला स्तर से संकलित मांग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से निदेशालय को बजट प्राप्त होने पर, निदेशालय द्वारा जनपदों को मॉग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है, उसके उपरान्त जनपदों द्वारा धनराशि सीधे अभ्यर्थी के खाते में भुगतान की जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		<p>लेने के उपरान्त ₹० 60,000/- समूह (ख)– AIIMS, IIS बंगलौर, IISAR (कोलकाता एवं बंगलौर), MCI भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज, AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (NITs) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, BCI(Bar Council of India) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु।</p> <p>उपर्युक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त ₹. 50,000/- दिये जाते हैं।</p>		<p>यदि अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में दो या अधिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है, तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।</p>

नोट— अल्पसंख्यक वर्ग – (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन समुदाय के व्यक्ति/लाभार्थी)

\*\*\*\*\*

# श्रम विभाग, उत्तराखण्ड



मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 01.05.2022 को मुख्य सेवक सदन में विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रमिक भाईयों एवं बहनों से संवाद कर उन्हें सम्मानित किया गया


## श्रम विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	ई—श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया  (असंगठित कामगारों का एकीकृत नेशनल डेटा बेस)	<p>ई—श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर असंगठित कामगार को ई—श्रम कार्ड प्राप्त होता है, जो असंगठित कामगार की पहचान पत्र, के रूप में उपयोग होता है।</p> <p>पंजीकरण के पश्चात पंजीकृत कामगार को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 02 लाख का दुर्घटना बीमा कवर, <u>निःशुल्क आजीवन के लिए</u> होता है।</p> <p>उक्त के साथ ही सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जा रहा है। ताकि समस्त योजनाओं का लाभ पात्र असंगठित कामगार को आसानी से मिल सके तथा भविष्य में कोविड जैसे आपातकालीन स्थिति में सीधे लाभ पहुंचाया जा सके।</p>	<p>असंगठित कामगार (सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिरा और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार, फ़िल्म निर्माण में सहयोगी कलाकार, यूट्यूबर, डेली/रेडी वाले, दुकानदार, स्व—नियोजित कामगार आदि) हों,</p> <p>उक्त कामगार ई०पी०एफ०ओ०/ई०एस० आई०सी० के सदस्य न हों अथवा उसका ई०एस०आई० कार्ड न हो तथा उसका पी०एफ० न कटता हो तथा वह सरकारी सेवक न हो,</p> <p>उक्त असंगठित कामगारों की आयु 16—59 वर्ष के बीच हो।</p> <p>ई—श्रम कार्ड हेतु पात्र होंगे।</p>	<p>असंगठित कामगार द्वारा पंजीकरण स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत सरकार के ई—श्रम पोर्टल <a href="https://eshram.gov.in/">https://eshram.gov.in/</a> पर तथा UMANG ऐप के माध्यम से किया जाता है। पंजीकरण हेतु आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या आवश्यक है।</p> <p>नोट— यदि किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नज़दीकी CSC से बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा पंजीकरण करवा सकता है।</p> <p>पंजीकरण के दौरान कामगार का नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप, परिवार के विवरण इत्यादि सूचनाएं मांगी जाती है।</p> <p>पंजीकरण के उपरांत ई—श्रम कार्ड बन जाता है, जिसे भविष्य हेतु सुरक्षित रखना पड़ता है।</p>
2.	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)	<p>60 वर्ष की आयु के उपरान्त लाभार्थी को रु० 3,000/- की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। लाभार्थी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन हेतु पात्र। पति और पत्नी दोनों के योजना में शामिल होने की स्थिति में वे रु० 6,000/- मासिक पेंशन हेतु पात्र होंगे।</p> <p>यह योजना स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है, जिसमें लाभार्थी को आवेदन करने के दौरान से ही मासिक धनराशि न्यूनतम रु० 55/- से</p>	<p>18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित कर्मकार यथा—घरेलू श्रमिक, कृषि मजदूर, भवन निर्माण श्रमिक, ठेली वाले, रिक्षा वाले, मछुवारे, मनरेगा श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्त्री इत्यादि, जिनकी मासिक आय रु० 15,000/- से कम हो तथा आयकर दाता न हों।</p>	<p>आवेदक, अपना आवेदन स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल <a href="https://maandhan.in/">https://maandhan.in/</a> पर आवेदन कर सकता है।</p> <p>आवेदन करने के दौरान आधार संख्या, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, बैंक खाता, जिससे प्रतिमाह अंशदान धनराशि का भुगतान काटा</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अधिकतम रु0 200/- तक का भुगतान (उम्र के अनुसार, मासिक भुगतान सिस्टम पर स्वतः ही गणना के उपरांत निर्धारित होगा) 60 वर्ष तक करना पड़ता है तथा उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।	नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीकृत न हों।	जायेगा, का विवरण देना होगा तथा नॉमिनी का सही विवरण देना होता है। लाभार्थी प्रथम किस्त/भुगतान स्वयं ऑनलाइन जमा करेगा अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जमा करेगा। भुगतान के उपरांत पेंशन नंबर प्रदर्शित होगा।
3.	<b>राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)</b>	60 वर्ष की आयु के उपरान्त लाभार्थी को रु0 3,000/- की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलने लग जाती है। लाभार्थी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन हेतु पात्र। पति और पत्नी दोनों के योजना में शामिल होने की स्थिति में वे रु0 6,000/- मासिक पेंशन हेतु पात्र।  यह योजना भी स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है, जिसमें लाभार्थी को आवेदन करने के दौरान से ही मासिक धनराशि न्यूनतम रु0 55/- से अधिकतम रु0 200/- तक का भुगतान (उम्र के अनुसार, मासिक भुगतान सिस्टम पर स्वतः ही गणना के उपरांत निर्धारित होगा) 60 वर्ष तक करना पड़ता है तथा उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।	18 से 40 आयु वर्ग के लघु एवं खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों हेतु।  रुपया 1.50 करोड़ से कम वार्षिक टर्न ओवर वाले खुदरा व्यापारी/ दुकानदार एवं स्वनियोजित व्यक्ति।  लाभार्थी आयकर दाता न हों।	उक्त जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र जनरेट होता है, जिसमें लाभार्थी को स्वघोषणा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके पुनः अपलोड करना पड़ता है तथा उसके उपरांत पेंशन कार्ड जारी होता है, जिसे भविष्य के लिए संभालकर रखना पड़ता है। बैंक द्वारा स्वतः वैरिफिकेशन करने के उपरांत भविष्य में ऑटो डेबिट खाते से अंशदान कटने लगता है। उक्त योजना का वित्तीय प्रबन्धन पेंशन फण्ड मैनेजर – भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है।

\*\*\*\*\*

# उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तराखण्ड ।



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज राजपुर रोड, देहरादून में श्रमिकों की पुत्रियों का विवाह उपरांत आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किये।  
दिनांक 16 सितंबर 2023

## उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	श्रमिक कार्ड एवं श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण	<p>भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की समस्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु, यह कार्ड अनिवार्य है।</p> <p>यह कार्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार की पहचान के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।</p>	<p>सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों जैसे पुल, सड़क, हवाईपट्टी, सिंचाई, पानी निकासी, तटबन्ध, सुरंग, बाढ़ नियन्त्रण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल –कल, तेल एवं गैस इन्स्टालेशन, बांध, नहर, जलाशय, पाइपलाईन, टावर, टेलीविजन, टेलीफोन–मोबाइल टावर आदि से संबंधित निर्माण कार्य मरम्मत, रख–रखाव आदि में कार्य कर रहे कामगार, मनरेगा कामगार (मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन आदि) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार, पात्र होंगे।</p> <p>उक्त कर्मकारों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य तथा पिछले वर्ष में 90 दिन निर्माण श्रमिक/अन्य निर्माण संबंधी कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।</p>	<p>भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार, श्रमिक कार्ड हेतु अपना पंजीकरण/नवीनीकरण नजदीकी जन सुविधा केन्द्र अथवा श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के 02 फोटो चाहिए। उम्र के निर्धारण हेतु— 10वीं का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/किसी चिकित्साधिकारी का प्रमाण—पत्र/नोटरी सत्यापित निर्माण श्रमिक का शपथ—पत्र/वोटर पहचानपत्र/राशन कार्ड/ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान अथवा पार्षद द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, में से कोई एक प्रमाण पत्र।</p> <p>विगत वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण—पत्र तथा निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कानूनी वारिसो के नामांकन हेतु नामांकन—पत्र भी भरा जाना आवश्यक है।</p> <p>श्रमिक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, स्वप्रमाणन/स्वघोषणा पत्र (जो जन सुविधा केन्द्र अथवा श्रमिक सुविधा केन्द्रों में ही मिल जायेगा) तथा आश्रितों के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।</p> <p>उक्त दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत ₹0 100/- (सौ रुपये मात्र) पंजीकरण शुल्क जमा करना होता है। उसके उपरांत आवेदक का ऑनलाइन आवेदन संबंधित विभाग को जाता है। विभाग द्वारा दस्तावेज सही पाये जाने/जांच में सही पाये जाने पर, श्रमिक पंजिका में पंजीकृत करेंगे तथा जिस क्रमांक पर निर्माण श्रमिक का नाम दर्ज होगा वही क्रमांक उसकी पंजीयन संख्या होगी।</p> <p>पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का पंजीकरण करके फोटो युक्त पहचान—पत्र जारी किया जायेगा, जिसे श्रमिक संबंधित विभाग के जन सुविधा केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं अथवा श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्ड तीन वर्ष तक वैध होता है।</p> <p>नवीनीकरण— तीन वर्ष पूर्ण होने से पहले ही नवीनीकरण हेतु आवेदन करना पड़ता है। प्रत्येक तीन वर्ष के लिए एक सौ रुपये मात्र का अभिदाय निर्माण श्रमिक को जमा करना आवश्यक होगा। यदि कोई श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं करेगा तो आगामी समय में लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगा, परंतु प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सदस्यता बकाया राशि के साथ प्रत्यावर्तित हो सकेगी, यह सुविधा भी 2 बार से अधिक नहीं होगी।</p>
2.	पुत्र/पुत्री शिक्षा सहायता	निर्माण श्रमिक की पुत्र/पुत्री की शिक्षा हेतु निम्नवत धनराशि	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण	<p>निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, श्रमिक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, बच्चों का आधार कार्ड, बच्चों की गत वर्ष की</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		<p>वार्षिक दी जाती है :—</p> <p>कक्षा 1 से 5 तक ₹0 1,800/-</p> <p>कक्षा 6 से 10 तक ₹0 2,400/-</p> <p>कक्षा 11 से 12 तक ₹0 3,000/-</p> <p>स्नातक/ परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि ₹0 10,000/-</p> <p>व्यावसायिक पाठ्यक्रम / कोर्स करने पर, जैसे आईटीआई, पॉलटैक्निक, एवं उच्च शिक्षा हेतु कोर्स की फीस राजकीय संस्थाओं / कॉलेज के अनुसार देय होगी।</p>	<p>श्रमिक के 02 बच्चों हेतु।</p> <p>जिस वर्ष कक्षा 1 से परास्नातक तक की कक्षाओं में प्रवेश किया हो उसी वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर से अगले शिक्षा सत्र (अगला वित्तीय वर्ष) के माह जून तक आवेदन करना होगा इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता वार्षिक आधार पर दी जाती है।</p>	<p>अंकतालिका की सत्यापित प्रति (कक्षा 01 के लिए आवश्यक नहीं), शैक्षिक संस्था द्वारा अध्ययनरत होने का प्रमाण—पत्र एवं स्वघोषणा पत्र। इस संबंध में किसी अन्य विभाग/सरकार से सहायता न ली हो, का प्रमाण—पत्र, संलग्न करना होता है। उसके उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है, जांच में सही पाये जाने पर सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र हेतु आर्थिक सहायता एक बार में ही श्रमिक के खाते में उपलब्ध करायी जायगी।</p>
3.	टूल—किट सहायता	₹0 10,000/- की सीमा तक टूल— किट सहायता दी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, जमा करना होता है। विभागीय जांच के उपरांत निर्माण श्रमिक को, टूलकिट यथा हाथ के दस्ताने, निर्माण संबंधी टूल आदि दिये जाते हैं। सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल 01 बार लाभार्थी को लाभ मिलेगा।
4.	साईकिल / सिलाई मशीन सहायता	मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को साईकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रित को सिलाई मशीन उपलब्ध करायी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड तथा स्वघोषणा प्रमाण—पत्र जमा करना करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत साईकिल / सिलाई मशीन विभाग द्वारा, निर्माण श्रमिकों को बुलाकर दी जाती है। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार दी जाती है।
5.	सौर ऊर्जा सहायता	सौर ऊर्जा प्लैट्ट/ पैनल मिलेगा तथा रख—रखाव एवं सर्विस	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		चार्ज के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता से सम्पर्क करना होगा।	श्रमिक के परिवार को।	का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत सौर ऊर्जा प्लैटें/पैनल, विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता/डीलर से उपलब्ध करवाये जाते हैं। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को मिलता है।
6.	छाता सहायता	धूप तथा बारिश से बचाव हेतु छाता उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत छाता, विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को मिलता है।
7.	सैनेट्री नैपकीन	निःशुल्क सैनेट्री नैपकीन उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बालिकाओं एवं महिला श्रमिकों हेतु।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। उसके उपरांत विभाग द्वारा सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध करवाये जाते हैं।
8.	शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता (02 किश्तों में)	कुल रु0 12,000/-की धनराशि दी जाती है, जो दो किस्तों में दी जाती है (प्रथम किस्त रु0 8,000.00 एवं द्वितीय किस्त रु0 4,000.00)	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, शौचालय निर्माण संबंधी फोटो श्रमिक भी उस फोटो में उपस्थित हो तथा फोटो में शौचालय में पक्की दीवारें, लिंटर वाली छत, टैंक, पानी की व्यवस्था, सीट का लगा होना, भी आना चाहिए। जिस जमीन पर शौचालय निर्माण किया है, उसका जमीन संबंधी दस्तावेज जैसे दाखिल खारिज / खतौनी / रजिस्ट्री आदि अथवा भूमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, संलग्न करने होंगे। किसी अन्य योजना से इसका लाभ न लिए जाने एवं अन्य विभाग में लाभ हेतु आवेदन न किये जाने का शपथ पत्र, लगाकर आवेदन करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने पर प्रथम किस्त का भुगतान खाते में किया जाता है तथा निर्माण पूर्ण होने के उपरांत 01 माह बाद पुनः दूसरी किस्त के लिए समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन करना पड़ता है तथा दूसरी किस्त रु0 4000/- भुगतान की जाती है।
9.	भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु	भवन क्रय/ निर्माण हेतु रु0 50,000/- की धनराशि ऋण के रूप में मकान खरीदने अथवा निर्माण करने हेतु प्रदान की जाती	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक। भवन क्रय/ निर्माण हेतु अग्रिम ऋण प्राप्त करने के	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता तथा आवेदक द्वारा इस संबंध में किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न ली गयी हो, का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। विभागीय जांच में सही पाये जाने पर अग्रिम धनराशि भुगतान की जाती है,

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		है। इस ऋण पर कम से कम 5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देय है।	लिए कर्मकार को पांच वर्षों से निधि का सदस्य होना तथा अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति उम्र में कम से कम 15 वर्ष का समय शेष होना आवश्यक है।	जिस पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी श्रमिक द्वारा भुगतान किया जाता है। अग्रिम आहरित होने की तिथि से 06 माह के भीतर बोर्ड के सचिव को कार्य पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि की वसूली बोर्ड द्वारा निर्धारित समान किश्तों में की जाएगी।
10.	प्रसूति आर्थिक सहायता	रु0 6 हजार प्रति पुत्र/पुत्री (लेकिन यह केवल दो पुत्र/पुत्री हेतु ही है।)	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्र/पुत्री (केवल 2) हेतु प्रसूतावस्था वाली निर्माण श्रमिक।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, ए0एन0सी0 कार्ड तथा प्रसूति के संबंध में चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का, स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र तथा स्वघोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन प्रसूति की तारीख से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। यह सुविधा 02 बच्चों के जन्म पर ही दी जाती है 3 बच्चे के जन्म पर यह सुविधा नहीं दी जायेगी। आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।
11.	पुत्री विवाह आर्थिक सहायता	रु0 51 हजार प्रति विवाह (दो पुत्रियों/स्वयं के विवाह हेतु)।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनकी 2 पुत्रियों के विवाह हेतु।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, श्रमिक का बैंक खाता, शादी का कार्ड, वर-वधु के आधार कार्ड तथा विवाह होने के उपरांत पंजीकरण प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र तथा स्वघोषणा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन विवाह की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।
12.	निःशक्ता पेंशन	रु0 1,000/- प्रति माह एवं अनुग्रह राशि रु0 40,000/- दी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रूप से निःशक्त हो गये हों।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी रूप से निःशक्त होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो राजकीय सी0एम0एस0/सी0एम0ओ0 द्वारा बनाया गया हो, किसी भी योजना से लाभ न लिये जाने का शपथ पत्र, स्वघोषणा प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्रमिक को स्थायी रूप से निःशक्त होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में प्रतिमाह रु. 1000/- तथा अनुग्रह राशि एकमुश्त रु. 40 हजार का भुगतान किया जाता है।
13.	वृद्धा पेंशन	रु0 1,000/-	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है,

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	(60 वर्ष पूर्ण होने पर)	प्रतिमाह, पेंशन दी जाती है।	सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।	आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक, स्वघोषणा प्रमाणपत्र तथा किसी भी योजना का लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र की आवश्यता होती है। विभागीय <u>जांच/परीक्षण</u> में सही पाये जाने पर, पेंशन छमाही आधार पर मिलने लग जाती है तथा छः माह पर श्रमिक को जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
14.	वृद्धा पेंशन (65 वर्ष पूर्ण होने पर)	रु0 1,500.00 प्रतिमाह।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ पूर्व श्रमिक कार्ड एवं बोर्ड से पेंशन प्राप्त करने संबंधी प्रमाण—पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, किसी भी योजना का लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय <u>जांच/परीक्षण</u> में सही पाये जाने पर, पेंशन मिलने लग जाती है।
15.	कुटुम्ब पेंशन	रु0 500.00 प्रति माह या पेंशनभोगी की पेंशन का 50% जो भी अधिक हो।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो पेंशनभोगी हो, उसकी मृत्यु होने की दशा में पति/पत्नी को मिलेगी।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन के दौरान स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मृतक श्रमिक का श्रमिक कार्ड, मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि संलग्न करने होंगे। कुटुम्ब पेंशन हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 03 माह के भीतर आवेदन करना होगा। विभागीय <u>जांच/परीक्षण</u> में सही पाये जाने पर, पेंशन मिलने लग जाती है।
16.	मृत्योपरान्त अर्थिक सहायता	रु0 2 लाख (सामान्य मृत्यु होने पर) रु0 04 लाख (दुर्घटना से कारित मृत्यु की दशा में)	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को, जिनके नाम आश्रित के रूप में श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, ऑनलाईन आवेदन पंजीकृत निर्माण श्रमिक के नामित आश्रित द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम श्रमिक के श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो, श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 01 साल के अन्तर्गत आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के दौरान स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मृतक श्रमिक का श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना होने की स्थिति में, दुर्घटना संबंधी प्रमाण, आश्रित का आधार कार्ड एवं बैंकखाता विवरण संलग्न करना होगा तथा किसी अन्य योजना से यह लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र भी लगाना होगा। विभागीय <u>जांच/परीक्षण</u> में सही पाये जाने पर, अर्थिक सहायता मिल जाती है।

\*\*\*\*\*

# खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड



जनपद पौड़ी में “मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना” का शुभारम्भ

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना—गुल बी राशन कार्ड)	प्रति राशन कार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (13.3 गेंहू रु0 2.00 प्रति कि0 की दर से, 21.7 कि0ग्रा0 चावल रु0 3.00 प्रति कि0 की दर से) तथा 1 कि0ग्रा0 चीनी प्रति राशन कार्ड, रु0 13.5 प्रति कि0 की दर से दिया जाता है। वर्तमान में 01 जनवरी, 2023 से राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।	राज्य का अन्त्योदय वर्ग का परिवार/व्यक्ति :-  ● ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय रु0 4,000/- से कम हो ऐसे परिवारों को भी अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत रखा जायेगा। ● बी0पी0एल0 परिवार के एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों को अन्त्योदय योजनान्तर्गत रखा जायेगा।	अन्त्योदय अन्न योजना हेतु प्रत्येक जनपद हेतु लक्ष्य निर्धारित हैं। <b>अन्त्योदय श्रेणी से नाम हटाने की प्रक्रिया-</b> अन्त्योदय श्रेणी से ऊपर होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी जायेगी। विभाग द्वारा निरीक्षणोपरान्त सत्यता पाये जाने पर अन्त्योदय श्रेणी से कार्ड धारक को पृथक किया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी समय—समय पर स्वयं निरीक्षण की कार्यवाही करता है। अन्त्योदय श्रेणी से ऊपर पाये जाने पर हटाने की कार्यवाही की जाती है। (शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में) उक्त के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम अन्त्योदय श्रेणी से हटाना हो तो, ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव पास होने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अपने रिकार्ड से हटाया जाता है तथा संस्तुति सहित जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किये जाने के उपरांत विभाग संबंधित व्यक्ति को अन्त्योदय श्रेणी से हटाता है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा सूचना देने पर, विभाग द्वारा संबंधित अन्त्योदय कार्डधारक की जांच की जाती है तथा जांच में सूचना सही पाये जाने पर संबंधित कार्ड धारक को अन्त्योदय श्रेणी से हटाया जाता है। <b>अन्त्योदय श्रेणी में नाम जोड़ने की प्रक्रिया-</b> सर्वप्रथम आवेदक द्वारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्राप्त किया जायेगा। आवेदन के साथ परिवार के आधार कार्ड, फोटो, फोन नंबर, बैंक खाता, गैस कनेक्शन, वोटर आई0डी0कार्ड/पैन कार्ड, आय प्रमाण—पत्र, बिजली का बिल तथा ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अन्त्योदय परिवार होने संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति। समस्त दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को देगा। संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यता पाये जाने पर नाम अपने रिकार्ड में जोड़ा जाता है तथा संस्तुति सहित खाद्य आपूर्ति विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। प्रत्येक जनपद पर, जनसंख्या के अनुसार अन्त्योदय राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बनाये जाते हैं। रिक्त होने पर ही नये

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया जाता है। संबंधित व्यक्ति जिला पूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय से 10 दिन के भीतर संपर्क कर, राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव न होने की स्थिति में, उक्त दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करेगा। उसके उपरांत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा जांच कर, जांच में पात्रता पाये जाने पर, रिक्त होने पर डिजिटलाइजेशन किया जाता है।
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार-सफे द राशन कार्ड)	प्रति यूनिट 5.00 किग्रा 0 खाद्यान (02 किग्रा) 0 गेंहू रु0 2.00 प्रति किलो की दर, 3 किग्रा 0 चावल रु0 3.00 प्रति किलो की दर से) वर्तमान में 01 जनवरी, 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।	ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय रु0 15,000 से कम/ अन्त्योदय राशन कार्ड न हो। आदिवासी तथा सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार/विधवा महिला/ अकेली महिला/असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति/दिव्यांग व्यक्ति/60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, जो परिवार के मुखिया हो, परन्तु मासिक आय रु0 15,000/- से कम हो। ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 है0 से कम हो अथवा 1 है0 सिंचित तथा 2 है0 असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 है0 असिंचित भूमि से कम हो। ऐसे व्यक्ति हो रिक्षा चालक, कुली, मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, मोची, लोहार, बढ़ई, ग्रामीण दस्तकार, घरों में काम करने वाले सेवक/ सेविका, सफाई कर्मी का कार्य करते हो। ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान के अधीन उसकी भूमि के खेत जोतता है। शहरी क्षेत्रों में स्थापित मलिन एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासित ऐसी आबादी, जो जारी शासनादेश की तिथि या उससे पहले उत्तराखण्ड राज्य में उस स्थान पर निवास करता हो। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर	उक्त राशन कार्ड बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया “गुलाबी राशन कार्ड” बनाने की प्रक्रिया के अनुसार होगी परंतु दस्तावेजों के साथ रु0 15,000/- से कम का आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा पात्रता (जो कॉलम 4 में अंकित है, उनको वरीयता प्रदान की जाती है) से संबंधित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने होंगे। इस योजना हेतु परिवार की मासिक आय रु0 15,000/- से कम होनी चाहिए।

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			<p>आयकर विभाग की देयता न बनती हो।</p> <p>ऐसे व्यक्ति जो बेघर हों तथा सामाजिक वर्ग से पृथक होकर, संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों यथा विधवा आश्रम, बाल / महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगों से विकृष्टियों का आश्रम, दिव्यांग एवं वृद्धाश्रम।</p> <p>उपरोक्त पात्रता के अनुसार चिन्हित करने के अनुसार अवशेष पात्र परिवारों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गये सर्वे के आधार पर बनायी बी0पी0एल0 सूची में से न्यूनतम प्राप्त क्रमांक में से आरोही क्रम में लिया जायेगा।</p>	
3.	राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड)	प्रति राशन कार्ड धारकों को 7.50 कि0ग्रा चावल प्रति माह रु0 11.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से वितरित किया जा रहा है।	<p>ऐसा परिवार जिसकी आय 05 लाख वार्षिक या उससे कम हो, इस योजना के लिए पात्र होगा।</p>	<p>इस प्रकार के राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदक द्वारा सर्वप्रथम, क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्रारूप लिया जायेगा। आवेदन के साथ परिवार के समस्त सदस्यों का आधार कार्ड, मुखिया की फोटो, फोन नंबर, बैंक खाता, गैस कनेक्शन, वोटर आईडी कार्ड, पेन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी /जिला पूर्ति कार्यालय/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा उक्त नाम अपने रिकार्ड में जोड़ा जाता है तथा संस्तुति सहित खाद्य आपूर्ति विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर डिजिटलाइजेशन किया जाता है। संबंधित व्यक्ति जिला पूर्ति कार्यालय से 10 दिन के भीतर संपर्क कर, राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है।</p> <p>यदि संबंधित राशनकार्ड धारक की आय अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी जायेगी। उसके उपरांत विभाग द्वारा संबंधित कार्ड धारक को उक्त योजना से बाहर किया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भी समय-समय पर स्वयं भी निरीक्षण किया जाता है तथा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करने पर भी हटाने की कार्यवाही की जाती है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा सूचना देने</p>

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				पर, विभाग द्वारा संबंधित कार्डधारक की जांच की जाती है तथा जांच में सूचना सही पाये जाने पर संबंधित कार्ड धारक का राशन कार्ड निरस्त किया जाता है।
4.	मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना	वर्ष में 03 गैस सलेंडर निःशुल्क रिफिल।	राज्य के अन्त्योदय राशनकार्ड धारक (गुलाबी कार्ड)	जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा क्षेत्र की संबंधित गैस ऐजेन्सी को अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों की सूची उपलब्ध करायी जाती है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा नजदीकी गैस ऐजेन्सी से अपने राशन कार्ड का विवरण, आधार कार्ड / बैंक खाता का विवरण ऐजेन्सी में लिंक कराने के उपरांत निःशुल्क रिफिल का लाभ लिया जा सकता है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा प्रत्येक 04 माह में 01 निःशुल्क रिफिल प्राप्त करने हेतु पहले गैस का पूरा मूल्य गैस ऐजेन्सी जमा कर सिलेन्डर प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् गैस की धनराशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से वापस भुगतान की जाती है।
5.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	गरीब परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	गरीब परिवार की ऐसी महिला मुखिया को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलता है जिनका पूर्ण से कोई गैस कनेक्शन न हो तथा वह अनुजाति/जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, मोस्ट बेकवर्ड क्लास, अन्तोदय अन्न योजना के लाभार्थी (गुलाबी राशनकार्ड धारक), एसईसीसी हाउसहोल्ड अथवा कोई गरीब परिवार जो 14 बिंदुओं के अनुसार निर्धारित है, की महिला हो।	योजनान्तर्गत ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन न हो, उस परिवार की महिला के नाम से कनेक्शन निर्गत किया जायेगा। उसके लिए परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार के साथ निकटतम गैस ऐजेन्सी में आवेदन किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

## गृह (पुलिस) विभाग, उत्तराखण्ड

प्रो/आई0आर0बी0 तथा फायरमैन

नेत अभ्यर्थी वर्ष 2022-2023 का

नेत पर वितरण कार्यक्रम



दिनांक 06.06.2023 को देहरादून पुलिस लाईन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम

## गृह (पुलिस) विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनकी विधवाओं की मासिक/ पारिवारिक पेंशन।	रुपये 25,000/- मासिक/ पारिवारिक पेंशन दी जाती है।	उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा उनकी विधवा।	स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों एवं उनकी विधवाओं को आवेदन का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त करना होता है। आवेदन के प्रारूप के साथ आवेदन हेतु वांछित दस्तावेजों का विवरण 'उत्तरप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा स्वतंत्रता संग्राम पेंशन संबंधी नियम, 1975 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के पृष्ठ संख्या 13 से 17 तक में विहित है, संबंधित दस्तावेज लगाने के उपरांत, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, जिलाधिकारी द्वारा जांच के उपरांत आख्या/संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जाती है तब लाभार्थी को मिलती है।
2	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारियों को सम्मिलित रूप से अनुमन्य "सम्मान पेंशन" की योजना।	प्रतिमाह रुपये 4,800/- "सम्मान पेंशन" दी जाती है।	उत्तराखण्ड प्रदेश के अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।	संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से आवेदन, प्राप्त किया जा सकता है तथा आवेदन के साथ वांछित अभिलेखों को संलग्न कर, आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरांत ही सम्मान पेंशन स्वीकृत की जायेगी। उक्त पेंशन दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पत्नी/ विधुर पति के जीवनोपरान्त ही प्रारम्भ होगी और दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारी, जिसमें उसके पुत्र एवं पुत्री चाहे वे विवाहित हों अथवा अविवाहित हों, के साथ-साथ प्रथम पीढ़ी की उत्तराधिकारी की विधवा भी सम्मिलित रूप से पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
3	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा।	उत्तराखण्ड परिवहन निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलता है।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पुत्रवधु होना आवश्यक है और यात्रा हेतु वैध परिचय पत्र होना अनिवार्य है।	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी की विधवा पुत्रवधु को परिचय पत्र बनाने हेतु संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क स्थापित कर आवेदन हेतु वांछित दस्तावेजों के संबंध में सूचना प्राप्त करते हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा तदक्रम में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उन्हें परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। परिचय पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की जा सकती है।
4	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये	प्रतिमाह रुपये 6,000/- पेंशन दी	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों जो किसी कारणवश सेवायोजित नहीं हो सके।	संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, आवेदन हेतु कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। आन्दोलनकारियों की चिन्हित सूची पूर्व से जारी है तथा कतिपय यदि छूटे हों तो तत्संबंधी परिचय पत्र बनाने के उपरांत ही उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	आन्दोलनकारियों की पेंशन।	जाती है।		<p>हेतु पात्र होंगे। उक्त श्रेणी के अंतर्गत राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-777/XX(4)/26/उ0 आ0/2006-08 दिनांक 22.10.2008 तथा सपष्टित शासनादेश संख्या 1192/बीस.4/2017-3(13)/2011 दिनांक 01.12.2017 में विहित मानकों के पूर्ण होने पर ही चिन्हीकरण संभव होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी।</p> <p><b>चिन्हीकरण-</b> उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को जिलाधिकारियों एवं उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया जाता है तथा चिन्हीकरण अग्रलिखित अभिलेखों के आधार पर किया जाता है— एलआईयू की रिपोर्ट, पुलिस के अन्य अभिलेख यथा डेली डायरी के प्रासंगिक अंश, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) जिस रूप में भी दर्ज हो, चिकित्सालय संबंधी रिपोर्ट, ऐसे अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचनाएं जिनकी प्रमाणिकता जिलाधिकारी द्वारा पुष्ट की जाये, के उपरांत ही पहचान पत्र निर्गत किया जाता है।</p>
5	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलन कारियों की पेंशन योजना।	रुपये 4,500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न समस्त ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों, जिन्हें आन्दोलनकारी पेंशन अथवा किसी अन्य राजकीय स्त्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी अथवा वे राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं थे, को संबंधित पेंशन अनुमन्य होगी।	<p>संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर, प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा।</p> <p>प्रार्थना पत्र के साथ वांछित अभिलेख जमा करने होंगे, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरांत ही पेंशन स्वीकृत की जायेगी।</p>
6	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों (पति / पत्नी) को आन्दोलनकारी की मृत्यु	रुपये 4,500/- प्रतिमाह आश्रितों को पेंशन दी जाती है।	राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न समस्त ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों, जिन्हें आन्दोलनकारी पेंशन या किसी अन्य राजकीय स्त्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी या वे राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं थे, के आश्रितों	<p>संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर, प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा।</p> <p>प्रार्थना पत्र के साथ वांछित अभिलेख जमा करने होंगे, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरांत ही पेंशन स्वीकृत की जायेगी।</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	उपरांत पेंशन योजना।		(पति / पत्नी) होंगे।	
7	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शाय्याग्रस्त हुए राज्य आन्दोलनकारियों की विशेष सम्मान पेंशन योजना।	प्रतिमाह रूपये 20,000/- विशेष सम्मान पेंशन दी जाती है।	लाभार्थी वे होंगे जो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान दिव्यांग होकर पूर्णतः शाय्याग्रस्त (Bedridden) हुए हों।	संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। आवेदन हेतु प्रारूप उपलब्ध नहीं है किन्तु इस सम्बन्ध में विशेष सम्मान पेंशन हेतु आवेदक को पूर्णतः शाय्याग्रस्त (Bedridden) होने के सम्बन्ध में स्टेट मेडिकल बोर्ड/ मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
8	आपातकालीन अवधि (दिनांक—25.06.1975 से दिनांक—21.03.1977 तक) में मीसा / डी०आई०आर० में कारागार में निरुद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की “लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन” योजना।	प्रतिमाह रूपये 20,000/- ‘लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन’ दी जाती है।	लाभार्थी वे होंगे जो आपातकालीन अवधि (दिनांक—25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा / डी०आई०आर० में कारागार में निरुद्ध रहे हों।	संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी।
9	आपातकालीन अवधि (दिनांक—25.06.1975 से दिनांक—21.03.1977 तक) में मीसा / डी०आई०आर० में कारागार में निरुद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को “लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन” योजना।	प्रतिमाह रूपये 20,000/- ‘लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन’ दी जाती है।	लाभार्थी आपातकालीन अवधि (दिनांक—25.06.1975 से दिनांक—21.03.1977 तक) में मीसा / डी०आई०आर० में कारागार में निरुद्ध रहे लोकतंत्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति होंगे।	संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। आवेदन हेतु प्रारूप उपलब्ध नहीं है। आवेदन हेतु साक्ष्य के रूप में आवेदक/आवेदिका को इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उनके रखो पति/पत्नी लोकतंत्र सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे थे अथवा वे आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा / डी०आई०आर० में कारागार में निरुद्ध/जेल रहे।

\*\*\*\*\*

# न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)



## न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना।	<p>निःशुल्क विधिक सेवा के लिए पात्र व्यक्ति, जिनको कोई मामला फाइल करना है या फाइल कर दिया गया है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन, राज्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति से जैसे भी वाद हो, निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार होगा।</p>	<p>निःशुल्क विधिक सहायता हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होंगे :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,</li> <li>2) संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,</li> <li>3) सभी महिलायें एवं बच्चे,</li> <li>4) सभी दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,</li> <li>5) बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प, औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,</li> <li>6) औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,</li> <li>7) जेल/कारागार/संरक्षण गृह/ किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति,</li> <li>8) भूतपूर्व सैनिक,</li> <li>9) ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्ति,</li> <li>10) वरिष्ठ नागरिक,</li> <li>11) एच.आई.टी./एड्स संक्रमित व्यक्ति,</li> <li>12) ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त खोतों से वार्षिक आय रु0 3,00,000 (रु0 तीन लाख) से कम हो।</li> </ol> <p>नोट :— क्रम संख्या—1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक</p>	<p>निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, समस्त जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर विधिक सेवा समितियां स्थापित हैं। मा0 उच्च न्यायालय परिसर (गेट नम्बर-7) ई-सेवा केन्द्र, पर स्थापित है जहां पर फार्म जमा कर तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल के दूरभाष नम्बर-09412979696 पर सम्पर्क कर विधिक सहायता/परामर्श लिया जा सकता है। राज्य प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस में विधिक सहायता हेतु लाइन नम्बर 15100 और टॉल फ्री नम्बर 1800 180 4000 संचालित है, जहां पर कॉल कर विधिक सहायता/परामर्श लिया जा सकता है।</p> <p>निःशुल्क विधिक सहायता हेतु यदि कोई वरिष्ठ नागरिक/महिला/बच्चे सम्बन्धित कार्यालय में आने/ऑनलाइन फार्म जमा करने में असमर्थ हों उस स्थिति में लीगल वॉलेन्टियर्स मदद कर सकते हैं, जो राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक तैनात हैं, जिनकी सूची, नाम, मोबाइल नंबर वेबसाइट <a href="https://slsa.uk.gov.in">https://slsa.uk.gov.in</a> से प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>जिला स्तर पर, प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में फ्रंट ऑफिस स्थापित है जहां पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या फार्म जमा कर विधिक सहायता /परामर्श लिया जा सकता है। <a href="https://nalsa.gov.in/lSAMs/nologin/applicationFiling.action?requestLocale=en">https://nalsa.gov.in/lSAMs/nologin/applicationFiling.action?requestLocale=en</a> इस लिंक पर जाकर भी निःशुल्क विधिक सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन फार्म राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखण्ड की वेबसाइट <a href="https://slsa.uk.gov.in">https://slsa.uk.gov.in</a> से डाउनलोड किया जा सकता है।</p> <p>पात्र लाभार्थी को फार्म जमा करने हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :—</p> <p>आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एस.सी./एस.टी. है तो जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए राज्य सरकार/ जिला प्रशासन द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण-पत्र, ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त खोतों से वार्षिक आय रु0 3,00,000 (रु0 तीन लाख) या उससे कम हो तो आय प्रमाण- पत्र/ बीपीएल प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आय की कोई सीमा नहीं है।	
2.	बहु उद्देशीय शिविरों / जन जागरूकता शिविर / चिकित्सा शिविरों / विधिक सेवा शिविरों का आयोजन	माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तहसील विधिक सेवा समितियों तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शहरी क्षेत्र से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक बहुउद्देशीय शिविरों, जागरूकता कार्यक्रम तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।	सम्बन्धित कार्यक्रमों के संचालन से समस्त तबके के व्यक्ति/महिला/बच्चे, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, एसिड हमले के पीड़ित नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ित नागरिकों, को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाता है। उक्त शिविर, समस्त विभागों की उपस्थिति में आयोजित होते हैं।	जन-जागरूकता कार्यक्रम, बहुउद्देशीय (नवीन विधिक सेवा शिविर) जन- जागरूकता शिविर/चिकित्सा शिविर का आयोजन किये जाने से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा संबंधित क्षेत्र/ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों/ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया जाता है ताकि स्थानीय जनता बहुउद्देशीय शिविरों/जनजागरूकता शिविरों का लाभ प्राप्त कर सके। इन शिविरों में प्रतिभाग निःशुल्क होता है तथा बहुउद्देशीय शिविरों में यदि किसी वंचित व्यक्ति को अपने प्रमाण पत्र, चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता प्राप्त करनी हो तो, संबंधित शिविर में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। शिविरों के अपडेट हेतु <a href="https://slsa.uk.gov.in">https://slsa.uk.gov.in</a> में जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
3.	विशेष अभियान – "हमदर्द"	सम्बन्धित योजना/अभियान के अन्तर्गत समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं, उनके कानूनी अधिकारों तथा इन कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच, कौशल विकास, स्वरोजगार, तकनीकी और वित्तीय साक्षरता, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में डोर-टू-डोर कार्यक्रम आयोजित	उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा प्रदेश के समस्त वरिष्ठ नागरिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग तथा अन्य निराश्रितों के लिए यह विशेष अभियान आयोजित किया गया है।	प्रत्येक जिले के जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिले के प्रत्येक वाह्य न्यायालय व प्रत्येक तहसील स्तर पर नियुक्त अधिकारी, नामित अधिवक्ता, स्टॉफ और पैरा विधिक स्वयंसेवकों (Para-Legal Volunteers) को एक से तीन दिनी प्रशिक्षण दिलाया जाता है, ताकि उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति पहुंचे तो वह उसकी मदद कर सके। आवश्यकता पड़ने पर पैरा विधिक स्वयंसेवकों द्वारा डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो, वह अपने क्षेत्र के लीगल वालंटियर से सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लीगल वालंटियर का दायित्व होगा कि वह बुजुर्ग/दिव्यांग/निराश्रितों की मदद करें। लीगल वालंटियर का नाम, मोबाइल नंबर,

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		कराये जाते हैं।		वेबसाइट <a href="https://slsa.uk.gov.in">https://slsa.uk.gov.in</a> में उपलब्ध है।
4.	“उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/ उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020”	<p>अपराध से पीड़ित महिलाओं को न्यूनतम 3 लाख से अधिकतम 10 लाख तक की आर्थिक सहायता/प्रतिकर के रूप में धनराशि मुहैया करायी जाती है।</p> <p>मुआवजे का आवेदन राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होने पर, पीड़िता/आश्रित को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित कर सकता है या रु. 5000/- अथवा 10,000/- जैसी आवश्यकता हो, सदस्य—सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तत्काल वितरित किया जायेगा।</p> <p>यदि कोई यौन हिंसा/एसिड हमले से पीड़ित महिला एक से अधिक अपराधों से आच्छादित हो तो, वह मुआवजे की समेकित धनराशि की हकदार होंगी।</p>	<p>सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, बलात्कार के कारण गर्भावस्था, हिंसा फलस्वरूप गर्भपात अथवा प्रजनन क्षमता की हानि, जीवनक्षति, दिव्यांगता, शारीरिक क्षति या मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो, जलने के कारण पीड़ित, एसिड हमले में पीड़ित राज्य की समस्त महिलाएं/उनके आश्रित, प्रतिकर का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।</p>	<p>प्रतिकर दो प्रकार का दिया जाता है, एक अंतरिम प्रतिकर, जो अपराध के बाद तत्काल राहत देने हेतु मुहैया कराया जाता है, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा उपचार का आदेश किया जा सकता है अथवा जैसी आवश्यकता हो, रु0 10,000/- तक की धनराशि दी जा सकती है। दूसरा, अंतिम प्रतिकर—इसमें पीड़िता को अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार, रु0 3 लाख से 10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।</p> <p>अंतरिम प्रतिकर हेतु अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के तुरंत पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष इसकी हार्ड/साप्ट कॉपी अनिवार्य रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से साझा करेंगे, ताकि पात्र मामलों में अंतरिम प्रतिकर प्रदान करने हेतु स्वतः तथ्यों का प्रारम्भिक सत्यापन कर सकें एवं स्वतः भी पीड़िता को धनराशि मुहैया करा सकते हैं। साथ ही पीड़िता/आश्रित, अपराध होने के तत्काल बाद, अपना आधार कार्ड, एफआईआर दर्ज की प्रति, मेडिकल प्रमाण पत्रों के साथ जिला विधिक/राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के विकिटम कम्पनशेसन आप्सन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।</p> <p>अंतिम प्रतिकर प्राप्त करने हेतु पीड़ित/उसके आश्रित अथवा संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए एफआईआर की रिपोर्ट, चार्जसीट, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिस कोर्ट में वाद लम्बित है, का विवरण, यदि केस डिस्पोज हो गया हो तो तत्संबंधी आदेश, यदि केस हियरिंग में हो तो तत्संबंधी विवरण, पूर्व में अंतरिम सहायता प्राप्त की हो तो, तत्संबंधी आदेश, उपचार पर व्यय हुए धनराशि के बिल/विवरण, वित्तीय हानि होने का विवरण, संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करने होंगे। अथवा ऑनलाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के विकिटम कम्पनशेसन आप्सन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उसके उपरांत, सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा जांच कर धनराशि पीड़िता/आश्रित को मुहैया करायी जाती है।</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				यदि पीडिता/आश्रित को कानूनी ज्ञान न होने के कारण, आवेदन करने में दिक्कत हो तो, तत्संबंधी सहायता हेतु पैरा लीगल वॉलंटियर, पैनल अधिवक्ता की निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। पैरा लीगल वॉलंटियर, पैनल अधिवक्ता की सूची राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट में उपलब्ध है।
5.	“विधिक सेवा रथ” का संचालन / कार्यान्वयन।	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मोबाइल वैन “विधिक सेवा रथ” को जन-जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक एक माह में दो से तीन जनपदों के हर शहरी क्षेत्र से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के लिए भेजा जाता है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाचित्र द्वारा दिखाया जाता है। विभिन्न विषयों पर प्रकाशित “सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तक” निःशुल्क वितरित की जाती है।	जिस क्षेत्र में संबंधित वैन जाती है, उस क्षेत्र की समस्त जनता, इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। भ्रमण कार्यक्रम हेतु गठित टीम सदस्यों द्वारा “विधिक सेवा रथ” में स्थापित प्रोजेक्टर के माध्यम से योजनाओं के बारे में आमजन को बताया जाता है।	जिस क्षेत्र में विधिक सेवा रथ, जाते हैं उस समय तत्संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा पुस्तकों की प्राप्ति के लिए पुस्तक वितरण पंजिका में सम्बन्धित व्यक्ति का नाम, पता/दूरभाष/मोबाइल नम्बर व हस्ताक्षर अंकित करवाया जाता है एवं पुस्तक निःशुल्क प्रदान की जाती है। आपके क्षेत्र में कब विधिक सेवा रथ आयेगा, इसकी सूचना पैरा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से किया जाता है, जिनके नाम, मोबाइल नंबर सहित समस्त सूचना उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट <a href="http://www.slsa.uk.gov.in">www.slsa.uk.gov.in</a> पर उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति/महिला अथवा बच्चे को उक्त पुस्तकों की नितान्त आवश्यकता होती है तो वह जिला मुख्यालय में स्थित जिला प्राधिकरण के कार्यालय में एक लिखित पत्र प्रस्तुत करते हुए सम्बन्धित पुस्तकों की प्राप्ति कर सकता है। इस बावजूद किसी भी दस्तावेज अथवा परिचय पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

\*\*\*\*\*

PROGRAMME IMPLEMENTATION

# बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित “प्रवेशोत्सव” कार्यक्रम के अवसर पर  
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।  
दिनांक 11 अप्रैल, 2023

## बेसिक शिक्षा विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	निःशुल्क पाठ्य -पुस्तक योजना	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करायी जाती है।	समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं राज्य सरकार मान्यता प्राप्त मदरसे, के कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र-छात्रायें पात्र हैं।	संबंधित स्कूलों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को स्कूल स्तर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, सत्र के प्रारम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती है।
2.	निःशुल्क जूता एवं बैग योजना	बालक बालिकाओं को जूता एवं बैग खरीदने हेतु, कक्षा 1 से 5 तक ₹0 318.00 तथा कक्षा 6 से 8 तक ₹0 462.00 प्रति छात्र, ₹0.00 टी0 द्वारा धनराशि भुगतान की जाती है।	समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्रायें पात्र होंगे।	छात्र-छात्राओं को प्रधानाचार्य के पास आधार कार्ड, बैंक खाता जमा करने पर, सत्र प्रारम्भ होने पर ₹0.00 टी0 द्वारा धनराशि भुगतान की जाती है।
3	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0 पोषण) योजना	दोपहर का भोजन मेन्यू के आधार पर पकाकर बच्चों को खिलाया जाता है, जिसमें दाल चावल/सब्जी निर्धारित है। सप्ताह में 01 दिन अण्डा, फल, गुड़ पापड़ी आदि दिया जाता है तथा सप्ताह में दो दिन फोटिंफाइड दूध भी उपलब्ध कराया जाता है।	समस्त राजकीय विद्यालय/सहायता प्राप्त विद्यालय/मदरसा/स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राएं, इस योजना हेतु पात्र होंगे।	विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कार्य दिवसों में उपस्थित रहने पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
4	राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया।	कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में प्रवेश करने के उपरांत, निःशुल्क शिक्षा, भोजन, जूता-बैग, पुस्तकों प्रदान की जाती है।	कक्षा 01 में प्रवेश करने हेतु बच्चे की उम्र 06 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वर्तमान में आंगनवाड़ी बाल वाटिका में पंजीकृत विद्यार्थी कक्षा 1 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।	राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 में प्रवेश प्रतिवर्ष माह अप्रैल में शुरू होता है प्रवेश करने के दौरान बच्चे का अस्पताल /ए0एन0एम0 का रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी का अभिलेख, ग्राम पंजिका/परिवार रजिस्टर, अभिभावक /माता-पिता द्वारा बच्चे की आयु के सम्बन्ध में दिया गया घोषणा-पत्र में से कोई एक अभिलेख मान्य है, यदि कोई अन्य स्कूल से आता है तो संबंधित स्कूल छोड़ने की ₹0.00 अनिवार्य होगी।

\*\*\*\*\*

# माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



दिनांक 27.07.2023 को मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड परिषदीय परीक्षा, 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित

## माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	आवासीय— राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/ राजीव गांधी अभिनव विद्यालय	<p>कक्षा 6 से 12 तक छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (पठन-पाठन), आवास, भोजन, खेल इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।</p> <p>इन विद्यालयों में कुल सीटों का 50 प्रतिशत बालिकाओं एवं 50 प्रतिशत बालकों के लिए आरक्षित है तथा उक्त सीटों में 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं।</p> <p>उक्त सीटों पर अनु०जाति०, जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनाथ आदि आरक्षण अनुमन्य है।</p> <p>इनमें प्रवेश कक्षा 6 के लिए होता है।</p>	<p>उत्तराखण्ड में कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्रायें।</p> <p>जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल से कक्षा 3 एवं 4 पास किया हो तथा कक्षा 5 में उसी स्कूल में अध्ययनरत हो।</p>	<p>प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड परिषदीय परीक्षा बोर्ड, रामनगर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिस हेतु बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष माह सितम्बर से दिसम्बर तक विज्ञापनों के माध्यम से विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन पत्र बोर्ड की बेवसाईट <a href="https://ubse.uk.gov.in/">https://ubse.uk.gov.in/</a> से डाउन लोड की जा सकती है। आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी का फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य जाति वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (E.B.C.), अनाथ प्रमाण पत्र, तथा कक्षा 3, 4 पास होने का अंक पत्र एवं कक्षा 5 का प्रवेश पत्र संलग्न कर, अध्ययनरत स्कूल में जमा करेंगे। सम्बन्धित स्कूल द्वारा सभी आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के बाद विद्यार्थी का प्रवेश पत्र स्कूल में प्राप्त होता है तथा माह फरवरी में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। परीक्षा मैरिट में आने के बाद विद्यालय विद्यार्थी को बताता है तथा विद्यार्थी कक्षा 6 से आवासीय—राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी अभिनव विद्यालय में प्रवेश करता है।</p>
2	पण्डित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार	<p>राज्य स्तर पर सर्वोत्कृष्ट परिणाम देने वाले 3 विद्यालयों को इण्टर स्तर पर क्रमशः रु० 10.00 लाख, रु० 5.00 लाख, व रु० 3.00 लाख तथा हाईस्कूल स्तर पर क्रमशः रु० 8.00 लाख, रु० 4.00 लाख एवं रु० 2.00 लाख पुरस्कार एवं इण्टर स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान वाले छात्र छात्राओं को क्रमशः रु० 21 हजार, रु० 15 हजार एवं रु० 11 हजार पुरस्कार तथा चतुर्थ से दशवें स्थान तक के छात्र छात्राओं को रु० 5100 का पुरस्कार प्रदान किया</p>	<p>उत्तराखण्ड बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटर स्तर पर सर्वोत्कृष्ट परिणाम देने वाले 03 हाई स्कूल एवं 03 इंटर स्तर के विद्यालयों को यह लाभ प्रदान किया जाता है।</p> <p>उत्तराखण्ड बोर्ड परिषदीय परीक्षा के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इण्टर के छात्र-छात्राओं को यह लाभ मिलता है।</p>	<p>माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने पर, बोर्ड से सूची प्राप्त करता है तथा बोर्ड के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इण्टर के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली धनराशि की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर, मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करते हैं। संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, स्कूलों को छात्रों की संख्या के अनुसार ड्राफ्ट देते हैं एवं स्कूल विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं अथवा कई बार पुरस्कार समारोह आयोजित कर, विद्यार्थियों को धनराशि ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित किये जाते हैं।</p> <p>इसमें विद्यार्थी को कोई आवेदन नहीं करना पड़ता</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जाता है तथा हाईस्कूल स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान वाले छात्रछात्राओं को क्रमशः ₹0 15 हजार, ₹0 11 हजार, एवं ₹0 8 हजार पुरस्कार तथा चतुर्थ से दसवें स्थान तक के छात्र-छात्राओं को ₹0 5100 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।		है।
3	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल योजना)	कक्षा 9 में ₹0 2850 प्रति बालिका की दर से, जिसमें मैदानी क्षेत्रों के लिए साईकिल एवं पर्वतीय क्षेत्र में ₹0 2850 की एफ.डी. के माध्यम से।	उत्तराखण्ड बोर्ड के अधीन राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशा० मा० विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या प्राप्त कर, विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्रायें।	उत्तराखण्ड बोर्ड के अधीन राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशा० मा० विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या प्राप्त कर, विद्यालयों को साइकिल/एफ.डी. प्रदान करता है तथा विद्यालय अध्ययनरत बालिकाओं को साइकिल/एफ.डी. उपलब्ध कराता है। इसमें विद्यार्थी कोई आवेदन नहीं करता।
4	डॉ शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के घोषित परिणाम में 100 शीर्ष स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं में से गढ़वाल मण्डल के 50 एवं कुमाऊँ मण्डल से 50 छात्र-छात्राओं को ₹0 1500.00 प्रतिमाह की दर से 10 माह।	इस परीक्षा में वह विद्यार्थी शामिल होंगे जो, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों (केन्द्रीय एवं आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 8 में संस्थागत छात्र-छात्र के रूप में अध्ययनरत हो। कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कक्षा 09 से 12 तक 4 वर्ष हेतु दिया जायेगा।	इन छात्रवृत्ति परीक्षाओं में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर-अक्टूबर में आवेदन-पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in, एवं SCERT उत्तराखण्ड की वेबसाइट scert.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी मान्य है। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन /परीक्षा शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 7 का अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, संलग्न करना होगा तथा फॉर्म में सही जानकारी लिखनी होगी एवं फॉर्म, अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जमा करना होगा। प्रधानाचार्य, फॉर्म में लगे दस्तावेजों एवं स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर फोटो एवं फॉर्म पर संस्तुति देंगे तथा फॉर्म को जांच कर, अनुमानित तिथि 12 नवम्बर तक, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के उपरांत खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं। विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिवर्ष जनवरी माह में परीक्षा आयोजित होती है सफल होने के
5	श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के घोषित परिणाम के आधार पर डॉ० शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति के उपरान्त बाकी छात्र-छात्राओं को प्रति विकासखण्ड से 05 छात्र-छात्राओं (95X5=475) का चयनोपरान्त छात्रवृत्ति देय होगी, ₹0 1000.00 प्रतिमाह 10 माह।		

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				उपरांत, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी से आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता विद्यालय में जमा करेगा तथा विद्यार्थी को छात्रवृत्ति खाते में मिलने लग जाती है।
6	आर0आई0 एम0सी0 छात्रवृत्ति (सैनिक छात्रवृत्ति)	रु0 1000.00 प्रतिमाह के दर से छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देय है।	राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अध्ययनरत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/ छात्रायें	विद्यार्थी, RIMC में प्रवेश करने के उपरांत, कॉलेज के प्रशासकीय कार्यालय में छात्रवृत्ति हेतु अनुरोध पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं आधार लिंक बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करता है तथा RIMC उत्तराखण्ड के समस्त छात्र-छात्राओं का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करता है। विभाग प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कॉलेज को धनराशि उपलब्ध कराता है तथा कॉलेज प्रतिमाह रु0 1000/- छात्र-छात्र को अध्ययनरत होने तक उपलब्ध कराता है।
7	प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति	रु0 12000/- तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृत्ति 40,000. वार्षिक।  रु0 12,001 से 15,000/- तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को 30,000 वार्षिक।  रु0 15,001 से 18,000/- तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को 20,000 वार्षिक।  रु0 18,001 से 22,000/- तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को 10,000 वार्षिक।	प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूलों में कक्ष 6-12वीं तक के, उत्तराखण्ड मूल के समस्त विद्यार्थी।  परिवार की आय के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है।  रु0 22,000— मासिक आय से ऊपर वाले परिवार के विद्यार्थी को यह छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं है।	विद्यार्थी राज्य के बाहर जिस सैनिक स्कूल में अध्ययनरत होगा, उस स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देकर एवं प्रार्थना पत्र के साथ परिवार का आय प्रमाण पत्र (तहसील से निर्गत वैध प्रमाण पत्र), विद्यार्थी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाते का प्रमाण जमा करेगा। राज्य के बाहर स्थित सभी सैनिक स्कूल, प्रार्थना पत्रों को, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल सभी प्रार्थना पत्रों को एकत्रित कर, प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजेगा तथा विभाग, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को धनराशि आवंटित करते हैं एवं विद्यालय, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं।
8	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर)	कक्षा 06 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को रु0 600 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु। कक्षा 07 – रु0 700 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु। कक्षा 08 – रु0 800 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु	राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशा0 विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में कक्ष 5 (संस्थागत) से उत्तीर्ण किया हो एवं कक्ष 6 में अध्ययनरत हो,	छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माह जून-जुलाई में आवदेन-पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk. gov.in, एवं SCERT उत्तराखण्ड की वेबसाइट scert.uk. gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			<p>ऐसे छात्र छात्राओं के मध्य SCERT द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित करायी जाती है।</p> <p>परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्रतिभागी छात्रों में से 10 प्रतिशत श्रेष्ठता वाले छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।</p> <p>चयनित विद्यार्थी को कक्षा 6 एवं 7 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति/जनजाति को 5 प्रतिशत अंकों/उपस्थिति में अधिमान।</p> <p>छात्रवृत्ति हेतु अम्भर्थी के माता-पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रावधान नहीं है।</p> <p>किसी भी विद्यार्थी को राज्य की छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ नहीं दिया जायेगा।</p>	<p>आवेदन प्रक्रिया आफलाइन है। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/परीक्षा शुल्क देय नहीं है।</p> <p>आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 5 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा 6 में अध्ययनरत होने का प्रवेश पत्र, आधार लिंक बैंक खाता, विवरण संलग्न करना होगा तथा फॉर्म में सही जानकारी लिखनी होगी एवं फॉर्म अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जमा करना होगा।</p> <p>प्रधानाचार्य, दस्तावेजों/स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर फोटो एवं फॉर्म पर संस्कृति देंगे तथा फॉर्म की जांच कर अनुमानित तिथि 21 अगस्त तक, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के उपरांत खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं।</p> <p>विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा प्रतिवर्ष अनुमानित सितम्बर माह में आयोजित होती है तथा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होती है। मेरिट में आने पर प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी को धनराशि उसके खाते में मिलने लग जाती है।</p>
9	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर )	कक्षा 09— रु0 900 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु । कक्षा 10— रु 900 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु ।	<p>राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में कक्षा 8 (संस्थागत) से उत्तीर्ण किया हो एवं कक्षा 9 में अध्ययनरत हो, ऐसे छात्र/छात्राओं के मध्य SCERT द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित करायी जाती है।</p> <p>चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति/</p>	<p>आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 8 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा 9 में अध्ययनरत होने का प्रवेश पत्र।</p> <p>अन्य प्रावधान क्रमांक 8 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार।</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			जनजाति को 5 प्रतिशत अंकों/उपस्थिति में अधिमान। अन्य प्रावधान क्रमांक 8 में उल्लिखित पात्रता के अनुसार।	
10	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12)	कक्षा 11— रु0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु कक्षा 12— रु0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु	राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाती है। चयनित विद्यार्थी को कक्षा 11 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति/जनजाति को बोर्ड परीक्षा में 5 प्रतिशत अंकों/उपस्थिति में अधिमान। अन्य प्रावधान क्रमांक 8 में उल्लिखित पात्रता के अनुसार।	इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देनी होती है। विभाग स्वयं बोर्ड के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों का चयन करता है। विद्यार्थी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्कूल में आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में पास होने का प्रमाण पत्र संलग्नक कर प्रार्थना पत्र के साथ जमा करेंगे। विद्यालय में बजट उपलब्ध होने पर धनराशि विद्यार्थी के खाते में भेजी जाती है।

\*\*\*\*\*

# समग्र शिक्षा परियोजना, उत्तराखण्ड।



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित “प्रवेशोत्सव” कार्यक्रम का द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

दिनांक 11 अप्रैल, 2023

## समग्र शिक्षा परियोजना

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	<b>ECCE (प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा)</b>	<p>राज्य के राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवस्थापना विकास (फर्नीचर, टी०एल०एम०, चाइल्ड, फैडलंग फर्नीचर) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराना।</p> <p>आंगनबाड़ी कार्यक्रियों एवं सहायिका का प्रशिक्षण।</p> <p>बच्चों की विद्यालय पूर्व तैयारी एवं कक्षा- 1 में प्रवेश से पूर्व बच्चा संज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कौशल प्राप्त कर सके।</p>	<p>3 से 6 आयु के बालक/बालिका अह होंगे। 6 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व की अवस्था।</p>	<p>बच्चे को संबंधित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में ले जाना पड़ता है तथा साथ में बच्चे का आधार कार्ड अथवा जन्म प्रमाण पत्र, जिससे आयु प्रमाणित हो सके, ले जाना पड़ता है, जो बच्चे के प्रवेश पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। प्रवेश निःशुल्क है तथा बच्चे का प्रवेश 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बीच कभी भी कर सकते हैं।</p> <p>राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों/बालवाटिका में सेवित क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित आयु वर्ग के समस्त बच्चों का पंजीकरण।</p>
2.	<b>कस्तूरबा आवासीय बालिका (छात्रावास)</b>	छात्रावासों में उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा-6 से कक्षा-12 तक) पर विभिन्न अपवंचित समूह की बालिकाएँ जैसे-सामाजिक अपवंचित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को विनिहत एवं नामांकित किया जाता है।	<p>योजना में लक्षित समूह के दृष्टिगत एस०सी०, एस०टी०, ओ०बी०सी० तथा अल्पसंख्यक समुदाय से 75% बालिकाओं को के०जी०बी०वी० में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी तथा शेष 25% गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं हेतु।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त ऐसी बालिकाएँ जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनकी वार्षिक आय रु० 55,000 से कम हो अथवा जिन बालिकाओं के माता-पिता अथवा माता-पिता में से कोई एक जीवित न हों, भी पात्र होंगें।</p>	<p>शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए रिक्त सीटों के सापेक्ष आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं।</p> <p>प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज़/प्रमाण पत्र</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-शालात्यागी प्रमाण-पत्र/कभी न विद्यालय जाने का प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र /घोषणा पत्र</li> <li>2-बी०पी०एल० प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड</li> <li>3-आय प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र</li> <li>4-विद्यालय की निवास स्थान से 03 कि० मी० से अधिक दूरी का प्रमाण-पत्र।</li> </ul>

क्रं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3.	<p>नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास</p> <p>कुल 13 छात्रावास देहरादून (बनियावाला, आराघर, झड़ीपानी, नाभाहाउस-ऋषिकेश) हरिद्वार (अलीपुर, लालढांग, मोहितपुर), पौड़ी (श्रीनगर, पीठसेण), चम्पावत एवं उधमसिंहनगर (गदरपुर, काशीपुर, सितारगंज)</p>	<p>छात्रावासों में निवासित सभी बच्चे औपचारिक शिक्षा हेतु निकटस्थ विद्यालयों में नामांकित किये जाते हैं। छात्रावास के अन्तर्गत समस्त सुविधाएं निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है। बच्चों को रु0 200/- प्रतिमाह का Stipend भी दिया जाता है।</p>	<p>उम्र 6 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बालक-बालिकाओं को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा दी जाती है, जो बीपीएल परिवार अथवा जिनके परिवार की वार्षिक आय रु0 55,000/- से कम हो अथवा एस0सी0 / एस0टी0 / ओ०बी०सी० तथा अल्पसंख्यक समुदाय से हो। अथवा जिन बालक-बालिकाओं के माता-पिता अथवा माता-पिता में से कोई एक जीवित न हों, अथवा दिव्यांग बालक-बालिका हो, अथवा कूड़ा बीनने वाले/भीख मांगने वाले बच्चे, शहरी अपवंचित एवं कमज़ोर वर्ग के बच्चे।</p>	<p>शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व छात्रावास वार्डन/खण्ड शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए रिक्त सीटों के सापेक्ष आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप समग्र शिक्षा की वेबसाइट <a href="https://ssa-uk-gov.in/">https://ssa-uk-gov.in/</a> से डाउनलोड अथवा छात्रावास वार्डन से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज होने आवश्यक हैं :- अनाथ/भीख मांगने/कूड़ा बीनने की स्थिति में बच्चों के समस्त दस्तावेज छात्रावास स्तर से बनवाये जाते हैं। अन्य बच्चों की स्थिति में बच्चे का फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर। माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड। बी०पी०एल० प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड। (बी०पी०एल० होने की दशा में) अथवा रु0 55,000/- तक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र के साथ उक्त समस्त दस्तावेज, माता-पिता /स्वयं, सम्बन्धित छात्रावास में जमा कर सकते हैं तथा प्रबंधन समिति द्वारा सभी मानकों को देखकर एवं छात्रावास की सीटों की रिक्तता के आधार पर, छात्रावास में बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।</p>
4.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009	<p>अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के कमज़ोर एवं अपवंचित वर्ग के ग्रामीण एवं शहरी बच्चों को निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों, गणवेश एवं पीएमपोषण योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। निजी विद्यालयों की सबसे न्यूनतम कक्षा में कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत कमज़ोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।</p>	<p>कमज़ोर वर्ग के बच्चे:- जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 55,000 या उससे कम हो अथवा बीपीएल कार्ड धारक हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चे:-SC, ST के तथा ऐसे बच्चे जो ओबीसी जाति के नॉन क्रीमीलेयर के हों तथा परिवार की सालान आय 4.5 लाख हो। अनाथ बच्चे। शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे। HIV AIDS+ बच्चे अथवा HIV AIDS+ माता-पिता आश्रित बच्चे। दिव्यांग माता-पिता या कुष्ट रोग</p>	<p>सर्वप्रथम माह फरवरी-मार्च में विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन बच्चे के माता-पिता/स्वयं <a href="https://rte121c-ukd.in/uttarakhand">https://rte121c-ukd.in/uttarakhand</a> पोर्टल पर अथवा साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व एवं अपवंचित/कमज़ोर वर्ग निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :-</p> <p>1-बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, माता/पिता का आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र (जो कॉलम 3 में लिखी है), दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विधवा की दशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा में तलाक प्रमाण पत्र, अनाथ प्रमाण पत्र इत्यादि।</p> <p>2-बच्चे/अभिभावक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पता पूर्ण करने पर, पोर्टल पर सम्बन्धित बच्चे/अभिभावक को अपने वार्ड में स्थित विद्यालयों की सूची दिखती है, और उन्हें निकटस्थ विद्यालयों का चयन करना पड़ता है उसके उपरांत फार्म ऑनलाइन जमा करने के बाद प्रिंटआउट, जिसमें सभी दस्तावेजों की (जो चयनित किए हैं) छाया</p>

क्रं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			<p>से प्रभावित माता—पिता पर आश्रित बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम हो।</p> <p>तलाकशुदा अथवा विधवा महिला के आश्रित बच्चे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 80,000/- से कम हो।</p>	<p>प्रति लगाकर, अभिभावक द्वारा बच्चे का आवेदन पत्र सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना पड़ता है।</p> <p>3—विकास खण्ड स्तर पर समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं तदनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर जाँच में सही पाये गए छात्रों को सत्यापित किया जाता है। 4—निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में राज्य स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाता है।</p>
5.	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पी0एम0 पोषण)	राजकीय विद्यालय में संचालित को—लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को कार्य दिवसों पर दोपहर का पौष्टिक भोजन मौसमानुसार फल, अण्डा, दूध आदि दिया जाता है।	बालवाटिका, प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से कक्षा 5), उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से कक्षा 8) के राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी छात्र।	राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चे का एडमिशन करने के उपरान्त उक्त लाभ बच्चे को स्कूल में ही दिया जाता है।
6.	व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के कक्षा—9 से 12 में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को अकादमिक शिक्षा के साथ ही रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु NSQF के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत 08 सेक्टर संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें छात्र—छात्राओं को व्यवसायपरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।	चयनित 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र—छात्राएं।	<p>व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में सभी छात्र—छात्राएं उस विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित सेक्टर में प्रवेश ले सकते हैं। यदि अन्य विद्यालय का कोई छात्र—छात्रा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहता है तो उसे व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विद्यालय में प्रवेश लेना होगा।</p> <p>विद्यालय में अध्ययनरत छात्र—छात्राएं, संचालित अन्य विषयों की भांति व्यावसायिक शिक्षा को एक विषय के रूप में चयनित कर सकता है इसके लिए पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>व्यावसायिक शिक्षा विषय के चयन हेतु किसी भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।</p>

\*\*\*\*\*

# उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम।

## उच्च शिक्षा विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राज्य के मेधावी छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना।	रु. 50,000/- प्रति अभ्यर्थी को लाभ दिया जाता है।	<p>राज्य लोक सेवा आयोग, द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल हुए 100 अभ्यर्थी।</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख', की प्रारम्भिक परीक्षा एवं आर्ड फोर्सेस (थथा एनडीए, सीडीएस, ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी आदि) के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल समस्त अभ्यर्थी।</p> <p>उत्तराखण्ड के स्थायी या मूल निवासी हो।</p> <p>स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाएँ/उक्त सेवाओं के निम्नित निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (संस्थागत/ओपन) उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हों।</p> <p>परिवार की समस्त स्त्रीयों से कुल वार्षिक आय रु0 5 लाख से अधिक न हो।</p> <p>राज्य एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य समकक्ष योजना का लाभ न लिया गया हो।</p> <p>ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं किसी नौकरी/ व्यवसाय /वृति में हों अथवा उनकी पत्नी/पति किसी नौकरी/व्यवसाय में कार्यरत हो, लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>राज्य लोक सेवा अयोग, तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख', की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम आने के 03 माह के भीतर एवं आर्ड फोर्सेस की लिखित परीक्षा पास होने के प्रशिक्षण के दौरान आवेदक, आवेदन प्रारूप, उच्च शिक्षा विभाग <a href="https://he.uk.gov.in/">https://he.uk.gov.in/</a> की वेबसाइट से डाउनलोड करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करेगा :— आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हाईस्कूल/इंटर/स्नातक/स्नातकोत्तर/समकक्ष शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण का रिजल्ट एवं एडमिट कार्ड। आर्ड फोर्सेज की स्थिति में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र एवं एडमिट कार्ड। उक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में प्रेषित करना होगा। वर्तमान में आफलाइन है। ऑन लाईन पोर्टल समर्थ के माध्यम से आवदेन हेतु प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त गठित समिति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम 100 अभ्यर्थियों एवं संघ लोक सेवा आयोग तथा आर्ड फोर्सेज से सभी अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेखों के जॉच उपरान्त धनराशि रु0 50 हजार शासन स्तर से निर्गत की जाती है।</p>
2	एन०डी०ए०, आई०एम०ए०, ओ०टी०ए०, आई०एन०ए०, आई०ए०एफ० में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना।	50,000/- प्रति अभ्यर्थी	जिन अभ्यर्थियों का चयन एन०डी०ए०, आई०एम०ए०, ओ०टी०ए०, आई०एन०ए०, आई०ए०एफ० में हुआ हो एवं वर्तमान में ट्रेनिंग अथवा सेना में कार्यरत हो, अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी या मूल निवासी हो तथा प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, पात्र होंगे।	अभ्यर्थी, सेवा में चयनित होने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन करेगा। आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग <a href="https://he.uk.gov.in/">https://he.uk.gov.in/</a> की वेबसाइट से डाउनलोड करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करेगा :— अभ्यर्थी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यदि प्रशिक्षण के उपरान्त ज्वाइनिंग प्राप्त हो गयी हो तो तत्संबंधी प्रमाण

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				पत्र एवं उक्त योजना का लाभ पूर्व में न लेने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करने के उपरांत उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी को प्रेषित करना होगा। आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त प्रत्येक 06 माह में धनराशि ₹0 50 हजार शासन स्तर से निर्गत की जाती है।
3	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।	विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः ₹0 50,000, 30,000 एवं 15,000 एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः ₹0 75,000, 60,000, एवं 30,000 धनराशि प्रदान की जाती है।	राज्य के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय एवं इनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में पाठ्यक्रम की समाप्ति के उपरांत विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले टॉप 03 छात्रों पर लागू होती है। योजनागत 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपात्र होंगे। योजना के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर में सुधार परीक्षा, बैंक परीक्षा एवं किसी वर्ष में ड्राप कर अगली कक्षा में उक्त छात्र योजना के लिए अपात्र होंगे।	विभाग द्वारा शासकीय विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र-छात्राओं की संकायवार सूची मांगी जाती है तथा छात्र-छात्राओं का डाटा समर्थ पोर्टल से प्राप्त कर छात्रवृत्ति का छात्र-छात्राओं के खाते में किया जाता है। इसके लिए छात्र-छात्राओं को स्वयं कोई आवेदन नहीं करना होता है।
4	ऋषि एवं मिलन खोसला छात्रवृत्ति योजना	प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अध्ययनरत 50 छात्राओं को ₹0 51,000 प्रति छात्र, यह छात्रवृत्ति दी जाती है।	प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को यह धनराशि दी जाती है तथा छात्रा के परिवार की समस्त स्त्रीओं से कुल वार्षिक आय ₹0 6 लाख से अधिक न हो एवं स्नातक कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्ताक।	उत्तराखण्ड सरकार एवं ऋषि एवं मिलन खोसला फाउण्डेशन नोएडा उत्तर प्रदेश के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित है। इसके आवेदन प्रायः माह दिसम्बर-जनवरी में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, कॉलेज/महाविद्यालयों को सूचित करके मांगे जाते हैं। छात्रा को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त माह में <a href="http://www.vidyasaarathi.co.in">www.vidyasaarathi.co.in</a> में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा, आवेदन के साथ छात्रा का आधार कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्नातक के समस्त वर्षों का प्रमाण/अंकतालिका, कॉलेज आईडी, स्नातकोत्तर में प्रवेश संबंधी प्रमाण के साथ आवेदन करना पड़ता है।
5	प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल	महिन्द्रा प्राईड क्लास रुम, नन्दी फाऊंडेशन के द्वारा प्रदेश के विभिन्न	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएँ।	उत्तराखण्ड सरकार एवं Nandi Foundations समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का संचालन सतपुली, काण्डा, नैनबाग,


क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना।	महाविद्यालयों में सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण आयोजित कराया जा रहा है।।		गरुड़, लोहाघाट, रानीखेत, हल्द्वानी एवं रायपुर के चयनित राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं।
6	उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	<p>स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक संकायवार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को न्यूनतम ₹0 1,500 एवं अधिकतम ₹0 60,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।</p>	<p>प्रत्येक महाविद्यालय/परिसर स्तर पर:- (संकाय में)</p> <p>1-स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 80% प्राप्तांक /समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को कमशः ₹0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृत्ति।</p> <p>स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक /समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को कमशः ₹0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृत्ति।</p> <p>स्नातक स्तर की परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक /समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को कमशः ₹0 35,000, 25,000 एवं 20,000 एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।</p> <p>2-स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को कमशः ₹0 5,000, 3,000 एवं 2,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।</p> <p>3- स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष अथवा एक वर्षीय पाठ्यक्रम में परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक</p>	<p>राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसरों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति हेतु नियत समय के भीतर समर्थ पोर्टल <a href="https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login">https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login</a> पर अपना पंजीकरण करते हुए पंजीकरण प्रारूप सहित आधार कार्ड, बैंक खाता, जिस परीक्षा में 80 प्रतिशत/60 प्रतिशत/75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, उससे सम्बन्धित समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के साथ नोडल एवं प्राचार्य/ कुल सचिव से प्रमाणित करवाना होगा।</p> <p>समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं कॉलेज में पुष्ट किए गये दस्तावेजों की जांच के उपरान्त विभाग द्वारा वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जाती है तथा उसके उपरान्त पात्र लाभार्थियों को खाते में धनराशि प्राप्त होने लग जाती है।</p>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को कमशः ₹0 60,000, 35,000 एवं 25,000 एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (यथा लागू) वर्ष में प्रत्येक महाविद्यालय/विभाग के परिसर के प्रत्येक संकाय से 10 प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं जो न्यूनतम 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक लाएंगे तथा जिनकी न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो, को ₹1,500/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अंक सुधार परीक्षा के उपरान्त प्राप्त अंकों को इस हेतु विचार नहीं किया जाएगा। सत्र की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होगी।	
7	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना	राज्य सरकार द्वारा शोध हेतु अनुदान की अधिकतम राशि ₹0 15 लाख तथा विशेष परिस्थितियों में ₹0 18 लाख दी जाती है।	राज्य के शासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संबंधित संस्थानों में नियमित संस्थागत रूप में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं एवं शोध अध्येता पात्र होंगे। शोध प्रस्ताव में प्रमुख शोध अन्वेषक के साथ एक सह शोध अन्वेषक भी आवेदक हो सकता है। शोध हेतु व्यापक विषय क्षेत्र विज्ञान, कला एवं मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन होगा किन्तु शोध हेतु अंतर्विषयक (Interdisciplinary) विषय क्षेत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। राज्य से संबंधित जिससे सामाजिक, आर्थिक समसामयिक अथवा अन्य विशिष्ट महत्व की उत्पादकता और उपादेयता सिद्ध होती हो, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शोध प्रस्तावों में विशिष्ट समस्या, समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों (Problem and Action Based Research Programme) वरीयता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा विशिष्ट समस्याओं के निमित्त अनुरोध के आधार पर भी शोध प्रस्तावों को	शोधार्थी को शोध हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन समर्थ पोर्टल <a href="https://uttarakhand.samarth.ac.in/">https://uttarakhand.samarth.ac.in/</a> index.php site/login के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान शोधार्थी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के 15 दिनों के अंदर संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा अग्रसारित करना होगा अन्यथा स्वतः रूप से अगले स्तर के लिए अग्रेसित हो जाएगा। उसके उपरान्त मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावों का आंकलन कर शोध हेतु अनुदान राशि 03 किस्तों में संस्था के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से प्रदान की जायेगी। प्रमुख शोध अन्वेषक (Principal Investigator) के लिखित अनुरोध पर संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रमुख शोधकर्ता/शोधार्थी को उपलब्ध करायी जाएगी। संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा लिखित अनुरोध के अधिकतम 03 दिनों के अंदर यह राशि उपलब्ध करानी होगी अन्यथा स्पष्ट लिखित कारण सहित निदेशक शिक्षा के माध्यम से राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति को अवगत कराना होगा, जिस पर अंतिम निर्णय सचिव, उच्च शिक्षा/समिति द्वारा

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			<p>आमंत्रित किया जा सकता है। शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकतम दो वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में आगामी 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है।</p> <p>किसी भी शिक्षक/शोधार्थी को एक समय में केवल एक ही शोध परियोजना अनुमत्य होगी।</p>	<p>लिया जाएगा— प्रथम किस्त में 50 प्रतिशत अनुदान राशि शोध प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही जारी की जाएगी। दूसरी किस्त के रूप में 30 प्रतिशत की अनुदान राशि उपभोग प्रमाण— पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही देय होगी। तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में 20 प्रतिशत की अनुदान राशि शोध कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही देय होगी। शोध मौलिक तथा यू०जी०सी० के मानकों के अनुरूप होगा। शोध कार्य हेतु शोध सहयोगी (Research Assistant) के प्रथम योगदान से शोध कार्य की समाप्ति की तिथि तक रु० 5,000/- प्रति माह की दर से देय होगा।</p>
8	समर्थ पोर्टल <a href="https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login">https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login</a>	कोई भी विद्यार्थी जो स्नातक/स्नातकोत्तर में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्व विद्यालय/ महाविद्यालय (तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं एच०एन०बी० विश्वविद्यालय तथा उससे जुड़े समस्त महाविद्यालयों को छोड़कर) में प्रवेश हेतु इच्छुक हो, समर्थ पोर्टल में पंजीकरण करना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकरण करने से विद्यार्थी को राज्य के कॉलेज/ विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कई संस्थानों में आवेदन नहीं करने पड़ते हैं।	विद्यार्थी जो उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्व विद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु इच्छुक हो।	<p>समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण हेतु विद्यार्थी का आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नम्बर, बैंक खाता, जन्म प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र, स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, बी०पी०एल० प्रमाण—पत्र, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शैक्षिक प्रमाण—पत्र (मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट एवं माईग्रेशन सर्टिफिकेट यदि बोर्ड चेंज हो तो) चरित्र प्रमाण—पत्र, जिस संस्थान में अन्तिम रूप से पढ़ाई की हो, अनिवार्य हैं।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त EWS, दिव्यांग/यू०आई०डी०, अनाथ प्रमाण पत्र, यदि लागू हों।</p> <p>एटी ड्रग शपथ—पत्र, जो भारत सरकार के mygov-<a href="https://www.mygov.in/">https://www.mygov.in/</a> ऐप पर पंजीकरण करने के उपरान्त शपथ लेकर डाउनलोड किया हो। इस ऐप पर पंजीकरण हेतु आधार नं०, मोबाइल नं० एवं ई०मेल आई०डी० अनिवार्य है।</p>

\*\*\*\*\*

# संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



सीता माता समाधि स्थल फलस्वाड़ी गांव विठ्ठो कोट, पौड़ी गढ़वाल।

**संस्कृत शिक्षा विभाग**  
**(उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएँ/पाठ्यक्रम)**

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	संस्कृत छात्र प्रतियोगिता— (1.संस्कृत नाटक, 2. समूहगान, समूहनृत्य, वाद-विवाद, आशुभाषण श्लोकोच्चारण)	<p>प्रत्येक स्तर पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की पृथक-पृथक 06 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है।</p> <p>1.विकासखण्ड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम ₹0 300/- एवं अधिकतम ₹0 800/- तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम ₹0 300/- एवं अधिकतम ₹0 500/- पुस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।</p> <p>2. जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम ₹0 400/- एवं अधिकतम ₹0 2000/- तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम ₹0 400/- एवं अधिकतम ₹0 800/- पुस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।</p> <p>1. राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम ₹0 3000/- एवं अधिकतम ₹0 20000/- तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम ₹0 1500/- एवं अधिकतम ₹0 5000/- पुस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।</p>	<p>उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राजकीय /अशासकीय/ निजी विद्यालय के कनिष्ठ वर्ग में (कक्षा 06 से 10 तक) एवं वरिष्ठ वर्ग में (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर कक्षा तक) अध्ययनरत संस्थागत छात्र व छात्राएं (इसमें सभी छात्र/छात्राएं सम्मिलित होंगी किंतु बीएड, पीएचडी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राओं का प्रतिभाग प्रतिबंधित है) प्रतिभाग करती हैं। यह प्रतियोगिता साल में एक बार (आम तौर पर सितम्बर-नवम्बर तक) आयोजित होती है। इसका विज्ञापन/अधिसूचना अकादमी जारी करके संबंधित जनपद संयोजक एवं खण्ड संयोजक को भेजती है।</p>	<p>छात्र/छात्रा का चयन विद्यालय /कॉलेज स्तर पर करने के उपरांत, प्रधानाचार्य की संस्तुति सहित प्रतिभाग हेतु खण्ड शिक्षाधिकारी/खण्ड संयोजक को प्रस्तुत किया जाता है। खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है। उसके उपरांत प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है।</p>
2	अखिल भारतीय कवि संस्कृत सम्मेलन	प्रत्येक आमन्त्रित कवि को मानदेय ₹.3000/- प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों के संस्कृत कवि	यह आयोजन 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा कराया जाता है। देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्यापनरत शिक्षक जो संस्कृत कवि के रूप में विद्यात हों की सूची तैयार कर कार्यक्रम संयोजक द्वारा प्रस्तावित कवियों की सूची सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। तदनुसार सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्तुत कवियों को काव्यपाठ हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान	प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता रु0 5,000/- द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता रु0 4,000/- तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता रु0 3,000/-	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा (विद्यालयी शिक्षा परिषद) में संस्कृत विषय में / इण्टरमीडिएट परीक्षा (विद्यालयी शिक्षा परिषद) में संस्कृत विषय में /पूर्वमध्यमा परीक्षा (संस्कृत शिक्षा परिषद) /उत्तरमध्यमा परीक्षा (संस्कृत शिक्षा परिषद) /शास्त्री व आचार्य (उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं केन्द्रीय संस्कृत संस्थान देवप्रयाग) की कक्षाओं /स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्राप्तांको के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता।	अकादमी द्वारा संबंधित बोर्ड के सचिव से पत्राचार करके, संबंधित सत्र के हाईस्कूल व इण्टर परीक्षा में संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र/छात्रा की सूचना प्राप्त की जाती है। अकादमी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव से पत्राचार करके, स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्राप्त की जाती है। समान समारोह आयोजित कर चैक द्वारा भुगतान किया जाता है।
4	अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्रा को रु0 300/-प्रतिमाह, कक्षा 9-10 के छात्र/छात्रा को रु0 400/-प्रतिमाह एवं कक्षा 11-12 के छात्र/छात्रा को रु0 500/-प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक के अध्ययनरत संस्थागत 100 छात्र-छात्रायें, जिनके पास अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, वे अंहु होंगे।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत अनु. जाति/जनजाति के संस्थागत छात्रछात्रा, जिनके पास जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रदान की जाती है।
5	संस्कृत शोध छात्रवृत्ति योजना	राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में संस्कृत विषय में पी.एच.डी हेतु पंजीकृत 20 छात्र-छात्राओं को वार्षिक रु.40,000/- की शोध छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति 03 वर्ष हेतु रु0 40,000.00 प्रतिवर्ष दी जाती है जिस प्रत्येक सत्र/वर्ष में आवेदन देकर नवीनीकृत कराना होगा।	शोध छात्रवृत्ति के लिए सामान्य श्रेणी के 10, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 05 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाणपत्र धारित के 05 सहित कुल 20 पंजीकृत/अध्ययनरत शोधछात्रों को नेट परीक्षा में सर्वाधिक प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है।	शोधछात्र वृत्ति हेतु प्रतिवर्ष दैनिक समाचार पत्रों एवं अकादमी की बेबसाईड पर विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक समस्त दस्तावेजों के साथ, आधार कार्ड, नेट परीक्षा अंकपत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पीएचडी पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाता संबंधी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना पड़ता है। प्राप्त आवेदनों को चयन समिति द्वारा परीक्षण के पश्चात् अर्ह शोधछात्रों को संस्कृत विषय में शोध हेतु वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
<b>उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम</b>				
1	पी.जी. डिप्लोमा <b>(P.G. Diplom)</b> 1. ज्योतिष 2.	स्वरोजगारपरक डिप्लोमा (एक वर्ष )	स्नातक छात्र/छात्रा (किसी भी संकाय से)	आवेदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ऑफलाइन जमा करना पड़ता है। आवेदन प्रक्रिया जून से अगस्त माह तक चलती है। आवेदन जमा करते समय वांछित योग्यता से संबंधित

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	वास्तुशास्त्र 3. योग 4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 5. पौरोहित्य एवं कर्मकाण्ड			अंकपत्र/प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थानान्तरण/प्रवर्जन प्रमाण पत्र, पूर्व संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, (शिक्षणेत्तर कार्यक्रम में प्रवीणता का प्रमाण पत्र यदि हो), संलग्न करने होंगे। प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क ₹0 10,000/- है।
2	सर्टिफिकेट (Certificate) 1. योग 2. संस्कृत 3. कर्मकाण्ड 4. कम्प्यूनिकेटिव इंग्लिश 5. पर्यावरणीय जागरूकता	स्वरोजगारपरक कोर्स (06 माह)	10+2 अथवा समकक्ष	आवेदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ऑफलाइन जमा करना पड़ता है। आवेदन प्रक्रिया जून से अगस्त माह तक चलती है। सत्र प्रारम्भ 01 अगस्त से होता है। आवेदन जमा करते समय वांछित योग्यता से संबंधित अंकपत्र/प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थानान्तरण/प्रवर्जन प्रमाण पत्र, पूर्व संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, संलग्न करने होंगे। प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क ₹0 6000/- है।
3	मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र/छात्रा को संबंधित कक्षा के शिक्षण शुल्क की राशि के बराबर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	संबंधित पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिये अर्ह होगा।	विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन पत्र निर्गत करती है। संबंधित विद्यार्थी हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संबंधित कक्षा का अंकपत्र, बैंक खाता विवरण के साथ आवेदन पत्र भरकर प्रकोष्ठ में जमा करेंगे। प्रकोष्ठ आवेदनों की स्क्रूटनी करने के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं की सूची जारी करता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त अर्ह छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि प्रेषित की जाती है।
4	निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र/छात्रा को संबंधित कक्षा के शिक्षण शुल्क की राशि के बराबर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र संबंधित पाठ्यक्रम/कक्षा/ विषय में सबसे न्यूनतम वार्षिक आय (समस्त आवेदकों में से, जिसका आय प्रमाण पत्र न्यूनतम राशि का हो) धारित करने वाले विद्यार्थी उक्त छात्रवृत्ति के लिये अर्ह होंगे।	विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन पत्र निर्गत करती है। विद्यार्थी हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, विश्वविद्यालय का पहचान पत्र के साथ आवेदन पत्र भरकर प्रकोष्ठ में जमा करेंगे। प्रकोष्ठ आवेदनों की स्क्रूटनी करने के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं की सूची जारी करता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त अर्ह छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि प्रेषित की जाती है।
<b>संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम</b>				
1	संस्कृत पाठ्य	कक्षा 1 से 5 तक ₹. 250/- कक्षा 6 से	संस्कृत विद्यालयों की कक्षा-01 से	सम्बन्धित छात्र के आवेदन को विद्यालय के प्रधानाचार्य

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण	8 तक रु. 400/- कक्षा 9 से 10 तक रु. 600/- कक्षा 11 से 12 तक रु. 700/- की धनराशि, आर्थिक सहायता के रूप में प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।	12 में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र होंगे।	द्वारा अग्रसारण/संस्तुति के पश्चात् सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक द्वारा संस्तुति प्रदान करना। दस्तावेज – आधार कार्ड, बैंक खाता छात्र/छात्रा (जिस कक्षा में पढ़ रहे हों, उसी सत्र में स्वयं/अभिभावक स्वतः अपणिसरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2	संस्कृत विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	पूर्व मध्यमा (कक्षा-10) के कुल मेधावी विद्यार्थियों को 20 माह के लिए प्रति माह रु. 500/- की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा उत्तर मध्यमा (कक्षा-12) के 03 मेधावी विद्यार्थियों को प्रथम स्थान—रु0 20,000/- द्वितीय स्थान—रु0 15,000/- तृतीय स्थान—रु0 10,000/- की धनराशि दी जाती है।	संस्कृत विद्यालयों की परिषदीय परीक्षा के मेधावी छात्रों (मेरिट लिस्ट में टॉप 10), जो उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित /मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में ही उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हों तथा उत्तर मध्यमा (कक्षा-12) के 03 मेधावी विद्यार्थियों को संस्कृत विद्यालयों की परिषदीय परीक्षा के मेधावी छात्रों (मेरिट लिस्ट में टॉप 03) को उच्च स्तर की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।	सम्बन्धित छात्र के आवेदन को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण/संस्तुति के पश्चात् सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक द्वारा संस्तुति प्रदान करना। दस्तावेज – आधार कार्ड, बैंक खाता, मेरिट सूची का प्रमाण पत्र। छात्र/छात्रा (मेरिट सूची में आने पर) उसी सत्र में स्वयं/अभिभावक स्वतः अपणिसरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

\*\*\*\*\*

PROGRAMME IMPLEMENTATION

# संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड



मा० मंत्री जी महासू देवता मंदिर, के जागडा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए

## संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	प्रदेश के विभिन्न अंचलों एवं प्रदेश के बाहर प्रचलित पारम्परिक मेलों/ त्योहारों/पर्वों/उत्सवों तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर संस्कृति विभाग देहरादून में पंजीकृत दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के उपरांत दलनायक को देय मानदेय रु० 1000/- एवं कलाकार को रु० 800/- मात्र, दलनायक का यात्रा भत्ता रु० 500/- एवं अन्य कलाकारों की भत्ता रु० 500/- एवं अन्य कलाकारों का यात्रा भत्ता रु० 400/- मात्र। यात्रा हेतु साधारण बस किराया एवं द्वितीय श्रेणी रेल किराया का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में विभाग में कुल 258 सांस्कृतिक दल एवं 135 एकल कलाकार सूचीबद्ध हैं।	संस्कृति विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दल / कलाकार	<p>संस्कृति निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक दलों/कलाकारों के पंजीकरण हेतु ऑडिशन हर तीन माह में किया जाता है। ऑडिशन में चयनित होने के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यता होती है :-</p> <p>संस्था का पंजीकरण प्रमाण—पत्र, बायलॉज, विगत तीन वर्षों के संस्कृति के क्षेत्र में कार्य अनुभव तथा किये गये कार्यों का विवरण, दल में कलाकारों की संख्या तथा विवरण, कुल कलाकारों के लिए विगत तीन वर्षों में सांस्कृतिक क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण, उत्तराखण्ड का मूल निवासी/स्थाई प्रमाण—पत्र की आवश्यकता होती है। तदोपरांत पंजीकरण प्रमाण संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है।</p> <p><b>मा० मंत्री जी महासू देवता मंदिर, के जागड़ा काय</b></p>
2.	उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध, विपन्न कलाकार, साहित्यकार एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना।	विभाग द्वारा रु० 3000— प्रतिमाह मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।	वृद्ध, विपन्न कलाकार, साहित्यकार एवं लेखक, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य के विकास में समर्पित कर विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आयु 60 वर्ष से कम न हो। मासिक आय रु० 3000 से अधिक न हो। उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी।	<p>पेंशन योजना का प्रारूप संस्कृति निदेशालय, देहरादून से अथवा संस्कृति विभाग की <a href="http://uttarakhandculture.in/schemes.php">http://uttarakhandculture.in/schemes.php</a> से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। उसके उपरांत आवेदन पत्र के साथ पात्र आवेदक स्वयं एवं परिवार का सम्पूर्ण विवरण, आधार कार्ड, राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आश्रितों का विवरण, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण—पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी/अन्य द्वारा प्रदत्त कलाकार/साहित्यकार/लेखक संबंधी प्रमाण—पत्र, कलाकार सिद्ध होने का प्रमाण/जिला प्रशासन की संस्तुति अनिवार्य है। यह दस्तावेज संलग्न करके संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड में जमा करना अनिवार्य है। निदेशक द्वारा आवेदन की जांचोपरांत</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। समिति प्रार्थना पत्र के दस्तावेजों की जांच करते हैं एवं संबंधित कलाकार को साक्षात्कार हेतु बुलाते हैं। साक्षात्कार/जांच में सही पाये जाने पर पेंशन की संस्तुति की जाती है। इसके उपरान्त संस्कृति निदेशालय द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है। मासिक पेंशन से लाभान्वित कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित के रूप में उनके पति को तथा पुरुष कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी को मृतक आश्रित के रूप में मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।
3.	लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों एवं कवियों, जिनकी कृतियाँ धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, उन्हें विभाग द्वारा अधिकतम रु०-२ लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	राज्य का स्थायी/मूल निवासी हो तथा धनाभाव के कारण कृतियाँ प्रकाशित नहीं हो रही हों।	पुस्तक प्रकाशन हेतु विभाग द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। जिसके आधार पर पात्र लेखकों को संस्कृति निदेशालय, देहरादून में आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ लेखकों को अप्रकाशित पाण्डुलिपि, पुस्तक छपवाने का कोटेशन, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या एवं आई०एफ० एस०सी० कोड, पेन कार्ड, स्थायी निवास पत्र संलग्न करना होता है। विभाग में प्राप्त पाण्डुलिपियों के परीक्षण हेतु विभागीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निदेशालय स्तर पर निदेशक संस्कृति की अध्यक्षता में लोक संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में विद्वतजन, राज्य के विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों एवं संस्कृति निदेशालय के वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारी सम्मिलित किये जाते हैं। इस समिति की संस्तुति के उपरान्त ही पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
4.	धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता	भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों, भले ही वे किसी भी धर्म या जाति के हों, की उत्तराखण्ड राज्य सरकार की ओर से रु० ५० हजार की धनराशि, यात्रा पूर्ण करने के उपरांत ही प्रदान की जाती है।	राज्य के स्थायी निवासी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर ली हो तथा यात्रा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा की	आवेदन करने हेतु कोई प्रारूप नहीं है परंतु पात्र व्यक्ति, प्रार्थना पत्र निदेशक संस्कृति निदेशालय के नाम से लिखकर उसके साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम से किये जाने का प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होने संबंध प्रमाण पत्र, विदेश मन्त्रालय द्वारा प्रदत्त यात्रा पूर्ण किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं यात्रा से सम्बंधित अन्य अभिलेख, बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी०

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			गई हो।	कोड अंकित हो, पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर जमा करेगा। उसके बाद निदेशक कार्यालय द्वारा जांचोपरान्त सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति की जाती है।
5.	अ०जा०/जनजाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश-भूषा का क्रय करने हेतु	अनु०जाति/जनजाति के व्यक्ति जिनकी आय स्रोत पारम्परिक कला से होता है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेश-भूषा नहीं हैं, को उनके जीवन यापन के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र (ढोल, दमाऊँ, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाड़ा, ढाल तलवार आदि) एवं वेश-भूषा क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। जीवनकाल में यंत्र एक ही बार दिया जाता है।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोक कलाकार, जिनकी मासिक आय रु० 2000/- से अधिक न हो। एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को वाद्ययंत्र नहीं दिया जायेगा।	अ०जा०/जनजाति के पात्र व्यक्तियों को पारम्परिक वाद्य यंत्रों/वेषभूषा प्रदान किये जाने हेतु संस्कृति निदेशालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन के उपरांत संबंधित व्यक्ति रु० 2000/- मासिक आय प्रमाण पत्र, कलाकार/वाद्य यंत्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या / बैंक आई०एफ०एस०सी० कोड, पैन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करके निदेशक संस्कृति निदेशालय में जमा करेगा। निदेशालय स्तर से सचिव संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है तथा कुछ समय बाद उक्त वाद्ययंत्र निदेशालय से प्राप्त कर सकते हैं।
6.	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय (देहरादून, पौड़ी एवं अल्मोड़ा)	इन महाविद्यालयों में गायन, कथक नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। मासिक शुल्क प्रवेशिका से मध्यमा तक रु० 40 तथा विशारद प्रथम वर्ष का शुल्क रु० 50 तथा विशारद द्वितीय वर्ष का शुल्क रु० 60 प्रतिमाह की दर से लिया जाता है।	गायन, कथक नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि सीखने वाले विद्यार्थी	महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जनवरी माह में फॉर्म वितरित किये जाते हैं। प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 11 वर्ष एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष है। शिक्षण सत्र माह जनवरी से दिसम्बर तक होता है। माह दिसम्बर में वार्षिक परीक्षायें सम्पन्न की जाती हैं। उसके उपरांत प्रवेश दिया जाता है।

\*\*\*\*\*

# प्राविधिक(तकनीकी) शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।



प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।  
दिनांक 05 जून, 2023

## प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	1—प्रगति छात्रवृत्ति (उत्तराखण्ड मूल के 81 छात्राओं के लिए (डिप्लोमा) एवं 50 स्नातक स्तर के लिए)	डिप्लोमा / स्नातक स्तर के लिए रु0 50 हजार प्रतिवर्ष।	केवल बालिकाओं के लिए वार्षिक आय रु0 8 लाख होने पर और प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं तक अनुमन्य।	<p>अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इन छात्रवृत्ति योजनाओं में निम्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी होती हैं:-</p> <p>अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजना के तहत एनोएसोपी० पोर्टल के माध्यम से माह सितम्बर से दिसम्बर के मध्य आवेदन मांगे जाते हैं।</p> <p>अखिल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज –</p> <p>हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र, एवं आय प्रमाण पत्र।</p> <p>प्रगति योजना हेतु 02 छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य हो सकती है, जिसके सम्बन्ध में आय प्रमाण पत्र।</p> <p>सक्षम योजना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।</p> <p>स्वनाथ योजना हेतु अभ्यर्थी के पिता/माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है।</p> <p>समस्त योजनाओं हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथमतः अध्ययनरत संस्था से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, जिसे सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त राज्य स्तरीय अधिकारी (S.L.O.) द्वारा ऑनलाईन आवेदन सत्यापित कर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (ए०आई०सी०टी०ई०) को अग्रसरित (Forward) किया जाता है।</p>
2.	2— सक्षम छात्रवृत्ति	स्नातक स्तर के लिए रु0 50 हजार प्रतिवर्ष।	दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु दिव्यांगता 40% से अधिक वार्षिक आय रु0 8 लाख होने पर	<p>प्रगति योजना हेतु 02 छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य हो सकती है, जिसके सम्बन्ध में आय प्रमाण पत्र।</p> <p>सक्षम योजना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।</p> <p>स्वनाथ योजना हेतु अभ्यर्थी के पिता/माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है।</p> <p>समस्त योजनाओं हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथमतः अध्ययनरत संस्था से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, जिसे सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त राज्य स्तरीय अधिकारी (S.L.O.) द्वारा ऑनलाईन आवेदन सत्यापित कर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (ए०आई०सी०टी०ई०) को अग्रसरित (Forward) किया जाता है।</p>
3.	3— स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना	डिप्लोमा / स्नातक स्तर के लिए रु0 50 हजार प्रतिवर्ष।	अनाथ/जिनके माता-पिता अथवा माता पिता में कोई एक कोविड-19 में मृत हुए हों/ किसी सैन्य और केन्द्रीय सुरक्षा बल में शहीद के आश्रित। वार्षिक आय रु0 8 लाख होने पर	<p>प्रगति योजना हेतु 02 छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य हो सकती है, जिसके सम्बन्ध में आय प्रमाण पत्र।</p> <p>सक्षम योजना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।</p> <p>स्वनाथ योजना हेतु अभ्यर्थी के पिता/माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है।</p> <p>समस्त योजनाओं हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथमतः अध्ययनरत संस्था से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, जिसे सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त राज्य स्तरीय अधिकारी (S.L.O.) द्वारा ऑनलाईन आवेदन सत्यापित कर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (ए०आई०सी०टी०ई०) को अग्रसरित (Forward) किया जाता है।</p>

\*\*\*\*\*

# कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड



आई0टी0आई0 सितारगंज दीक्षांत समारोह प्रशिक्षु प्रशिक्षण ड्राईव का उदघाटन

## कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राज्य पोषित योजना एम्प्लायमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम <b>(ELSTP)</b>	यह प्रशिक्षण नि:शुल्क है। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 से 6 माह है जिसमें रोजगार/स्वरोजगारपरक यथा आईटी, स्वास्थ्य, कृषि, ब्यूटी वेलनेस, इलैक्ट्रॉनिक्स आदि प्रशिक्षण कोर्स आयोजित कराये जाते हैं। प्रशिक्षण प्रदाता रोजगार प्रदान करने का भी प्रयास करता है।	राज्य के बेरोजगार/स्कूल ड्रॉपआउट /अन्य वंचित वर्ग के युवा।	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति की वेबसाइट पर पंजीयन किया जा सकता है। <a href="http://www.uksdm.org">www.uksdm.org</a> तथा वेबसाइट में उपलब्ध निजी प्रशिक्षण प्रदाता केन्द्रों की सूची के अनुसार उल्लिखित केन्द्रों में भी आवेदन कर सकता है। इच्छुक युवा द्वारा उक्त जॉबरोल का चयन कर संस्था से सम्पर्क किया जा सकता है। सक्रिय संस्थाओं की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड, संबंधित कोर्स के अनुसार शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
2.	दस्तकार प्रशिक्षण <b>I.T.I.</b>	जनपदों के आईटी0आई के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर लाभान्वित करना। यह प्रशिक्षण 1 वर्ष एवं 2 वर्ष का होता है।	आठवीं/दसवीं पास शुल्क वर्तमान में ₹० 4000/- प्रतिवर्ष निर्धारित है।	विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से I.T.I. में प्रवेश प्रक्रिया प्रकाशित की जाती है। प्रवेश प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितम्बर के मध्य आयोजित होती है। वेबसाइट- <a href="http://www.vpputtarakhand.in">www.vpputtarakhand.in</a> पर आवेदन करना होता है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, आरक्षण संबंधी समस्त प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मो० नंबर की आवश्यकता होगी। अंत में मेरिट के आधार पर आनेलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया होने के उपरांत प्रवेश दिया जाता है।
3.	मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैशिक रोजगार योजना	विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मांग के आधार पर राज्य के युवाओं को Domain (Language, Culture, Work Ethics, nurshing, hospitality) क्षेत्र में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के साथ-साथ सम्बन्धित देश के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विदेशों में सेवा/ नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना।	राज्य का कोई भी युवा	विदेश रोजगार हेतु इच्छुक युवाओं द्वारा अपणी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराया जाता है। पंजीकरण हेतु प्रारम्भिक जानकारी, यथा किस क्षेत्र में काम करना चाहता है, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, के साथ ही पासपोर्ट संबंधी जानकारी मांगी जाती है। पंजीकरण के उपरांत, आवेदक को स्कीनिंग हेतु बुलाया जायेगा। स्कीनिंग परीक्षा में सफल होने के उपरांत प्रशिक्षण हेतु अहं होंगे। स्कीनिंग होने के उपरांत अभ्यर्थी से आधार कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण आवासीय/नॉन आवासीय हो सकता है। कुल प्रशिक्षण लागत का 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा कुल प्रशिक्षण लागत का 60 प्रतिशत तक ऋण लेने पर उक्त लोन के ब्याज का 75 प्रतिशत राज्य सरकार 20 प्रतिशत ही देगी। ऋण हेतु प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षण के दौरान आवेदन करेगा। संबंधित विभाग, प्रशिक्षणार्थी को लोन लेने में सहयोग करता है। प्रशिक्षण लेने के उपरांत, नियोजित कम्पनी/संस्था, द्वारा टेस्ट/साक्षात्कार लिया जाता है। उसमें पास होने के उपरांत ही संबंधित प्रशिक्षणार्थी को विदेश में रोजगार हेतु भेजा जाता है। अपणि सरकार पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया लगातार खुली रहती है।

\*\*\*\*\*

# युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड



## युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग (पी.आर.डी.)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रांतीय रक्षक दल (पी.आर.डी.) स्वयंसेवकों की तैनाती	पुलिस सहायतार्थ एवं विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी पर तैनात किए जाने हेतु पी.आर.डी.0 स्वयंसेवकों को ₹0 570/- प्रतिदिन की दर से मानदेय भुगतान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी युवा (पुरुष एवं महिला) भर्ती के समय जिनकी आयु 18 से 42 के मध्य हो।	विभिन्न विभागों के द्वारा आवश्यकतानुसार पी.आर.डी.0 स्वयंसेवकों की माँग युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग को भेजी जाती है। माँग के क्रम में विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा शारीरिक नाप-जोख एवं शारीरिक परीक्षा हेतु जनपदवार तिथि निर्धारित की जाती है। परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मोबाइल नं.0, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र अनिवार्य हैं। शारीरिक परीक्षा की मेरिट के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पी.आर.डी.0 स्वयंसेवकों का चयन किया जाता है। चयनित पी.आर.डी.0 (वर्दीधारी) स्वयं सेवकों को 22 दिवसीय अर्द्धसैन्य एवं 15 दिवसीय पुर्णप्रशिक्षण दिया जाता है, उसके उपरान्त उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जाता है तथा तैनाती अवधि का मानदेय का भुगतान डी.बी.टी.0 के माध्यम से किया जाता है।
		विषम परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान मृत्यु की दशा में ₹0 2.00 लाख, विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में ₹0 1.50 लाख तथा सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में ₹0 1.00 लाख एवं स्थायी अपंगता की दशा में उच्च श्रेणी के लिए अनुमन्य अनुग्रह धनराशि की आधी तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई अनुग्रह धनराशि, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	प्रशिक्षित प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवक/उनके आश्रित।	पी.आर.डी. स्वयंसेवक/उनके आश्रित द्वारा मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगता की दशा में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल कार्यालय में जमा करना होगा। आश्रित होने की स्थिति में आश्रित का जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण-पत्र, बैंक खाता, परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी होगी। विभाग द्वारा विषम परिस्थितियों का आंकलन करने के उपरान्त पी.आर.डी. स्वयंसेवक/उनके आश्रितों को धनराशि भुगतान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	<p>खेल महाकुम्भ प्रतियोगिताओं का आयोजन—अण्डर-14, अण्डर-17 एवं अण्डर-21 के आयुवर्गों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ करायी जाती हैं।</p> <p>न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रु0 300, रु0 200 एवं रु0 150) विकासखण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रु0 500, रु0 400 एवं रु0 300) जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रु0 800, रु0 600 एवं रु0 400) तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रु0 1500, रु0 1000 एवं रु0 700) का पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिताओं के दौरान विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों का विभाग द्वारा चिह्नित कर राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने से पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।</p>	<p>खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी युवा (बालक एवं बालिका) प्रतिभाग कर सकते हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>खेल महाकुम्भ का आयोजन सामान्यतः माह अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य होता है। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है कि किस ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी तथा शासकीय विद्यालयों/युवा कल्याण विभाग/खेल विभाग आदि के माध्यम से फॉर्म वितरण करके इच्छुक प्रतिभागियों से प्रतिभाग कराया जाता है।</li> <li>प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु खिलाड़ी को फोटो पहचान पत्र/जन्म प्रमाण-पत्र, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साईंज फोटो अनिवार्य है।</li> <li>इन दस्तावेजों के साथ खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग तथा खेल महाकुम्भ में ग्राम स्तर/न्याय पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, जिनमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर तथा इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा जनपद स्तर पर तथा जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा राज्य स्तर पर प्रतिभाग किया जाता है।</li> </ul>
3.	युवा दलों का आर्थिक सहायता	<p>उत्तराखण्ड राज्य में रोजगारपरक परियोजना/ व्यवसाय आरम्भ करने हेतु कुल 18 व्यवसायों (डेयरी उत्पादन कार्य हेतु रु0 1.00 लाख, टेंट बर्टन दरी कुर्सी किराये हेतु रु0 50 हजार, साउण्ड सिस्टम किराये हेतु रु0 50 हजार, आटा चक्की संयोजन कार्य हेतु रु0 50 हजार, फोटोकॉपी/फैक्स/लेमीनेशन मशीन क्रय हेतु रु0 1.00 लाख, मशरूम/सब्जी/फूल उत्पादन हेतु रु0 50 हजार, रिंगल/दरी/गलीचा एवं ऊनी वस्त्रों के</p>	<p>विभाग से सम्बद्धीकृत युवक/महिला मंगल दल जिन्हें पूर्व में योजना से लाभान्वित न किया गया हो।</p> <p>सदस्यों का राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।</p>	<p>आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक युवक/महिला मंगल दल द्वारा आवेदन पत्र युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय से प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र के साथ दल के समस्त सदस्यों की सामूहिक फोटो, व्यवसाय जो करना चाहते हैं, उसका विवरण/कार्ययोजना, व्यवसाय के लिए भवन/भूमि की उपलब्धता का विवरण, तथा सम्भावित व्यय के प्रमाणित आगणन, दल का पंजीयन संख्या, दल के समस्त सदस्यों का नाम, जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, दल का बैंक खाता, जो व्यवसाय कर रहे हों उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण-पत्र। सभी स्त्रीओं से पारिवारिक मासिक आय का विवरण संलग्न कर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के माध्यम से जिला युवा</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		निर्माण हेतु उपकरण क्रय हेतु ₹0 50 हजार, साहसिक खेल उपकरण क्रय हेतु ₹0 4.00 लाख, सिलाई मशीन क्रय /बूटीक/ब्यूटीपार्लर कार्य हेतु ₹0 50 हजार, जैविकखाद/पशुचारा उत्पादन कार्य हेतु ₹0 50 हजार, फल संरक्षण कार्य हेतु ₹0 50 हजार, पशु पालन कार्य हेतु ₹0 50 हजार, सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय हेतु ₹0 50 हजार, इलैक्ट्रॉनिक्स कार्य हेतु ₹0 50 हजार, वाहन मरम्मत कार्य हेतु ₹0 50 हजार, प्लम्बरिंग कार्य हेतु ₹0 10 हजार, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कार्य हेतु ₹0 12 हजार एवं अभिनव कार्य हेतु ₹0 1.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उक्त आर्थिक सहायता विभाग द्वारा अधिकतम प्रस्तावित कार्य योजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत अथवा उक्त में अंकित कार्य के समुख धनराशि, जो भी कम हो, होगी तथा अवशेष धनराशि की व्यवस्था लाभार्थी युवा दलों द्वारा स्वयं के स्तर पर की जायेगी।		कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए अपनी संस्तुति सहित उक्त प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। लाभार्थी युवा दलों के चयन तथा अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित लाभार्थी युवा दलों की सूची संस्तुति सहित निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशालय द्वारा प्रत्येक जनपद से न्यूनतम 02 लाभार्थी युवा दलों का चयन करते हुए बजट सीमा के अन्तर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का भुगतान दल के बैंक खाते में किया जायेगा।
4	युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल स्वावलम्बन योजना	दलों को स्वावलंबी बनाने हेतु सामुदायिक उपयोग की आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने हेतु ₹0 14,268.00 की धनराशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	विभाग से सम्बद्धीकृत युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल।	दलों द्वारा ग्राम पंचायत की आम सभा में प्रस्ताव पास करवाकर पी.आर.डी. कार्यालय को भेजा जाता है। प्रस्ताव के साथ सभी सदस्यों का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं दल का बैंक खाता विवरण संलग्न करना होता है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्ताव उचित पाये जाने पर संस्तुति सहित जिला युवा कल्याण अधिकारी को भुगतान हेतु निर्देशित किया जाता है तथा उसके उपरान्त दल के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
5	महिला मंगल एवं युवक मंगल दल का गठन	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग (पी.आर.डी.) विभाग की कई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा किसी भी व्यवसाय को समूह में करने हेतु अनिवार्य है।	राज्य की ग्राम पंचायतों के इच्छुक महिला/पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, पात्र होंगे।	महिला मंगल एवं युवक मंगल दल का गठन—प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला मंगल एवं एक युवक मंगल दल का गठन किया जाता है। यदि किसी को महिला मंगल दल/युवक मंगल दल का सदस्य बनना हो तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव ग्राम सभा से पास करवाकर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
6	ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संबद्धन योजना	युवा वर्ग को स्वस्थ्य रहने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) की स्थापना हेतु ₹0 17,960.00 की धनराशि मंगल दलों को आवंटित की जाती है।	राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत।	ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम निर्माण हेतु स्थान का चयन कर ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करवाकर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। उसके उपरान्त धनराशि मंगल दलों को आवंटित की जाती है।
7	युवाओं का साहसिक प्रशिक्षण	राज्य के युवाओं को विभिन्न साहसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे व्हाईट वॉटर रिवर राफिंग गार्ड व्हाईट वॉटर रिवर राफिंग गार्ड प्रशिक्षण, आपदा प्रबन्धन एवं आपदा बचाव कार्य, फर्स्टरेड, बर्मा ब्रिज, ट्रैकिंग आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। (हृदय रोग, अस्थमा, मिरगीदौरा, हाथ—पैरों में रॉड लगा हो, पात्र नहीं होगा।)	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, युवा (पुरुष एवं महिला), जिनकी आयु—15 से 30 वर्ष के मध्य (01 मार्च, 2023 को) न्यूनतम 8वीं पास, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। प्रशिक्षण हेतु पीआरडी स्वयंसेवक, एनएसएस, एनसीसी, युवक / महिला मंगलदल के सदस्य / पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी।	विभाग द्वारा प्रतिवर्ष समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आवेदन पत्र पी0आर0डी0 कार्यालय से प्राप्त कर दस्तावेजों (शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, आधारकार्ड, स्थायी निवास प्रमाण—पत्र एवं चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र) के साथ उक्त कार्यालय में जमा करना होगा। दस्तावेज सही पाये जाने के उपरान्त जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

\*\*\*\*\*

PROGRAMME

# खेल विभाग, उत्तराखण्ड



37वें गोवा राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान करते हुए  
मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड



एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2018

## खेल विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
1.	खेल प्रतियोगिता औं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	<p>विभाग द्वारा प्रचलित खेलों में निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जाता है :- समर्त जनपदों में स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का संचालन (खेल—फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वालीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुश्ती, खो—खो, कराटे, कबड्डी, वुशू, ताईक्वांडो, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, जु—जित्सु, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैसबॉल, सेपकटाकरा), जिसमें न्यूनतम शुल्क लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है।</p> <p>स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल संचालन। (संचालित खेल—फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वालीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जूडो एवं क्रिकेट) जिसमें न्यूनतम शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाता है।</p> <p>राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ₹0 500/- तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर ₹0 300/- का पुरस्कार दिया जाता है।</p>	<p>राज्य के 08 से 16 वर्ष तक आयु के युवा खिलाड़ी।</p> <p>शौकीय 16 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी।</p>	<p>समस्त जनपदों में स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों के संचालन हेतु जनपद स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों में मार्च माह में विज्ञप्ति जिला कीड़ा अधिकारी कार्यालय से जारी कर प्रचार—प्रसार कर आवेदन ऑफलाईन प्राप्त किये जाते हैं जिन्हें जिला कीड़ा अधिकारी कार्यालय में जमा करना पड़ता है। प्रतिवर्ष चयन ट्रायल्स माह अप्रैल, मई में प्रारम्भ किये जाते हैं।</p> <p>स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल हेतु चयन जनपद स्तर पर प्राथमिक चयन/ट्रायल्स आयोजित कराये जाते हैं चयनित होने पर फाईनल ट्रायल्स राज्य स्तर पर आयोजित कराकर मेरिट लिस्ट के आधार पर रिक्त सीटों के सापेक्ष चयनित किया जाता है।</p> <p>जनपद स्तर पर संचालित स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों में एवं शौकीय खिलाड़ियों हेतु सशुल्क (चार्ट संलग्न) सीधा प्रवेश।</p>
2.	खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने	जिन खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित की जाती है, उन्हें एवं उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार की धनराशि प्रदान की जाती है। न्यूनतम ₹0 10,000/- से लेकर अधिकतम ₹0 2.00 करोड़ तक की धनराशि पुरस्कार प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। पुरस्कार	राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ी एवं उनके प्रशिक्षक।	<p><b>01</b> जनवरी से <b>30</b> जून तक के खेलों के माह जुलाई में एवं <b>01</b> जुलाई से <b>31</b> दिसम्बर तक के खेलों के पुरस्कार वितरण हेतु माह जनवरी में ऑफलाईन आवेदन (वर्ष में 02 बार) खेल निदेशालय द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं।</p> <p>आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रारूप के साथ खिलाड़ी को आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रतियोगिता जिसमें पदक प्राप्त किया हो, उसका सम्पूर्ण</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
	पर नकद पुरस्कार धनराशि	विवरण विभाग की वेबसाईट <a href="https://sports.uk.gov.in">https://sports.uk.gov.in</a> में भी उपलब्ध है।		विवरण एवं प्रमाण—पत्र, उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, प्रशिक्षक का 01 वर्षीय खेल डिप्लोमा या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सर्टिफिकेट अथवा संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के प्रशिक्षण का प्रमाण—पत्र, ₹0 10/- के स्टाम्प पेपर पर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण से संबंधित विवरण (जिसके द्वारा खिलाड़ी का नियमित रूप से मेडल प्राप्ति से एक वर्ष पूर्व से कम से कम 180 दिन अथवा अधिक अवधि तक प्रशिक्षण दे चुके हों), प्रशिक्षक का बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, नेशनल स्कूल गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा, विश्व/ अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/ चैम्पियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा, खेलों इण्डिया, भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता/राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव के पदक विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण विभाग द्वारा तथा अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं/विश्व पुलिस/फायर गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड पुलिस विभाग से खेल प्रमाण—पत्रों को सत्यापित करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन प्रारूप को विभाग/संस्था/मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा संघ की संस्तुति करके खेल निदेशालय को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। खेल निदेशालय द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त पुरस्कार धनराशि खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक को प्रदान की जाती है।
3.	राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार	राज्य के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता प्रदान करने पर खेल रत्न (01 खिलाड़ी—₹0 5.00 लाख), हिमालय रत्न (06 खिलाड़ी—₹0 1.00 लाख प्रति खिलाड़ी) एवं द्रोणाचार्य	राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक।	आवेदन वर्ष में एक बार आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें मानकानुसार अह खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया																
		पुरस्कार (02 प्रशिक्षक—रु0 3.00 लाख प्रति प्रशिक्षक) प्रदान किया जाता है।																		
4.	मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना	08 से 14 की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के आधार पर चयन कर प्रति जनपद 150–150 बालक—बालिकाओं (08 से 09 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 09 से 10 वर्ष के 25–25 खिलाड़ियों, 10 से 11 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 11 से 12 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 12 से 13 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 13 से 14 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी) को रु0 1500 प्रतिमाह एक वर्ष तक (छात्रवृत्ति) दी जाती है।	आयु 08 से 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाएं उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो।  (Physical and Sports Aptitude Test) शारीरिक दक्षता (Strength, Flexibility, Endurance Speed, Coordination etc) आदि के परीक्षण हेतु में विभिन्न चरणों के बाद अंतिम रूप से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले बालक एवं बालिकाएं ही खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।	<p>खेल निदेशालय द्वारा विज्ञापन के माध्यम से चयन का कार्यक्रम यथासंभव माह अप्रैल में प्रकाशित किया जायेगा। चयन प्रक्रिया यथा सम्भव प्रत्येक वर्ष 15 मई से 15 जून के मध्य सम्पन्न कर ली जाती है और स्थल एवं तिथियों की जानकारी संबंधित जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।</p> <p>प्रत्येक विद्यालय (शासकीय/अशासकीय/प्राइवेट सभी) के अधिकतम 02 बालक/बालिकाएं प्रत्येक आयुवर्ग में प्रतिभाग कर सकेंगे। इन बालक—बालिकाओं का चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा स्वयं किया जायेगा। विद्यालय स्तरीय चयन हेतु (Physical and Sports Aptitude Test) की बाध्यता नहीं होगी, फिर भी व्यापक प्रचार—प्रसार के माध्यम से उन्हें इस पद्धति की जानकारी दी जायेगी, ताकि खिलाड़ियों को प्रारम्भिक स्तर पर जानकारी मिल सके। आगे की प्रक्रिया — जनपदों द्वारा न्याय पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर निम्नवत चयन प्रक्रिया करायी जाती है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>स्तर</th> <th>प्रतिभागी छोट</th> <th>अगले चरण हेतु चयनित संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>न्याय पंचायत/नगर</td><td>समस्त विद्यालयों से— 02 बालक एवं बालिकाएं प्रति आयुवर्ग</td><td>विकासखण्ड स्तर हेतु— 02 बालक/बालिकाएं प्रति आयुवर्ग</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>(क) नगर निगम/नगर पालिका स्तरीय चयन समिति</td><td>समस्त विद्यालयों से— 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका— 05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग) (ख) नगर निगम से 06 बालक एवं 06 बालिका प्रति आयुवर्ग</td><td>जनपद स्तर हेतु— (क) नगर पालिका से— 03 बालक एवं 03 बालिका प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका— 05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग) (ख) नगर निगम से 06 बालक एवं 06 बालिका प्रति आयुवर्ग</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>(ख) प्रत्येक विकासखण्ड से</td><td>न्याय पंचायत/नगर पंचायत से— 02 बाल एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग</td><td>जनपद स्तर हेतु— विकास खण्ड से— 06 बालक एवं 06 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रुद्रप्रयाग बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति विकास खण्ड— 10 बालक एवं 10 बालिका प्रति आयुवर्ग)</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	स्तर	प्रतिभागी छोट	अगले चरण हेतु चयनित संख्या	1.	न्याय पंचायत/नगर	समस्त विद्यालयों से— 02 बालक एवं बालिकाएं प्रति आयुवर्ग	विकासखण्ड स्तर हेतु— 02 बालक/बालिकाएं प्रति आयुवर्ग	2.	(क) नगर निगम/नगर पालिका स्तरीय चयन समिति	समस्त विद्यालयों से— 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका— 05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग) (ख) नगर निगम से 06 बालक एवं 06 बालिका प्रति आयुवर्ग	जनपद स्तर हेतु— (क) नगर पालिका से— 03 बालक एवं 03 बालिका प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका— 05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग) (ख) नगर निगम से 06 बालक एवं 06 बालिका प्रति आयुवर्ग	3.	(ख) प्रत्येक विकासखण्ड से	न्याय पंचायत/नगर पंचायत से— 02 बाल एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग	जनपद स्तर हेतु— विकास खण्ड से— 06 बालक एवं 06 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रुद्रप्रयाग बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति विकास खण्ड— 10 बालक एवं 10 बालिका प्रति आयुवर्ग)
क्र. सं.	स्तर	प्रतिभागी छोट	अगले चरण हेतु चयनित संख्या																	
1.	न्याय पंचायत/नगर	समस्त विद्यालयों से— 02 बालक एवं बालिकाएं प्रति आयुवर्ग	विकासखण्ड स्तर हेतु— 02 बालक/बालिकाएं प्रति आयुवर्ग																	
2.	(क) नगर निगम/नगर पालिका स्तरीय चयन समिति	समस्त विद्यालयों से— 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका— 05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग) (ख) नगर निगम से 06 बालक एवं 06 बालिका प्रति आयुवर्ग	जनपद स्तर हेतु— (क) नगर पालिका से— 03 बालक एवं 03 बालिका प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका— 05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग) (ख) नगर निगम से 06 बालक एवं 06 बालिका प्रति आयुवर्ग																	
3.	(ख) प्रत्येक विकासखण्ड से	न्याय पंचायत/नगर पंचायत से— 02 बाल एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग	जनपद स्तर हेतु— विकास खण्ड से— 06 बालक एवं 06 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रुद्रप्रयाग बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति विकास खण्ड— 10 बालक एवं 10 बालिका प्रति आयुवर्ग)																	

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
				<p><b>शारीरिक दक्षता</b> के परीक्षण हेतु 06 प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, (1. 30 meter flying Run, 2. standing broad jump, 3. forward bend &amp; reach, 4. 6X10 shuttle run, 5. medicine ball put, 6. 600 meter run.)</p> <p>जिला स्तर की चयन समिति द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले 25 छात्र एवं 25 छात्राओं की अन्तिम सूची जारी की जायेगी, जो खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को डी०बी०टी० के माध्यम से उनके खाते में दी जाती है। <b>दस्तावेज</b> :— न्याय पंचायत या वार्ड स्तर पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण करना अनिवार्य है, जिसका आवेदन प्रारूप खेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आवेदन प्रारूप के साथ खिलाड़ी को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता एवं पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होता है।</p>
5.	खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के आधार पर चयन कर प्रति जनपद 100-100 बालक- बालिकाओं का चयन कर प्रतिमाह रु0 2000/- छात्रवृत्ति एवं वर्ष में एकबार रु0 10,000/- खेल उपकरण हेतु प्रदान किया जाता है।	राज्य के आयुवर्ग 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ी। अन्य पात्रता क्रमांक-4 के अनुसार। प्राथमिकता के आधार पर निम्न खेलों में ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :— (1)एथलैटिक्स(2) बैडमिंटन (3) बॉक्सिंग (4) टाईक्वांडा (5) कबड्डी (6) फुटबॉल (7)वॉलीबॉल(8) बास्केटबॉल (9)हॉकी (10) टेबल टेनिस (11) कराटे (12) जूडो	इसमें विद्यालय/न्याय पंचायत स्तर से चयन नहीं होता है। खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से सीधे नगरपालिका, नगर निगम/ विधायिका में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है तथा मैरिट के आधार पर चयन किया जाता है। अन्य प्रक्रिया क्रमांक-4 के अनुसार।
6.	राज्याधीन सेवाओं में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन /	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता उत्तराखण्ड प्रदेश के खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राजपत्रित /अराजपत्रित पदों (लेबल-3 से लेबल-10 तक) पर आउट ऑफ टर्न	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों यथा— ओलम्पिक /पैरालम्पिक खेल, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियनगेम्स, कामनवेल्थ गेम्स,	शासनादेश संख्या-728/VI-3/2023-33(7)2014, दिनांक 14.09.2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार खेल निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिक्तियां प्राप्त करके पात्र खिलाड़ियों को नियुक्त किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा अथवा सम्बन्धित श्रेणी

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
	खिलाड़ियों को नौकरी	सेवायोजन/नौकरी प्रदान की जाती है।	<p>एशियनचैम्पियनशिप, कामनवेल्थ चैम्पियनशिप, सैफ गेम्स, नेशनल खेल में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता राज्य के खिलाड़ी।</p> <p>एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिन्टन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, केनोइंग एवं क्याकिंग, साइकिलिंग, डाइविंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, लॉन टेनिस, शूटिंग, रोइंग, सेलिंग, तैराकी, टेबिल-टेनिस, ताईक्वांडो, वालीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, बेसबॉल, शतरंज, क्रिकेट, कबड्डी, कराटे, खो-खो एवं मलखम्ब।</p> <p>उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी एवं आवेदक खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के लिये सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया हो, उस वर्ष एवं उस प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व नेशनल गेम्स में किया गया हो, तभी अर्ह माना जायेगा।</p>	<p>के खिलाड़ियों के सीधे आवेदन निदेशक, खेल निदेशालय कार्यालय में प्राप्त होने पर समिति द्वारा 02 माह के भीतर विचार करते हुये अपनी संस्तुति प्रदान की जायेगी। खेल विभाग द्वारा समिति की संस्तुति को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जायेगा। चयनित पदक विजेता खिलाड़ियों को अधिसंख्यक पद पर नियुक्ति 04 माह के भीतर सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। सेवायोजन हेतु खिलाड़ियों को पद के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित होनी चाहिए परन्तु भर्ती किये जाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को अनिवार्य/अधिमान्य अर्हताओं में छूट अथवा शिथिलीकरण दिये जाने पर समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। पदक विजेता द्वारा नियुक्ति के समय यदि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता धारित नहीं की गयी है, तो सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त नियुक्ति किये जा रहे पदक विजेता खिलाड़ी को 04 वर्ष का समय उक्त अनिवार्य अर्हताएं अर्जित किये जाने हेतु प्रदान किया जायेगा। पदक विजेता खिलाड़ी सफलता के पश्चात सीनियर द्वारा 02 वर्ष एवं जूनियर द्वारा 03 वर्ष के भीतर खेल कार्यालयों में आवेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ पदक विजेता सम्बन्धी प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित करने होंगे। शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक, 10 वर्ष पूर्व के तथा उसके उपरान्त 05 वर्ष पूर्व के पदक विजेता खिलाड़ी आवेदन करने हेतु पत्र होंगे।</p>
7.	विभाग के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति	विभाग द्वारा 10 माह के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते हैं, जिन्हें न्यूनतम रु0 12,000/- से अधिकतम रु0 45,000/- तक का मानदेय दिया जाता है।	<p>राज्य के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक।</p> <p>खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम 70 वर्ष।</p> <p>कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हेतु मूल/</p>	<p>जिला कीड़ा अधिकारी कार्यालय/खेल निदेशालय द्वारा माह मार्च, अप्रैल में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाता है, जिसमें ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन किया जाता है। प्रशिक्षक को आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षिक योग्यता, खेल योग्यता/ डिप्लोमा/पुरस्कार,</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
			स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है।	अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना होता है। चयन समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त सही पाये जाने पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
8.	भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/पेंशन	राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को प्रत्येक माह वित्तीय आर्थिक सहायता/पेंशन न्यूनतम रु0 4000/- एवं अधिकतम रु0 10,000/- जीवन भर के लिए प्रदान की जाती है।	ओलम्पिक खेल, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफो—एशियन खेल, सैफ खेल, पैरा ओलम्पिक/स्पेशल ओलम्पिक (अंतर्राष्ट्रीय) मानसिक/शारीरिक दिव्यांग खिलाड़ी, विश्व मैराथन शारीरिक/मानसिक (दिव्यांग)/पैरा ओलम्पिक, अंतर्राष्ट्रीय वेटरन(मास्टर) चैम्पियनशिप के ऐसे भूतपूर्व पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड के खिलाड़ी, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो तथा जो कहीं अन्य सेवायोजित न हों अथवा निजी साधनों से होने वाली आय रु0 20,000/-प्रतिमाह से अधिक न हो, पात्र होंगे।	खेल निदेशालय द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा सम्बन्धित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने/पदक प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र, स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, आय प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, जन्म प्रमाण—पत्र के साथ खेल निदेशालय में आवेदन जमा करना पड़ता है।

\*\*\*\*\*

PROGRAMME

# उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक)



यूसैक कार्यालय विकासनगर में डोईवाला डिग्री कॉलेज के छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण / कार्यशाला।

## उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक)

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	रिमोट सेंसिंग व जी.आई.एस. ऐप्लीकेशन पर ट्रेनिंग/ क्षमता विकास कार्यक्रम /शोध कार्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं में शोधार्थियों को चयन कर रिमोट सेंसिंग व जी.आई.एस. ऐप्लीकेशन कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। चयनित शोधार्थियों (JRF/SRF/Project scientist) को सम्बंधित वित्त पोषित संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत fellowship (HRA सहित) प्रदान की जाती है। भोजन व आवास की व्यवस्था शोधार्थियों द्वारा स्वयं की जाती है।</li> <li>➤ राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर अंतिम छमाही/वर्ष के विधार्थियों को Dissertation व स्नातक के विद्यार्थियों को internship कार्य के माध्यम से रिमोट सेंसिंग व जी.आई.एस. ऐप्लीकेशन कार्य हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उपरोक्त प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। इस अवधि में भोजन व आवास की व्यवस्था विधार्थियों द्वारा स्वयं की जाती है।</li> <li>➤ आवश्यकतानुसार समय-समय पर विभिन्न रेखीय विभागों के लिए रिमोट सेंसिंग व जी.आई.एस. में क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उपरोक्त हेतु रिमोट सेंसिंग व जी.आई.एस. में आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम हेतु</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर (मुख्यतः विज्ञान वर्ग) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी।</li> <li>➤ भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों (प्राइवेट/राजकीय/केन्द्रीय) के स्नातकोत्तर (मुख्यतः विज्ञान वर्ग) अंतिम छमाही/वर्ष के छात्र, छात्राओं के पक्ष में, यू-सैक के निदेशक को केंद्र में Dissertation/internship के लिए अनुरोध पत्र दिया जाता है। जिस हेतु निदेशक यू-सैक को छात्र, छात्राओं के पक्ष में पत्र प्रेषित कर व निदेशक यू-सैक से संस्तुति प्राप्ति के आधार पर, प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाता है। प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण के लिए प्रशिक्षणार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।</li> <li>➤ केन्द्र सरकार के कार्मिक व राज्य के विभिन्न रेखीय विभाग के कार्मिक।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ परियोजना में आवश्यकता होने पर यू-सैक के पोर्टल (<a href="http://www.u-sac.in">www.u-sac.in</a>) पर सूचना प्रदान की जाती है तथा निर्धारित अवधि में वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाता है। जिस हेतु विद्यार्थियों के स्नातकोत्तर उत्तीर्ण (प्रथम श्रेणी) एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज, अनुभव यदि हो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। इंटरव्यू में सफल होने पर शोधार्थियों को शोध मानदेय (fellowship) दिया जाता है।</li> <li>➤ विश्वविद्यालय के कुलपति/डीन/रजिस्ट्रार/विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर (मुख्यतः विज्ञान वर्ग) अंतिम छमाही/वर्ष के छात्र, छात्राओं के पक्ष में, यू-सैक के निदेशक को केंद्र में Dissertation/internship के लिए अनुरोध पत्र दिया जाता है। जिस हेतु निदेशक यू-सैक को छात्र, छात्राओं के पक्ष में पत्र प्रेषित कर व निदेशक यू-सैक से संस्तुति प्राप्ति के आधार पर, प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाता है। प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण के लिए प्रशिक्षणार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।</li> <li>➤ विभागीय कार्मिक अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से यू-सैक के निदेशक को अनुरोध पत्र प्रेषित करेंगे। यू-सैक द्वारा समय-समय पर रेखीय विभागों हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत, विभिन्न स्तर के</li> </ul>

	<p>रेखीय विभागों से प्रतिभाग हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस अवधि में भोजन आवास की सुविधा सम्बंधित विभाग द्वारा यू—सैक के सहयोग से किया जाता है।</p> <p>➤ समय—समय पर अनुरोध पर व आवश्यकतानुसार प्रदेश के विभिन्न डिग्री कॉलेजों/स्कूलों में भौगोलिक सूचना प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित करना तथा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए प्रेरित करना। यू—सैक द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण निशुल्क दिया जाता है, जिसमें भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था निशुल्क की जाती है, यू—सैक द्वारा इसमें आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है।</p>		<p>अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है इसके अतिरिक्त रेखीय विभागों के अनुरोध पर उनकी आवश्यकतानुसार समय—समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। व्यक्ति विशेष हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।</p> <p>➤ संस्थानों/डिग्री कॉलेज के प्राचार्य विभागाध्यक्ष, डीन द्वारा, यू—सैक के निदेशक को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है तथा यू—सैक प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित कर अवगत कराता है तथा संबंधित कॉलेज/विद्यालय अपने विद्यार्थियों को विजिट हेतु ला सकते हैं।</p>
--	--	--	--

\*\*\*\*\*

PROGRAMME IMPLEMENTATION DRAFT

# उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क)



राजकीय (थारू जनजातीय) इंटर कॉलेज, खटीमा ऊधमसिंह नगर

## उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू०-सक्री)

क्र	शिक्षण / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	E-Content का विकास एवं प्रसारण	ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता कम्पनियों यथा (बायजूस, वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म) से भी उच्चस्तर की ई-पाठ्य सामग्रियों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में व्याख्यान निःशुल्क द्विभाषीय ऑफलाइन/ऑनलाइन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	प्रदेश के समस्त छात्र-छात्राएं	विद्यार्थी यूसर्क की वेबसाइट userc.in पर जाकर कुछ ई-सामग्रियों को देख सकते हैं। परन्तु पूरे कोर्स हेतु गूगल प्ले स्टोर से Vidya saar ऐप डाउनलोड कर अपना मो० न० पंजीकृत कर निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं तथा जहां इंटरनेट नहीं है, ऐसे विद्यालयों में यूसर्क द्वारा विद्यालय में एक डिवाइस प्रदान की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को पूरा कोर्स ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाया जा सकता है।
2	STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन।	प्रदेश के समस्त जनपदों के माध्यमिक एवं डिग्रीस्तर के विद्यार्थियों के विज्ञान प्रयोगात्मक स्तर के सुदृढ़ीकरण तथा Hands-on-Activities हेतु विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं हेतु प्रायोगिक विज्ञान हेतु अद्यतन प्रदेशभर में 41 स्टैम लैब स्थापित की जा चुकी है, जिसमें छात्र-छात्राएं विज्ञान संबंधी प्रयोग करते हैं।	STEM प्रयोगशाला वाले विद्यालय के साथ ही निकट क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय के छात्र-छात्राएं	STEM प्रयोगशाला वाले विद्यालय के समस्त छात्र-छात्राएं स्कूल में स्थापित प्रयोगशालाओं में प्रयोग कर सकते हैं तथा जिन विद्यालयों में प्रयोगशाला न हो वह ऐसे नजदीकी विद्यालय से सम्पर्क कर लाभ उठा सकते हैं।
3	विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन।	प्रदेश में विज्ञान शिक्षा एवं विज्ञान के अनुसंधानों द्वारा उनके लाभों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु छात्र-छात्राओं, अध्यापकों तथा आमजन तक वैज्ञानिक चेतना का विकास एवं वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कार्यक्रमों के आयोजन की सूचना का प्रसार विभिन्न सोशल मीडिया साइट के माध्यमों तथा यूसर्क विज्ञान चेतना केन्द्रों (जोकि राज्य में वर्तमान में कुल 200 हैं।) व उच्च शिक्षा में कार्यरत यूसर्क नोडल अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।	समस्त छात्र छात्राएं एवं आमजन	आउटरीच कार्यक्रमों की कोई अवधि निर्धारित नहीं है कुछ कार्यक्रम एक दिवसीय, कुछ बहुदिवसीय होते हैं। प्रतिभाग करने के लिए सर्वप्रथम यू-सर्क द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं तथा उसके उपरांत समस्त छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकती हैं। ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में आयोजन स्थल के आसपास के विद्यालयों के छात्र-छात्राएं तथा आमजन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसकी सूचना सम्बन्धित आयोजन स्थल संस्था अथवा यू-सर्क विज्ञान चेतना केन्द्रों द्वारा दी जाती है।
4	Experiential Learning के अन्तर्गत हैंडस ऑन ट्रेनिंग तथा एस्पोजर विजिट	प्रदेश के शोधार्थियों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोगात्मक रूप से प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर निःशुल्क आवासीय One week Hands-on training (Certificate programme) प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी	प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों (निजी और राजकीय दोनों) से स्नातक,	इसमें आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम छात्र-छात्राओं को अपने कॉलेज/विश्वविद्यालय से अग्रसारित कराकर गूगल फॉर्म के माध्यम से यू-सर्क में जमा कराते हैं। यू-सर्क द्वारा चयन प्रक्रिया (प्रशिक्षण सम्बन्धी वांछित विषय एवं योग्यता युक्त पूर्ण भरे

		जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थानों के UG/PG/Researchers/ Teachers द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आवासीय प्रशिक्षण के दौरान भोजन, भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	स्नातकोत्तर स्तर के छात्र-छात्राएं, शोधार्थी एवं प्राध्यापक	आवेदनों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर (चयन) के उपरांत चयनित छात्र-छात्राएं निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
--	--	--	---	---

\*\*\*\*\*

PROGRESS

## विज्ञानधाम—(यू—कॉस्ट), उत्तराखण्ड



यूकॉस्ट, परिसर, विज्ञान धाम, झाझारा में तीन दिवसीय 17वीं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस –2023 के अन्तर्गत 'प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस' के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास यात्रा एवं विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन किया।

दिनांक 10 फरवरी 2023

## उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञानधाम (U-COST)

क्र	कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आंचलिक विज्ञान केंद्र	आंचलिक विज्ञान केन्द्र, झाझरा देहरादून में घूमने एवं प्रवेश हेतु आमजनमानस हेतु अधिकतम शुल्क ₹0 110, पब्लिक स्कूलों हेतु ₹0 90 (छात्र संख्या 25 से अधिक) एवं सरकारी विद्यालय हेतु ₹0 55 (छात्र संख्या 25 से अधिक) है। दिव्यांजन/सैनिक जो कि वर्दी में हो, हेतु निःशुल्क एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों के क्रम में निःशुल्क व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। स्कूली छात्र-छात्राओं हेतु कैन्टीन की व्यवस्था है। केन्द्र के अंदर कई वैज्ञानिक गतिविधियों/ प्रदर्शनी/फोटोग्राफ़्स को डिजिटल माध्यम से दर्शाया गया है, ताकि आम व्यक्ति भी विज्ञान को आसानी से समझ सके।	राज्य और बाहरी राज्यों के सभी आगंतुक।	आंचलिक विज्ञान केन्द्र, झाझरा देहरादून की स्थापना, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से की गयी है, जो कि 2016 से क्रियाशील है। विज्ञान और विज्ञान आधारित गतिविधियों में रुचि रखने वाले छात्र और अन्य लोग न्यूनतम निर्धारित शुल्क देकर केंद्र का भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की ईमेल <a href="mailto:rscdehradun@gmail.com">rscdehradun@gmail.com</a> पर अग्रिम बुकिंग कर सकते हैं।
2	आई फिशिल इंटेलीजेन्स	यूकॉस्ट, आंचलिक विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा इंटेल के सहयोग से एआई फॉर यूथ के तहत एआई स्किल्स लैब की स्थापना की गई है। जिसमें राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी एआई कोडिंग कैप आयोजित कर, प्रयोग कर सकते हैं।	कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/ छात्राएं (राजकीय/ निजी समर्स्ट स्कूलों के)	शिविर और प्रदर्शन के लिए स्कूल अपना पंजीकरण कराएंगे। ए0आई0 जागरूकता व्याख्यान के लिए पंजीकरण एआई पंजीकरण फॉर्म भरकर और ई-मेल यानी <a href="mailto:rscdehradoon@gmail.com">rscdehradoon@gmail.com</a> और cc से <a href="mailto:rscooonai@gmail.com">rscooonai@gmail.com</a> पर सूचित करके किया जा सकता है। पंजीकरण फॉर्म के अलावा कोई अलग दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
3	राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस	राज्यभर के बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान आधारित शोध परियोजना को प्रदर्शित करने एवं वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने का विशेष अवसर प्रदान करना।  विजेता छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	राज्यभर के सरकारी/ गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा 7 से बारहवीं तक के छात्र एवं छात्राएं।	राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन विद्यालय शिक्षा विभाग के माध्यम से करवाया जाता है। बच्चों का आवेदन सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा करवाया जाता है। आवेदन के दौरान विद्यार्थियों का फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, एवं बैंक खाता की आवश्यकता होती है। ब्लॉक स्तर पर कक्षा 7 से बारहवीं तक के सभी छात्र एवं छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं तत्पश्चात ब्लॉक स्तर से चयनित छात्र-छात्राएं क्रमशः जनपद एवं राज्य स्तर पर प्रतिभाग करते हैं एवं अंत में राज्य से चयनित छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रतियोगिता का कोई भी सिलेबस नहीं होता है।

क्र	कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4	शोध अनुसंधान एवं विकास	राज्य हित में विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक शोध के माध्यम से निदान हेतु शोध अनुसंधान को बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्यभर के सरकारी/ गैर सरकारी महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/ शोधसंस्थान के शैक्षणिक वैज्ञानिक संवर्ग/ तकनीकी संस्थान/ शोधार्थी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं।	वैज्ञानिक/ शोधार्थी।	प्रस्ताव परिषद को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करने के उपरान्त परिषद स्तर पर गठित परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्तुतीकरण के उपरान्त समिति की अनुशंसा पर। आवश्यक दस्तावेज—प्रस्ताव संस्था (विश्वविद्यालय, कालेज) के अध्यक्ष से अग्रसारित करना जरूरी है।
5	यात्रा अनुदान	शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली वैज्ञानिक कार्यशालाओं आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये परिषद द्वारा यात्रा अनुदान भी दिया जाता है। यात्रा का आधा खर्च (अधिकतम धनराशि रु0 25,000) इस योजना के अन्तर्गत राज्य के शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों को दिये जाने की व्यवस्था है।	राज्य के शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों	वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रारूप (परिषद की वेबसाइट <a href="https://ucost.uk.gov.in/">https://ucost.uk.gov.in/</a> पर उपलब्ध) के अनुसार देना होगा एवं विभागाध्यक्ष से अग्रसारित भी कराना होगा।

\*\*\*\*\*

# जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, उत्तराखण्ड



## उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग, उत्तराखण्ड)

क्र०	कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	<b>कौशल विकास कार्यक्रम:-</b> 1. पादप उत्तक संवर्धन द्वारा पौध उत्पादन विधि एवं कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 2. हाइड्रोपोनिक एवं मृदारहित कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 3. पेयजल एवं मृदा गुणवत्ता जॉच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 4. आणिक जीवविज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 5. हिमालय वनस्पतियों से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद से औषधि निर्माण पर प्रशिक्षण।	जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कौशल विकास के अन्तर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि स्नातक /स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 30/45 से लेकर 90 दिन और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए 180 दिन (शोध प्रबंध कार्यक्रम— डिजरटेशन) है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, चयनित छात्र, परिषद की आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अपने शोध व प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को प्लांट टिशू कल्वर, आणविक जीव विज्ञान और जेनेटिक इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, हाइड्रोपोनिक्स और मृदा रहित कृषिकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संबंधित लाभार्थी अपना व्यवसाय/स्वरोजगार/कृषि कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं।	जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आणिक और आनुवंशिक जीव विज्ञान, पर्यावरण जीव विज्ञान आदि विषय से स्नातक/परास्नातक स्तर के विद्यार्थी, शोधार्थी एवं किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	(शोध प्रबंध कार्यक्रम—डिजरटेशन) प्रत्येक वर्ष माह जनवरी से जून तक संचालित होता है जबकि 30/45 से लेकर 90 दिन का प्रशिक्षण छात्र/छात्राएं, शोधार्थी अपने अनुकूल समय व सुविधानुसार वर्ष में कभी भी कर सकते हैं – 35/45 से 90 दिन के प्रशिक्षण के लिए आवेदन अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट <a href="http://www.ucb.ac.in">www.ucb.ac.in</a> से आवेदन पत्र व अन्य दिशा-निर्देश डाउनलोड कर व विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी या साफ्ट कॉपी) को सक्षम प्राधिकारी/प्रिंसिपल/एचओडी के संस्तुति उपरांत परिषद के पते पर भेज सकते हैं। मेरिट के आधार पर चयन उपरांत सम्बंधित क्षेत्र/प्रयोगशाला में छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जबकि छह माह के प्रशिक्षण (शोध प्रबंध कार्यक्रम—डिजरटेशन) के लिए परिषद अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करती है और आवेदन प्राप्त होने के उपरांत मेरिट के आधार पर अधिकतम छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के साथ आधार कार्ड, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक व अन्य सभी समतुल्य डिग्रियों के प्रमाण—पत्र, अंक—पत्र, स्थाई निवास व जाति—प्रमाण (यदि उपयुक्त हो तो) दस्तावेजों की छाया—प्रति की आवश्यकता होती है।
2	जैव प्रौद्योगिकी में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।	प्रदेश के युवाओं को जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं स्टार्टअप प्रारम्भ करने हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी देना एवं आवश्यकतानुरूप मार्गदर्शन प्रदान करना।	जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आणिक और आनुवंशिक जीव विज्ञान, पर्यावरण जीव विज्ञान आदि विषय से स्नातक/परास्नातक एवं पी0एच0डी0 स्तर के विद्यार्थी एवं शोधार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	परिषद् द्वारा उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना बेवसाइट के साथ समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व संबंधित संस्थानों को ई—मेल अथवा सोशल मीडिया प्लेटफार्म इत्यादि के माध्यम से अवगत कराया जाता है। आवेदन पत्र गूगल फॉर्म के माध्यम

			से प्राप्त किये जाते हैं।
3	कृषक-वैज्ञानिक संगोष्ठी	<p>परिषद् कृषक-वैज्ञानिक संगोष्ठियों के माध्यम से प्रदेश के किसानों को विषय-विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन देकर जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषिकरण एवं पशुपालन में आ रही समस्याओं को निराकरण करती है। साथ ही हाईड्रोपोनिक, मृदा रहित खेती एवं कीवीफल के कृषिकरण, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन इत्यादि की तकनीकी जानकारी प्रदान करके उनको स्वरोजगार के साथ उनके आर्थिकी को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत् है।</p>	<p>युवा, किसान, स्वयं सहायता समूह एवं पशुपालक।</p> <p>परिषद् द्वारा समय-समय पर ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। प्रतिभाग हेतु विभिन्न क्षेत्रों के किसानों, युवाओं एवं कृषि से जुड़े छात्र-छात्राओं को प्रकाशित विवरणिका, लिफ्लेट एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से अवगत कराकर इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया जाता है, तदोपरान्त प्रशिक्षण / संगोष्ठी सम्पादित की जाती है।</p>

\*\*\*\*\*

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

## चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में जे के टायर लिमिटेड कम्पनी तथा यस बैंक द्वारा सीएसआर के तहत लगाये गये हैल्थ एटीएम का लोकार्पण किया।  
दिनांक 06 अप्रैल, 2023

PH

## चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	ईजा-बोर्ड शगुन योजना	जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे तक रुकने वाली सभी पात्र प्रसूताओं को ₹0 2000/- प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जाती है।	प्रसूता महिला उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी होनी अनिवार्य है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव किया हो।	प्रसूता महिला का सरकारी अस्पताल में प्रसव होने के उपरान्त संबंधित चिकित्सालय द्वारा प्रसूता महिला के आधार कार्ड, बैंक खाता मांगा जाता है तथा चिकित्सालय द्वारा महिला को ₹0 2000/- की धनराशि भुगतान करने की कार्यवाही की जाती है, जो बाद में महिला के खाते में आती है।
2	कैंसर डे केयर सेंटर	कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाने और उपचार शुरू करने के लिए उत्तराखण्ड के सभी जिलों में सामान्य कैंसर (ओरल, ब्रेस्ट और सीए सर्विक्स) की निशुल्क जांच की जा रही है।	सभी रोगी	कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी, दर्द प्रबंधन और अन्य डे केयर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी 13 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अतिथि तक उत्तराखण्ड के 10 पहाड़ी जिलों में कैंसर डे केयर यूनिट की स्थापना की गई है। संबंधित चिकित्सालय में जाकर उक्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
3	संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।	सभी जनपदों में विषेशतः आपदाकाल में मार्ग बाधाओं के दृष्टिगत चिन्हित क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं को संभावित प्रसव तिथि से ही 15 दिन पूर्व जिला चिकित्सालय के नजदीक Birth Waiting Room के रूप में संचालित “One Stop Centre” (महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं) में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास कल्याण के समन्वय से की जा रही है, जिससे आपदाकाल में प्रसव की स्थिति होने पर प्रसूता को निकटवर्ती चिकित्सालय में भर्ती कराकर संस्थागत प्रसव की सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। प्रत्येक जनपद में एक “One Stop Centre” स्थापित है।	सभी गर्भवती महिलाएं	नजदीकी आशा/आंगनबाड़ी/एएनएम से सम्पर्क कर, उक्त सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
4	चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (दिव्यांगता प्रमाणित करने	दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु तथा विभिन्न समाज कल्याण की पेंशन, छात्रवृत्ति, सेवायोजन में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।	दिव्यांग व्यक्ति	दिव्यांग व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने हेतु सर्वप्रथम अपने जनपद के जिला चिकित्सालय में बुधवार को जाना पड़ता है, वहां पर पंजीकरण फार्म चून्तम शुल्क जमा कर प्राप्त किया जाता है। उसके उपरान्त जिस अंग से दिव्यांग हो, संबंधित डाक्टर एवं

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	हेतु)			अन्य डाक्टरों को दिखाना पड़ता है। दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेगा। प्रत्येक बुधवार को जिला चिकित्सालयों में सामान्यतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित होते हैं तथा उनके द्वारा, डाक्टरों की जांच आख्या के आधार पर, चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं संबंधित दिव्यांग को उपलब्ध कराया जाता है। यदि तत्समय प्राप्त न हो तो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
5	दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूआई0डी0 कार्ड ) बनाने की प्रक्रिया।	दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की पेंशन, छात्रवृत्ति तथा आरक्षण संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा यू0आई0डी0 कार्ड को अनिवार्य किया गया है।	देश के समस्त ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, जिनका दिव्यांग चिकित्सा प्रमाण पत्र बना हो, पत्र होंगे।	दिव्यांग व्यक्ति को यू0आई0डी0 कार्ड बनाने हेतु स्वयं <a href="https://www.swavlambancard.gov.in/">https://www.swavlambancard.gov.in/</a> पर आवेदन कर सकता है या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर एवं चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत यू0आई0डी0 कार्ड जांच हेतु संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास ऑनलाइन आता है उसके बाद चिकित्साधिकारी द्वारा जांच में सही पाये जाने पर भारत सरकार को ऑनलाइन भेजा जाता है तथा भारत सरकार के स्तर से यह कार्ड जारी कर संबंधित व्यक्ति के पते पर भेजा जाता है। व्यक्ति इस कार्ड को उक्त पोर्टल से भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं/ कार्यक्रम

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)	निःशुल्क प्रसव की सुविधा, जिसके अन्तर्गत नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी, दवाईयाँ एवं अन्य जॉचे (रक्त, पेशाब जॉच तथा अल्ट्रासोनोग्राफी आदि) ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा (आवश्यकता होने पर) दी जाती है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन सुविधा (सामान्य प्रसव में 3 दिन तथा सिजेरियन प्रसव में 7 दिन तक) तथा घर से चिकित्सालय तक जाने की सुविधा, यदि अस्पताल द्वारा अन्यत्र रैफर किया जाता है तो उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाती है। बीमार नवजात शिशु के लिए (जन्म के बाद एक वर्ष तक) निःशुल्क उपचार, दवाईयाँ जॉचे तथा निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा (आवश्यकता होने पर) घर से स्वारक्ष्य संस्थान जाने, रैफरल के समय एक संस्थान से दूसरे संस्थान जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा।	गर्भवती महिलाओं के लिए: सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव पूर्व (ANC)/ प्रसवोरांत (PNC) कराने वाली राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) को यह सुविधा दी जाती है।	गर्भवती महिला (नवजात शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) का किसी भी सरकारी चिकित्सालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराने की प्रक्रिया एवं दस्तावेज़:- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं के अलग से पंजीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रदेश की किसी भी गर्भवती महिला को गर्भधारण करने के उपरांत प्रदेश के सरकारी स्वारक्ष्य केंद्रों में यह सेवा प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओं का RCH पोर्टल <a href="https://rch.nhm.gov.in/RCH/">https://rch.nhm.gov.in/RCH/</a> पर पंजीकरण आशा/एएनएम/जीएनएम द्वारा किया जाता है तथा उनके द्वारा RCH ID एवं MCP Card ANM कार्यक्रमी द्वारा बनाया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की गर्भवस्था का सम्पूर्ण विवरण होता है।
2.	जननी सुरक्षा योजना (JSY)	गर्भवती महिलाओं को राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र की महिला को ₹0–1000 एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला को ₹0 –1400 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है।	गर्भवती महिलाएं	सरकारी चिकित्सालयों में पंजीकरण करवा कर प्रसव कराने पर प्रसवोरांत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। <u>पंजीकरण की प्रक्रिया:-</u> आशा कार्यक्रमी के माध्यम से अथवा आशा कार्यक्रमी न होने की दशा में गर्भवती महिलाएं स्वयं भी अपना पंजीकरण प्रदेश के सरकारी स्वारक्ष्य केंद्र में करवा सकती है, जिसके लिए गर्भवती महिला का बैंक खाता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आदि देना होता है। प्रसव करवाने के उपरांत लगभग एक माह के भीतर धनराशि का भुगतान महिला के खाते में हो जाता है।
3.	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)	सरकारी चिकित्सालयों में प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं एवं उच्च जोखिम गर्भवस्था वाली महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के दौरान ANC से सम्बन्धित समस्त जांचें एवं Ultrasound की सुविधा सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती है।	गर्भवती महिलाएं	गर्भवती महिलाओं को सरकारी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिन पंजीकरण करवाने पर यह सुविधा प्रदान की जाती है। पंजीकरण संबंधित चिकित्सालय के एएनएम/आशा/जीएनएम द्वारा किया जाता है तथा पंजीकरण हेतु महिला का आधार कार्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य होता है।

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया																																							
4.	प्रतिरक्षण कार्यक्रम	<p>कई जानलेवा बीमारियों से शिशुओं के बचाव हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआई0पी0) के अन्तर्गत निःशुल्क टीकाकरण निम्नवत निर्धारित अवधि में किया जाता है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">National Immunization Schedule</th> </tr> <tr> <th>Vaccine</th> <th>Dose</th> <th>Vaccination Age</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BCG</td> <td>1 dose</td> <td>At birth, Upto one year</td> </tr> <tr> <td>OPV</td> <td>5 doses</td> <td>At birth, 6 week,10 week,14 week and 16-23 months</td> </tr> <tr> <td>FIPV</td> <td>3 doses</td> <td>6 week,14 week, &amp; 9 month</td> </tr> <tr> <td>Hepatitis-B</td> <td>1 dose</td> <td>At birth</td> </tr> <tr> <td>Pentavalent</td> <td>3 doses</td> <td>6 week,10 week,14 week</td> </tr> <tr> <td>RVV</td> <td>3 doses</td> <td>6 week,10 week,14 week</td> </tr> <tr> <td>PCV</td> <td>3 doses</td> <td>6 week,10 week,14 week</td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>2 doses</td> <td>9 month &amp; 16-23 month</td> </tr> <tr> <td>JE(In endemic districts only)</td> <td>2 doses</td> <td>9 month &amp; 16-23 month</td> </tr> <tr> <td>DPT</td> <td>2 doses</td> <td>16-23 month &amp; 5-6 year</td> </tr> <tr> <td>Td</td> <td>2 doses</td> <td>10 year, 16 year</td> </tr> </tbody> </table>	National Immunization Schedule			Vaccine	Dose	Vaccination Age	BCG	1 dose	At birth, Upto one year	OPV	5 doses	At birth, 6 week,10 week,14 week and 16-23 months	FIPV	3 doses	6 week,14 week, & 9 month	Hepatitis-B	1 dose	At birth	Pentavalent	3 doses	6 week,10 week,14 week	RVV	3 doses	6 week,10 week,14 week	PCV	3 doses	6 week,10 week,14 week	MR	2 doses	9 month & 16-23 month	JE(In endemic districts only)	2 doses	9 month & 16-23 month	DPT	2 doses	16-23 month & 5-6 year	Td	2 doses	10 year, 16 year	0-16 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे जिनकों टीकाकरण की आवश्यकता हो।	टीकाकरण की सुविधा समस्त सामु0स्वा0 केन्द्र, प्रा0स्वा0 केन्द्र, उपकेन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र, नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है जिसका लाभ 0-16 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे पंजीकरण करवा कर प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण हेतु बच्चे को संबंधित राजकीय चिकित्सालयों में ले जाना पड़ता है तथा बच्चे का जन्म संबंधी प्रमाण/एएनएस द्वारा जारी कार्ड की आवश्यकता होती है।
National Immunization Schedule																																											
Vaccine	Dose	Vaccination Age																																									
BCG	1 dose	At birth, Upto one year																																									
OPV	5 doses	At birth, 6 week,10 week,14 week and 16-23 months																																									
FIPV	3 doses	6 week,14 week, & 9 month																																									
Hepatitis-B	1 dose	At birth																																									
Pentavalent	3 doses	6 week,10 week,14 week																																									
RVV	3 doses	6 week,10 week,14 week																																									
PCV	3 doses	6 week,10 week,14 week																																									
MR	2 doses	9 month & 16-23 month																																									
JE(In endemic districts only)	2 doses	9 month & 16-23 month																																									
DPT	2 doses	16-23 month & 5-6 year																																									
Td	2 doses	10 year, 16 year																																									
5.	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 0-5 वर्ष तक के बच्चों को चिकित्सा सेवाएं एस0एन0सी0यू0, एन0बी0एस0यू0 एवं एन0आर0सी0 के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आशा/ऑगनबाड़ी कार्यक्रियों /ANM द्वारा Vitamin A, IFA Surup 0-5 Month तक के बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाती है।	0-5 वर्ष तक के बच्चे	राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एस0एन0सी0यू0, एन0बी0एस0यू0 एवं एन0बी0सी0सी0 संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में पंजीकरण कराकर सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।																																							
6.	किशोर स्वास्थ्य परामर्श क्लीनिक	किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक में निःशुल्क परामर्श प्रदान की जाती है।	राज्य के समस्त किशोर (10 से 19 वर्ष)	राज्य के 13 जिला चिकित्सालयों, 02 उप जिला चिकित्सालयों तथा 45 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण करवाने पर निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है।																																							

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
7.	सप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण	राज्य के सभी राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को प्रत्येक सोमवार को सप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण का कार्य विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा किया जाता है।	छात्र या छात्रा	समस्त राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पंजीकृत छात्र-छात्राओं को उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
8.	सैनिटरी नैपकीन वितरण	किशोरियों को प्रजनन तंत्र संक्रमण के बचाव एवं माहवारी स्वच्छता की आदत विकसित करने हेतु वर्तमान में ₹० ६/- भुगतान करने पर सैनिटरी नैपकीन आशा द्वारा प्रदान किया जाता है।	राज्य की १० से १९ वर्ष की समस्त किशोरियां	सैनिटरी नैपकीन सभी आशाओं के पास उपलब्ध होते हैं।
9.	निःशुल्क जांच योजना	जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क जांचे प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत 266 जांचें निःशुल्क की जाती है।	राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में पंजीकरण करने के उपरांत कोई भी निःशुल्क जांच करवा सकता है।	राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब उपलब्ध है। इन चिकित्सा इकाईयों में निर्धारित समय, जो कि उस चिकित्सालय के CMS/Hospital Incharge द्वारा निर्धारित किया जाता है, के पश्चात् आने वाले रोगियों की अनुबन्धित फर्म के कार्मिक द्वारा निःशुल्क जांचें की जाती है।
10.	<b>108,</b> आक्रिमिक एम्बुलेन्स सेवा	किसी भी प्रकार की आक्रिमिक दुर्घटना में मरीजों को चिकित्सालय तक पहुँचाना तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाना। इस सेवा का लाभ 272 एम्बुलेन्सों के माध्यम से राज्य वासियों को दिया जा रहा है।	दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति एवं आपातकालीन सेवा हेतु।	108 नम्बर पर कॉल करके सेवाओं का लाभ निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
11.	खुशियों की सवारी सेवा	गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरान्त नवजात शिशु सहित निःशुल्क चिकित्सालय से घर तक पहुँचाना, गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड हेतु घर से चिकित्सालय तक आने -जाने की निःशुल्क सुविधा 128 वाहनों के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही है।	गर्भवती महिलाएँ एवं ० से ०१ साल तक के नवजात शिशु हेतु।	102 नम्बर पर कॉल करके सेवाओं का लाभ निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
12.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम	राज्य में निम्नलिखित 14 डायलिसिस केंद्रों पर सभी को निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 1. बेस अस्पताल, अल्मोड़ा, 2. जिला अस्पताल, बागेश्वर, 3. ट्रामा सेंटर कर्णप्रयाग, चमोली, 4. जिला अस्पताल, चंपावत, 5. संयुक्त अस्पताल, रुड़की, हरिद्वार, 6. जी०बी०पंत अस्पताल, नैनीताल, 7. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, पौड़ी गढ़वाल, 8. जिला अस्पताल, पिथौरागढ़, 9.	बी०पी०एल० कार्डधारक रोगी, गोल्डन कार्डधारक रोगी एवं अन्य रोगी।	जनपद के निकटतम डायलिसिस केंद्र में भ्रमण कर स्वयं को पी०एम०एन०डी०पी० पोर्टल पर रजिस्टर करवाने पर रजिस्टर किये गये रोगी डायलिसिस उपचार हेतु पात्र हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु रोगी को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोबाइल, जिस पर ओ०टी०पी० भेजा जायेगा, की आवश्यकता पड़ती है। रजिस्टर किये गये रोगी डायलिसिस उपचार हेतु पात्र हो जाते हैं। राज्य की 19 चिकित्सा इकाईयों,

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		<p>जिला अस्पताल, रुद्रप्रयाग, 10. उप जिला अस्पताल, नरेंद्रनगर, टिहरी गढ़वाल, 11. उप जिला अस्पताल, खटीमा, उधम सिंह नगर, 12. जिला अस्पताल, उत्तरकाशी, 13. जिला अस्पताल, पौड़ी गढ़वाल, 14. दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।</p> <p>राज्य के 05 डायलिसिस केंद्रों, कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून, मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल, बेस अस्पताल, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, जिला अस्पताल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य के आयुषान कार्डधारक रोगियों, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के बी0पी0एल0 कार्ड धारक रोगियों को निःशुल्क एवं अन्य रोगियों को निम्नलिखित रियायती दरों पर डायलिसिस सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।</p> <p>रु0 1028/- प्रति डायलिसिस सेशन की दर से मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल एवं जिला अस्पताल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर डायलिसिस केंद्रों में।</p> <p>रु0 1290/- प्रति डायलिसिस सेशन की दर से कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून एवं बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल डायलिसिस केंद्रों में।</p>		जो कॉलम 3 में अंकित हैं, में रोगियों को डायलिसिस उपचार की सुविधा वर्तमान में प्रदान की जाती है।
13.	निःशुल्क रक्त	योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती समस्त रोगियों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है।	राजकीय चिकित्सालय में भर्ती समस्त रोगी जिन्हे रक्त की आवश्यकता होने पर राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती रोगी को राजकीय रक्तकोषों द्वारा रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। राज्य की कुल 23 चिकित्सा इकाईयों में रोगियों को निःशुल्क रक्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।	<p>रक्त की आवश्यकता होने पर राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती रोगी को राजकीय रक्तकोषों द्वारा रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। राज्य की कुल 23 चिकित्सा इकाईयों में रोगियों को निःशुल्क रक्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा,</li> <li>उप-जिला चिकित्सालय, रानीखेत,</li> <li>जिला चिकित्सालय, बागेश्वर,</li> <li>जिला चिकित्सालय, चमोली</li> <li>जिला चिकित्सालय, चम्पावत,</li> <li>दून चिकित्सालय,</li> <li>राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून,</li> <li>उप-जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश,</li> <li>जिला चिकित्सालय हरिद्वार,</li> <li>उप-जिला चिकित्सालय, रुडकी,</li> <li>जिला चिकित्सालय, नैनीताल,</li> <li>बेस चिकित्सालय हल्द्वानी,</li> <li>सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज,</li> <li>जिला चिकित्सालय, पौड़ी,</li> <li>बेस चिकित्सालय, कोटद्वार,</li> <li>श्रीनगर</li> </ol>

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				राजकीय मेडिकल कॉलेज, 17. जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़, 18. जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग, 19. जिला चिकित्सालय, टिहरी, 20. जिला चिकित्सालय, उधम सिंह नगर, 21. जिला चिकित्सालय, काशीपुर, 22. उप-जिला चिकित्सालय, खटीमा, 23. जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी
14.	हीमोग्लोबिनोपैथी	इस योजना के अन्तर्गत थैलीसीमिया से ग्रसित रोगी को निःशुल्क ब्लड फिल्टर, चिलेटर तथा रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। हीमोफीलिया से ग्रसित को निःशुल्क हीमोफीलिया फैक्टर (जीवन रक्षक औषधि) उपलब्ध कराया जाता है।	थैलीसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रसित समस्त रोगी।	थैलीसीमिया से ग्रसित रोगी उपजिला चिकित्सालय रुडकी, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा, बेस चिकित्सालय नैनीताल, जिला चिकित्सालय रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर में स्थापित DEIC केन्द्र में जाकर पंजीकरण कराना पड़ता है पंजीकरण हेतु रोगी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं चिकित्सक से परामर्श कर उक्त रोग की पुष्टि संबंधी प्रमाण की आवश्यकता होती है। उसके उपरान्त निःशुल्क ब्लड फिल्टर, चिलेटर तथा रक्त की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी को चिकित्सक के निदान पर्चे और आधार कार्ड के माध्यम से हीमोफीलिया सोसाईटी में पंजीकरण कराने के उपरान्त अपनी निकटतम् राजकीय चिकित्सा ईकाई से निःशुल्क हीमोफीलिया फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया—हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी 104 हेल्पलाईन (निःशुल्क) अथवा हीमोफीलिया सोसाईटी से संपर्क करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
15.	एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाईन	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाईन 24x7x365 दिन के आधार पर संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सलाह / जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	आम मानस	उक्त हेतु 104 नम्बर पर कॉलकर सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
16.	राष्ट्रीय क्ष:य उन्मूलन कार्यक्रम	कार्यक्रम अन्तर्गत क्ष:य रोग की जाँच, उपचार एवं औषधि निःशुल्क उपलब्ध है। सभी क्ष:य रोगियों को उपचार अवधि तक निःक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत पोषाहार भत्ता रु0— 500 /— प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।	राज्य में उपचार ले रहे क्ष:य रोग से ग्रसित व्यक्ति।	राष्ट्रीय क्ष:य उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत सम्बन्धित क्षेत्र के सीनियर ट्रीटमेन्ट सुपरवाइजर / लैब टेक्नीशियन द्वारा क्ष:य रोग से ग्रसित व्यक्तियों को सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र में निःक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण हेतु रोगी का नाम, पता मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड आवश्यक होता है।
17.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)	तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को जिला चिकित्सालयों में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों में तैनात काउन्सलर के द्वारा उचित परामर्श व उपचार प्रदान कर तम्बाकू की लत से छुटकारा मिलता है।	समस्त आयु वर्ग के व्यक्ति।	तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र में तैनात काउन्सलर से संपर्क कर पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				वर्तमान में जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य के समस्त 12 जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अन्तर्गत काउंसलर तैनात है।
18.	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB)	समस्त जिला चिकित्सालयों व अनुबन्धित गैर सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से नेत्र रोग से सम्बन्धित मरीजों की स्क्रीनिंग कर उपचार प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों व स्कूली बच्चों को राजकीय चिकित्सा इकाई के माध्यम से स्क्रीनिंग कर निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है।	नेत्र रोग से सम्बन्धित समस्त व्यक्ति।	नेत्र रोग से सम्बन्धित समस्त रोगियों द्वारा नजदीकी चिकित्सा इकाई में पंजीकरण कराकर तैनात दृष्टिमितिज्ञ के माध्यम से स्क्रीनिंग के पश्चात उच्च चिकित्सा इकाई में उपचार प्राप्त किया जा सकता है।
19.	राष्ट्रीय पैलियटिव केयर कार्यक्रम (NPPC)	राज्य के जिला चिकित्सालयों में स्थापित पैलियटिव वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टॉफ नर्सों के माध्यम से लाइलाज रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को दर्द प्रबन्धन व देखभाल प्रदान की जाती है।  पैलियटिव वार्ड में निम्न बिमारियों से ग्रसित लाइलाज रोगों से पीड़ित मरीजों का दर्द प्रबन्धन व देखभाल प्रदान की जाती है:- Cancer, Heart Disease, Lung Disease, Kidney Failure, Chronic LiverDisease, Rheumatoid Arthritis, Neurological Diseases, Congenital Anomalies, Dementia, HIV AIDS, ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) इत्यादि अथवा कोई भी Chronic Diseases जिसके कारण मरीज Bedridden हों या सामान्य जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हों या जीवन के अन्तिम दौर से गुजर रहा हो।	लाइलाज रोगों से पीड़ित समस्त व्यक्ति।	राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में पंजीकरण कराकर प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टॉफ नर्सों के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है।  जनपद के 09 जिला विकित्सालयों में (नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत, बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली) पैलियटिव वार्ड क्रियाशील हैं तथा 04 जनपदों- पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी में वार्ड का स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।
20.	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक देखभाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (NPHCE)	जिरेयटिक वार्ड का मुख्य उददेश्य है कि यदि कोई बीमार वरिष्ठ नागरिक, हॉस्पिटल में भर्ती होने हेतु आता है तो उसको जिरेयटिक वार्ड में बैड उपलब्ध कराया जायेगा। समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क फिजियोथेरेपी प्रदान की जाती है।	समस्त 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के व्यक्ति।	राज्य के समस्त जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 10 बैडेड स्थापित जिरेयटिक वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों/स्टॉफ नर्सों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल की जाती है। राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में पंजीकरण कराकर प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टॉफ नर्सों के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है।

### राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं

1	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना)	उत्तराखण्ड प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितम्बर 2018 एवं अटल आयुष्मान 25 दिसम्बर 2019 से लागू है। बीमारी की स्थिति में चिकित्सालय में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹0 5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवार का उत्तराखण्ड में	किसी भी नजदीकी जनसेवा केन्द्रों/यूटीआई केन्द्रों/योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में तैनात आरोग्य मित्रों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड आदि के सत्यापन कर आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है।
---	--	--	---	---

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			राशन कार्ड के साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर।	पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड लैयार करने हेतु <a href="https://beneficiary.nha.gov.in/">https://beneficiary.nha.gov.in/</a> पर अपना पंजीकरण कर सकता है। आयुष्मान कार्ड बनवाने एवं आयुष्मान योजना से संबंधित समस्त अन्य जानकारी के लिए टोल फ़ी हेल्पलाइन नंबर 155368 (राज्य में) तथा 1800-180-5368 (राज्य के बाहर) पर कॉल करें अथवा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट <a href="https://sha.uk.gov.in/">https://sha.uk.gov.in/</a> पर लॉगिन करें।
2	राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/ पेंशनरों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना 1 जनवरी 2021 से लागू है। जिसमें निर्धारित चिकित्सा उपचार निशुल्क है।	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर, जिनके द्वारा गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं एवं प्रतिमाह धनराशि जमा करते हैं।	राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों/पेंशनरों उनके परिवार के सदस्यों एवं स्वायत्तशासी निकाय, निगमों प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों का गोल्डन कार्ड, जन सेवा केन्द्र/यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया/चिह्नित चिकित्सालय में बनाया जाता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में परिवार एवं आश्रित की परिभाषा वही होगी जो उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 में उल्लिखित है। आश्रित की आयसीमा- आश्रित की मासिक आय की सीमा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अनुरूप निर्धारित होगी। नोट – विकलांगता का तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से है जिसकी पुष्टि विकलांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड ) के आधार पर की जायेगी।
<b>राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं</b>				
1	मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया	शासनादेश संख्या—773/xxviii-4-2019-101/2009, दिनांक 17.09.2019 के सुसंगत प्राविधानानुसार संस्थान में मानसिक रोगी को आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।	संस्थान में देश के समस्त कोने/क्षेत्र से आने वाले मानसिक रोगी का उपचार किया जाता है।	मानसिक रोगी को संस्थान में वाह्य रोगी विभाग (ओ०पी०डी०) अथवा आकस्मिक विभाग में मनोरोग विशेष/चिकित्सक द्वारा निरीक्षण/परीक्षण के उपरान्त की संस्तुति के आधार पर भर्ती किया जाता है। सामान्यता भर्ती होने वाले मानसिक रोगी के साथ उसका नामित प्रतिनिधि/पारिवारिक सदस्य/तीमारदार की आवश्यकता होती है। रोगी (निराश्रित को छोड़कर) व पारिवारिक सदस्य/तीमारदार की पहचान आई०डी० फोटो व दूरभाष नं० सहित संस्थान में जमा किया जाता है।

## चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मेडिकल /डेण्टल /नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण :-

### 1. मेडिकल

<b>स्नातक पाठ्यक्रम</b>	
पाठ्यक्रम का नाम	एम0बी0बी0एस0
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5 ½ वर्ष (4 ½ वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेरी इन्टर्नशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित नीट यूजी0 प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अहंता	भारत सरकार / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	<p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेज :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।</li> <li>राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।</li> <li>राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।</li> <li>सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा।</li> </ol> <p><b>निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, देहरादून।</li> <li>श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ, साईंसेज, देहरादून।</li> <li>गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून।</li> </ol>
सीटों का विभाजन	<p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु</b></p> <p>85% राज्य कोटा (01 सीट सेन्ट्रल पूल कोटा एवं 01 सीट कश्मीरी विस्थापितों हेतु आरक्षित)</p> <p>15 % केन्द्रीय कोटा</p> <p><b>राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु</b> समय-समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार</p>
शिक्षण शुल्क	<p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बॉण्डेड छात्रों हेतु :— ₹0 50,000/- (प्रतिवर्ष)</li> <li>नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु :— ₹0 1.45 लाख /— (प्रतिवर्ष)</li> </ol> <p>पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों (श्रीनगर गढ़वाल एवं अल्मोड़ा) में छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा एच्छिक आधार पर उपलब्ध है।</p> <p><b>राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु</b></p>

	समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	<p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :-</b></p> <p><b>15 % केन्द्रीय कोटे हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल कॉउन्सिल कमेटी द्वारा आयोजित कॉउन्सिलिंग के माध्यम से।</b></p> <p><b>85% राज्य कोटे हेतु कुलपति, है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।</b></p> <p>सेन्ट्रल पूल कोटे की सीट पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा सीट आवंटन किया जाता है।</p> <p><b>राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु</b></p> <p>समय—समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।</p>
सम्बद्ध विश्वविद्यालय (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु)	है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई—मेल आई.डी.	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून—248011 Website:- <a href="http://www.hnbumu.ac.in">www.hnbumu.ac.in</a> , E-mail- <a href="mailto:info.hnbumu@gmail.com">info.hnbumu@gmail.com</a>
<b>परास्नातक पाठ्यक्रम</b>	
पाठ्यक्रम का नाम	एम०डी०/ एम०एस०, पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी०, पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी०, पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	<ul style="list-style-type: none"> <li>● एम०डी०/ एम०एस० – (03 वर्ष)</li> <li>● पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा – (02 वर्ष)</li> <li>● पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० – (02 वर्ष)</li> <li>● पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी० – (03 वर्ष)</li> </ul>
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित <b>नीट पी०जी०</b> प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	<p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेज :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।</li> <li>2. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।</li> <li>3. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।</li> </ol> <p><b>निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, देहरादून।</li> <li>2. श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ, साईंसेज, देहरादून।</li> </ol>

सीटों का विभाजन	<p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>एम०डी० / एम०एस० (<b>50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा</b>)</li> <li>पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० (<b>50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा</b>)</li> <li>पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी० (<b>50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा</b>)</li> <li>पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा (<b>50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा</b>)</li> </ul> <p><b>राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु</b> समय—समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार</p>
शिक्षण शुल्क	<p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम०डी० / एम०एस० (क्लीनिकल विषयों) हेतु :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बॉण्डेड छात्रों हेतु :- रु० 60,000/- (प्रतिवर्ष)</li> <li>नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु :- रु० 5 लाख/- (प्रतिवर्ष)</li> </ol> <p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम०डी० / एम०एस० (नॉन-क्लीनिकल विषयों) हेतु :-</b> रु० 01 लाख/- (प्रतिवर्ष)</p> <p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु :-</b> भारत सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (बॉण्ड अनिवार्य)</p> <p>राजकीय मेडिकल कॉलेजों में छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा मात्र एम०डी० / एम०एस० (क्लीनिकल विषयों) में ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध है।</p> <p><b>राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु</b> समय—समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार</p>
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षेत्रिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	<p><b>राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>एम०डी० / एम०एस० हेतु</b> 50% केन्द्रीय कोटे हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल कॉउन्सिल कमेटी द्वारा आयोजित कॉउन्सिलिंग के माध्यम से। 50% राज्य कोटे हेतु कुलपति, है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।</li> <li><b>पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० / पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी० / पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा</b> 50% केन्द्रीय कोटे हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कॉउन्सिलिंग के माध्यम से। 50% राज्य कोटे हेतु कुलपति, है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।</li> </ol> <p><b>राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु</b> समय—समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा</p>

	विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय / संस्था (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु)	1. एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम हेतु हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून 2. पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० / पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी०/पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई-मेल आई०डी०	हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून। न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून—248011, Website:- <a href="http://www.hnbumu.ac.in">www.hnbumu.ac.in</a> , E-mail- <a href="mailto:info.hnbumu@gmail.com">info.hnbumu@gmail.com</a> आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली। मेडिकल एन्कलेव, अन्सारी नगर, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड, नई दिल्ली— 110029, Website:- <a href="http://www.natboard.edu.in">www.natboard.edu.in</a> ,

## 2. डेण्टल पाठ्यक्रम :-

<b>स्नातक पाठ्यक्रम</b>	
पाठ्यक्रम का नाम	बी०डी०एस०
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5 वर्ष (4 वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेट्री इन्टर्नशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित <b>नीट यू०जी०</b> प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	<b>निजी डेण्टल संस्थान:-</b> 1. सीमा डेण्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश। 2. उत्तराचांल डेण्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून।
सीटों का विभाजन	राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु -50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
शिक्षण शुल्क	<b>राज्य स्थित निजी डेण्टल कॉलेजों हेतु</b> उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 एवं 2018 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क।
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	<b>राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु</b> 50% राज्य कोटे तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई-मेल आई०डी०	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून—248011 Website:- <a href="http://www.hnbumu.ac.in">www.hnbumu.ac.in</a> , E-mail- <a href="mailto:info.hnbumu@gmail.com">info.hnbumu@gmail.com</a>

## परास्नातक पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम का नाम	एम०डी०एस०
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एम०डी०एस० – 03 वर्ष

प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित <b>नीट एम०डी०एस० पी०जी०</b> प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
सीटों का विभाजन	राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु 50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
शिक्षण शुल्क	<b>राज्य स्थित निजी डेण्टल कॉलेजों हेतु</b> उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 एवं 2018 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	<b>राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु</b> 50% राज्य कोटे तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु कुलपति, है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई-मेल आई०डी०	हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून। न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून-248011, Website:- <a href="http://www.hnbamu.ac.in">www.hnbamu.ac.in</a> , E-mail- <a href="mailto:info.hnbamu@gmail.com">info.hnbamu@gmail.com</a>

### 3. नर्सिंग पाठ्यक्रम :-

डिप्लोमा/स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	ए०एन०एम० (डिप्लोमा), जी०एन०एम (डिप्लोमा), बेसिक बी०एस०सी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग,
नियामक परिषद	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	ए०एन०एम० (डिप्लोमा) – 02 वर्ष जी०एन०एम (डिप्लोमा) – 03 वर्ष 06 माह बेसिक बी०एस०सी नर्सिंग – 04 वर्ष * पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग– 02 वर्ष
प्रवेश परीक्षा	<b>राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :-</b> 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु है०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा <b>राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :-</b> 50% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु है०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार अन्य निजी नर्सिंग संस्थानों को राज्य सरकार के एकट के अनुसार स्वयं के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं।
शुल्क	<b>राजकीय नर्सिंग संस्थानों हेतु</b> ए०एन०एम० (डिप्लोमा) – रु० 4427/- प्रति वर्ष

	<p>जी०एन०एम (डिप्लोमा) – रु० 6713/- प्रति वर्ष</p> <p>बेसिक बी०एस०सी नर्सिंग – रु० 11813/- प्रति वर्ष</p> <p>पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग – रु० 11813/- प्रति वर्ष</p> <p><b>निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु</b></p> <p>ए०एन०एम० (डिप्लोमा) – रु० 41800/- प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रु० 52800/- प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)</p> <p>जी०एन०एम (डिप्लोमा) – रु० 44000/- प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रु० 55000/- प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)</p> <p>बेसिक बी०एस०सी नर्सिंग – रु० 61600/- प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रु० 72600/- प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)</p> <p>पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग – रु० 61600/- प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रु० 72600/- प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)</p>
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	<p><b>राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु</b> :– 100% राज्य कोटे के माध्यम से।</p> <p><b>राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु</b> –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा</p>
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	<p><b>राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु</b> :– 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।</p> <p><b>राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु</b> –50% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार</p>
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ संस्था	है०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून/स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई-मेल आई०डी०	न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बौया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून-248011 Website:- <a href="http://www.hnbamu.ac.in">www.hnbamu.ac.in</a> , E-mail- <a href="mailto:info.hnbamu@gmail.com">info.hnbamu@gmail.com</a>

**नोट:-** \* बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा एवं कॉउन्सिलिंग समय-समय पर भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है।

<b>परास्नातक पाठ्यक्रम</b>	
पाठ्यक्रम का नाम	एम०एस-सी० नर्सिंग, एन०पी०सी०सी०
मानक परिषद	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एम०एस०सी नर्सिंग (02 वर्ष), एन०पी०सी०सी० (02 वर्ष)
प्रवेश परीक्षा	<b>राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु</b> :– 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु है०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा

	<b>राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :-</b> 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार अन्य निजी नर्सिंग संस्थानों को राज्य सरकार के एकट के अनुसार स्वयं के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं।
शुल्क	<b>राजकीय नर्सिंग संस्थानों हेतु-</b> एम०एस०सी० नर्सिंग- रु० ३९१७५/- प्रति वर्ष <b>निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु-</b> एम०एस०सी० नर्सिंग - रु० ७००००/- प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रु० ७५०००/- प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	<b>राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :-</b> 100 प्रतिशत राज्य कोटे के माध्यम से। <b>राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :-</b> 50 प्रतिशत राज्य कोटा तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	<b>राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :-</b> 100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। <b>राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :-</b> 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई-मेल आई०डी०	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून-२४८०११ Website:- <a href="http://www.hnbamu.ac.in">www.hnbamu.ac.in</a> , E-mail- <a href="mailto:info.hnbamu@gmail.com">info.hnbamu@gmail.com</a>

#### 4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम :-

##### डिप्लोमा / स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम का नाम	उच्च शिक्षा अनुभाग-३, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-६७२/XXIV(३)/२०१७-०७(०७)२०१७ दिनांक २३ नवम्बर २०१७ के द्वारा अधिसूचित पाठ्यक्रम
नियामक परिषद	उत्तराखण्ड पैरा चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	उच्च शिक्षा अनुभाग-३, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-६७२/XXIV(३)/२०१७-०७(०७)२०१७ दिनांक २३ नवम्बर २०१७ / नियामक परिषद एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित।
प्रवेश परीक्षा	<p><b>राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु :-</b>          100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा</p> <p><b>राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु :-</b>          50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा</p>

	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा <b>तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे</b> की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार <b>अन्य</b> निजी पैरामेडिकल संस्थानों को राज्य सरकार के एकट के अनुसार स्वयं के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं।
शुल्क	<p><b>राजकीय पैरामेडिकल संस्थानों हेतु</b> –पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु— रु0 45000/- प्रति वर्ष</p> <p><b>निजी पैरामेडिकल संस्थानों हेतु</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु— रु0 35000/- प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 50000/- प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)</li> <li>● पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु —रु0 45000/- प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 60000/- प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)</li> <li>● पैरामेडिकल पी0जी0 पाठ्यक्रमों हेतु —रु0 55000/- प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 70000/- प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)</li> </ul>
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	नियामक परिषद/स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	<p><b>राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु</b> —100% राज्य कोटे के माध्यम से।</p> <p><b>राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु</b> —50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा</p>
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	<p><b>राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु</b> :—100% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।</p> <p><b>राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु</b> —50% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार</p>
सम्बद्ध विश्वविद्यालय / संस्थान	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून / स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई-मेल आईडी	<p>न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बौया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून—248011</p> <p>Website:- <a href="http://www.hnbamu.ac.in">www.hnbamu.ac.in</a>, E-mail- <a href="mailto:info.hnbamu@gmail.com">info.hnbamu@gmail.com</a></p>

\*\*\*\*\*

## होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड



दून विश्वविद्यालय, देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 'होम्योकॉन- 2023' के शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

दिनांक 14 मई, 2023

## होम्योपैथी विभाग

क्र	स्वास्थ्य सुविधाओं का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	13 राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय, 71 रा० होम्योपैथिक चिकित्सालय, 28 एन०एच०एम० विंग, 05 आर०सी०एच० तथा 04 त्वचा केन्द्र	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धान्तों पर आधारित रोग, निवारक, उपचारामत्क एवं दुष्परिणाम रहित स्वास्थ्य सेवायें राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती है। शहरी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच कैम्प के माध्यम से निःशुल्क होम्योपैथी उपचार तथा औषधियां प्रदान की जाती हैं। विभिन्न मौसमी रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिए आउटरीच स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।	आम जनमानस	समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही है।
2	27 राजकीय होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना	हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों के माध्यम से आमजनमानस को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सकीय परामर्श, निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियों का वितरण एवं निम्न सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं :— योगाभ्यास (प्रत्येक एच०डब्ल्य०सी० में 01—01 योग अनुदेशक पुरुष/महिला के द्वारा प्रातः कालीन योगाभ्यास कराया जा रहा है।) रैपिड किट आधारित सामान्य पैथोलॉजिकल जांचें (हीमोग्लोबिन, शुगर, प्रैग्नेन्सी टेस्ट, यूरिन इत्यादि की जांचे) तथा हर्बल गार्डन (आमजनमानस को औषधियां पौधों की जानकारी के लिये हर्बल गॉर्डन स्थापित किए गये हैं तथा आशाओं के माध्यम से औषधीय पौधों को आमजनमानस को वितरित कर उक्त की जानकारी प्रदान की जा रही है।	आम जनमानस	समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही है।
3	होम्योपैथिक औषधि निर्माण तथा विक्रय के नवीन लाईसेन्स निर्गत तथा नवीनीकरण करना	होम्योपैथिक औषधि के थोक एवं फुटकर लाईसेन्स प्राप्त कर औषधियों के विक्रय हेतु पत्र हो जाता है तथा लाभार्थी अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकता है।	बी०एच०एम०एस०/फार्म सी डिप्लोमाधारी/ पंजीकृत होम्योपैथिक क्लीनिक में 01 वर्ष कार्य का अनुभव/ होम्योपैथिक फुटकर या थोक लाईसेंस धारक के साथ 1 वर्ष का अनुभव	नवीन लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु ई-सर्विस पोर्टल से आवेदन करते हैं तथा होम्योपैथी औषधि निर्माण लाईसेन्स एवं नवीनीकरण के लिए ऑफलाइन भी आवेदन करते हैं। आवेदन के दौरान निर्धारित आवेदन फॉर्म डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, आदि संलग्न करने होंगे। उक्त विक्रय फुटकर एवं थोक लाईसेन्स हेतु प्रति लाईसेन्स रु० 250/- शुल्क निर्धारित है तथा उक्त लाईसेन्स 05 वर्ष के लिये वैध होता है।

\*\*\*\*\*

# आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



ल०ब०शा०रा०प्र०अकादमी मसूरी में मंथन शिविर के दौरान योगाभ्यास



## आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग

क्र.	स्वास्थ्य सुविधाओं का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र—आयुषान भारत योजना	<p>राज्य में कुल 300 आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र संचालित हैं, जिनमें रोगानुसार औषधि वितरण, रोगानुसार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान की जाती है।</p> <p><b>प्रकृति परीक्षण एवं ऋतुचर्या—</b>दिनचर्या के अनुसार काउन्सिलिंग, गैर—संक्रामक रोगों जैसे—डायबिटिस, उच्च रक्तचाप, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जाँच एवं निदान किया जाता है।</p> <p><b>औषधीय पौधों का वितरण।</b></p> <p>इस हेतु प्रति व्यक्ति रु0 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं रु0 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ0पी0 डी0 शुल्क निर्धारित है।</p>	कोई भी आयुर्वर्ग	लाभार्थी जिसने राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी, हौस्योपैथी औषधालय/चिकित्सालय में पंजीकरण करवाया हो।
2	आयुर्विद्या—आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली का विकास करना, रोगानुसार औषधि वितरण करना। यह सुविधा निःशुल्क है।		स्कूली बच्चे	राजकीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चे
3	सुप्रजा—आयुष के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। रोगानुसार औषधि वितरण करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति रु0 10.00 ओ0पी0डी0 शुल्क निर्धारित है।		मातृ एवं नवजात शिशु	03 आयुर्वेदिक कॉलेजों (आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कैम्पस, ऋषिकेल एवं गुरुकुल) में उपचार हेतु पंजीकृत लाभार्थी।
4	योग वैलनेस केन्द्र	रोगानुसार योग, प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करना एवं काउन्सिलिंग प्रदान करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति रु0 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं रु0 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ0पी0 डी0 शुल्क निर्धारित है।	कोई भी आयुर्वर्ग	लाभार्थी जिसने चिह्नित राजकीय आयुर्वेदिक, चिकित्सालय में पंजीकरण करवाया हो।

\*\*\*\*\*

# सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड।



उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, मुंबई रोड शो

## सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)	<p>विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम के लिये परियोजना की अधिकतम लागत ₹० 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत ₹० 10 लाख बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है।</p> <p>श्रेणी-ए के जनपदों हेतु 25 प्रतिशत (विनिर्माणक-अधिकतम 6.25 लाख एवं सेवा-अधिकतम 2.50 लाख), व श्रेणी-बी व बी+ हेतु 20 प्रतिशत (विनिर्माणक-अधिकतम 5 लाख एवं सेवा-अधिकतम 2 लाख), श्रेणी-सी व डी हेतु 15 प्रतिशत (विनिर्माणक-अधिकतम 3.75 लाख एवं सेवा-अधिकतम 1.50 लाख) सब्सिडी का प्राविधान है। श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।</p>	<p>आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये, राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।</p> <p>योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही एप्ल, आर्किड, पशुपालन एवं एग्री बेर्सड पर भी वित्त पोषण की सुविधा अनुमन्य है।</p> <p>आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफल्टर नहीं होना चाहिये।</p> <p>आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाता धारक होना चाहिये।</p>	<p>योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल <a href="http://www.msy.uk.gov.in">www.msy.uk.gov.in</a> के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत नई परियोजनायें एवं छोटे स्तर पर कार्य कर रहे उद्यमों को उच्चीकरण करने हेतु भी वित्तीय सहायता अनुमन्य की जा सकती है।</p> <p><u>आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज</u></p> <p>आवेदक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), प्रोजक्ट रिपोर्ट, शपथ-पत्र, शिक्षा का प्रमाण-पत्र, बैंक डिटेल कॉपी, दिव्यांग प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) एवं राशन कार्ड कॉपी। (समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपलोड किया जायेगा) योजनान्तर्गत स्थापित परियोजना 2 वर्ष के निरन्तर सफल संचालित करने के पश्चात् ही निर्धारित उपादान अनुमन्य होगा।</p>
2.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम	<p>ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के छोटे उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मजबूत बनाने हेतु अति सूक्ष्म उद्यमों/व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु अधिकतम ₹० 50 हजार तक बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण दिया जाता है।</p> <p>स्थापित उद्यमों को बढ़ाने के लिये भी यह वित्तीय सहायता उपलब्ध है। श्रेणी-ए के जनपदों हेतु 35 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी- अधिकतम ₹० 17500/- एवं 40 प्रतिशत -विशेष श्रेणी-अधिकतम ₹०</p>	<p>आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, आवेदक राज्य का स्थाई/मूल निवासी होना चाहिये।</p> <p>आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाता धारक होना</p>	<p>आवेदन एवं चयन प्रक्रिया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुसार होगी परंतु योजनान्तर्गत स्थापित परियोजना 01 वर्ष के निरन्तर संचालन के उपरान्त ही निर्धारित देय उपादान अनुमन्य हो सकेगा।</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		20,000/-) व श्रेणी-बी व बी+ हेतु 30 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी-अधिकतम रु0 15000/- एवं 35 प्रतिशत-विशेष श्रेणी-अधिकतम रु0 17500/-), श्रेणी-सी व डी हेतु 25 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी-अधिकतम रु0 12500/- एवं 30 प्रतिशत -विशेष श्रेणी-अधिकतम रु0 15000/-) सब्सिडी दी जाती है। श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।	चाहिये। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।	
3.	स्टार्टअप नीति-2023	<p>मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स या छात्र उद्यमियों के स्टार्टअप्स को रु. 15,000 प्रतिमाह का, एक वर्ष तक मासिक भत्ता तथा महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप्स को रु. 20,000 प्रतिमाह का, मासिक भत्ता दिया जाता है।</p> <p>मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को रु. 10 लाख तक की एक मुश्त सीड फण्डिंग। महिला/अनुसूचितजाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप्स को रु. 12.50 लाख तक की सीड फण्डिंग सहायता।</p> <p>पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट रु. 01 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए रु. 05 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता। ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन दाखिल करने पर रु. 10 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। एमएसएमई नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन, यथा: विशेष पूँजी उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति सहायता। प्री-इन्क्यूबेशन सपोर्ट, इन्क्यूबेशन सपोर्ट के लिए एक मुश्त निशुल्क सहायता। नए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए रु. 01 करोड़ तक तथा विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए रु. 50 लाख तक का पूँजीगत उपादान। वैंचर फण्ड की स्थापना के लिए रु. 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।</p>	<p>राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकि तंत्र के विकास, विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे के निर्माण और इन्क्यूबेशन परामर्शी नेटवर्क की स्थापना, पूँजी तथा बाजार तक पहुंच को बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति-2023 प्रख्यापित की गई है। नीति में स्टार्ट-अप की परिभाषा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्ट-अप परिभाषा के अनुसार रखी गयी है। अनुलग्नक-2 पर संलग्न है। नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होकर पांच वर्ष या नई नीति लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, प्रभावी रहेगी। इस नीति के प्रयोजन के लिए किसी इकाई को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, एलएलपी अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। नई स्टार्टअप नीति के तहत पांच वर्षों में 1000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेशन सेंटर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना लक्ष्य है।</p>	<p>योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाइन पोर्टल <a href="http://www.startuputtarakhand.com">www.startuputtarakhand.com</a> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है तथा ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेजों का विवरण <a href="https://www.startuputtarakhand.com/attachments/164006819441.pdf">https://www.startuputtarakhand.com/attachments/164006819441.pdf</a> पर उपलब्ध है।</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023	<p>उत्तराखण्ड को वैशिक स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, विशेषकर स्टार्टअप्स, रथानीय क्षेत्रों पर आधारित उत्पाद, नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा तथा प्रदूषण मुक्त उद्योगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है।</p> <p>विनिर्माणक क्षेत्र में अनुमन्य क्रियाकलाप/गतिविधियों के लिये नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायताओं का विवरण अनुलग्नक-3 पर संलग्न है एवं वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए क्षेत्रों का वर्गीकरण अनुलग्नक 4 पर संलग्न है।</p>	कोई भी व्यक्ति, जो राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करके इनवेस्ट करना चाहता है, पात्र होंगे।	<p>योजना में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लाभार्थ निवेशकों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित पोर्टल पर <a href="http://www.investuttarakhand.gov.in">www.investuttarakhand.gov.in</a> में ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण निम्नवत लिंक के मैनुअल में उपलब्ध है।</p> <p><a href="https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/uploads/User_Manual_Registration.pdf">https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/uploads/User_Manual_Registration.pdf</a> तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों को गठित जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति/राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।</p>
5.	मेगा इंडस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट पॉलिसी-2021	<p>अचल पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण:</p> <p><b>लार्ज प्रोजेक्ट्स-</b> रु. 50 करोड़ से रु. 75 करोड़ तक।</p> <p><b>मेगा प्रोजेक्ट्स-</b> रु. 75 करोड़ से अधिक एवं रु. 200 करोड़ तक। <b>अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स-</b> प्लान्ट व मशीनरी में रु. 200 करोड़ से अधिक एवं रु. 400 करोड़ तक। <b>सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स-</b> प्लान्ट व मशीनरी में रु. 400 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश।</p> <p><b>वित्तीय प्रोत्साहन:</b></p> <p>सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की प्रचलित दरों में छूट/रियायत (केवल विनिर्माणक उद्योगों को) :- लार्ज प्रोजेक्ट्स- 15 प्रतिशत। मेगा प्रोजेक्ट्स- 25 प्रतिशत। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स- 30 प्रतिशत। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स- 30 प्रतिशत।</p> <p><b>ब्याज उपादान :</b> 5 वर्ष तक बैंक से लिये गये सावधि ऋण के ब्याज पर प्रतिपूर्ति सहायता:-</p> <p>लार्ज प्रोजेक्ट्स- 7 प्रतिशत, अधिकतम रु. 25 लाख प्रतिवर्ष। मेगा प्रोजेक्ट्स- 7 प्रतिशत, अधिकतम रु. 35.00 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स- 7 प्रतिशत,</p>	कोई भी व्यक्ति, जो राज्य में 'मेगा इंडस्ट्री एवं इनवेस्टमेंट पॉलिसी' के तहत इनवेस्टमेंट करना चाहता है, पात्र होंगे।	<p>नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लाभार्थ निवेशकों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित पोर्टल पर <a href="http://www.investuttarakhand.gov.in">www.investuttarakhand.gov.in</a> में ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण तथा किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, का विवरण भी वेबसाइट में उपलब्ध है।</p> <p>पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण तथा किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, का विवरण भी वेबसाइट में उपलब्ध है।</p>

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		<p>अधिकतम रु. 50.00 लाख प्रतिवर्ष। सुपर अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स— 7 प्रतिशत, अधिकतम रु. 75.00 लाख प्रतिवर्ष। एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु): स्वनिर्मित माल/वस्तु के बीटूसी विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के बाद 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति:- लार्ज प्रोजेक्ट्स— 30 प्रतिशत। मेंगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स— 50 प्रतिशत।</p> <p>विद्युत बिल में प्रतिपूर्ति सहायता (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु): उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रु. 1.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता:- लार्ज प्रोजेक्ट्स— रु. 50 लाख प्रतिवर्ष। मेंगा प्रोजेक्ट्स— रु. 75 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स— रु. 1 करोड़ प्रतिवर्ष। सुपर अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स— रु. 1 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष।</p> <p>इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति: शत—प्रतिशत प्रतिपूर्ति।</p> <p>स्टॉम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति: भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टॉम्प शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।</p> <p>भूमि क्रय विलेख पत्र/लीज डीड के निबन्धन के पंजीकरण शुल्क पर प्रति रु. 1000 पर रु. 999 की दर से प्रतिपूर्ति।</p> <p>ई०टी०पी० पर उपादान: ETP संयंत्र की स्थापना हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 50.00 लाख का पूंजीगत उपादान।</p> <p>बृहत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु Payroll assistance: Payroll assistance सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेंगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। निर्दिष्ट सीमा से अधिक अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रु. 500/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पै-रॉल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर रु. 700/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।</p>		

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
6.	उत्तरा खण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार	उत्तराखण्ड राज्य के 25 शिल्पियों को प्रतिवर्ष "उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार" से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में चयनित उत्कृष्ट शिल्पी को एक लाख रुपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी कोई भी सिद्धहस्तशिल्पी, जिसकी आयु 45 वर्ष से कम न हो तथा जो असाधारण स्तर या विशिष्ट शिल्प कला में पारंगत हो और जिसने परम्परागत शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो। राष्ट्रीय/राज्य स्तर से पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को प्राथमिकता। शिल्पी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने में योगदान दिया हो। शिल्पी द्वारा तैयार कलाकृतियों की गुणवत्ता/ उत्कृष्टता के आधार पर। शिल्प क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष कार्य किया हो। कोई भी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ सहकारी संस्था /संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।	आवेदन पत्र, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है तथा वेबसाइट <a href="https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/acts/act_english1541412900.pdf">https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/acts/act_english1541412900.pdf</a> के लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा विभागीय वेबसाइट <a href="https://doiuk.org/mysite/home">https://doiuk.org/mysite/home</a> पर भी देखा जा सकता है। आवेदन प्रारूप के साथ आधार कार्ड, जन्मप्रमाण पत्र/जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, गुरु/शिक्षक का संक्षिप्त व्यौरा, जिसने शिल्प सिखाया हो, शैक्षणिक/वोकेशनल योग्यता, संबंधी प्रमाण पत्र यदि कोई हो, शिल्प में योगदान का विवरण, शिल्प निर्मित उत्पादों को खरीदने का प्रमाण पत्र, युवा शिल्पियों को प्रशिक्षित करने का विवरण, मुख्य प्रदर्शनियों का विवरण, जिनमें प्रतिभाग किया हो, औसतन प्रतिमाह आय का विवरण आदि उपलब्ध कराना होगा तथा शिल्पी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों को किसी संग्रहालय, मन्दिरों, कला समीक्षकों द्वारा क्रय किया गया हो। (क्रय के विवरण सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न करने होंगे)। उसके उपरांत आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में जमा करना पड़ता है। चयन प्रक्रिया—ऐसे उत्कृष्ट शिल्पियों का आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति की

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				संस्तुति के उपरान्त प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति को भेजे जाते हैं। तत्पश्चात् राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त संस्तुतियों/आवेदनों पर विचार कर शिल्प रत्न पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।
7.	उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिये पुरस्कार योजना	<p>पुरस्कार का स्वरूप:</p> <p>1-राज्य स्तरीय पुरस्कार</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हस्तकला क्षेत्र के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार ₹0 15000/-, द्वितीय पुरस्कार ₹0 10000/- एवं तृतीय पुरस्कार ₹0 7000/- दिया जाता है।</li> <li>हथकरघा(सूती एवं ऊनी वस्त्र) क्षेत्र के उत्कृष्ट बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार ₹0 15000/-, द्वितीय पुरस्कार ₹0 10000/- एवं तृतीय पुरस्कार ₹0 7000/- दिया जाता है।</li> </ul> <p>2-जनपद स्तरीय पुरस्कार</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हस्तकला क्षेत्र के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार ₹0 6000/- द्वितीय पुरस्कार ₹0 4000/- दिया जाता है।</li> <li>हथकरघा(सूती एवं ऊनी वस्त्र) क्षेत्र के उत्कृष्ट बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार ₹0 6000/- द्वितीय पुरस्कार ₹0 4000/- दिया जाता है।</li> </ul>	<p>बुनकर/हस्तशिल्पी अथवा उसका उद्योग, जो उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा)/(हस्तशिल्प), भारत सरकार के अधीन हथकरघा बुनकर/हस्तशिल्पी के रूप में पंजीकृत हो। उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत हस्तकला/हथकरघा के निजी दस्तकार तथा सहकारी समितियां तथा पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं के हस्तशिल्पी एवं बुनकर पुरस्कार हेतु पात्र होंगे। बुनकर/हस्तशिल्पी, जिसकी सहकारी समिति /संस्था किसी भी प्रकार के विभागीय /बैंक ऋण के डिफाल्टर न हों, पात्र होंगे।</p> <p>एक बार पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी/बुनकर की प्रविष्टि को क्रमागत आगामी तीन वर्षों तक पुनः पुरस्कार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।</p>	<p>आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट <a href="https://doiuk.org">https://doiuk.org</a> से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, अन्य हस्तशिल्पी/बुनकर संबंधी दस्तावेज़/ फोटो/प्रमाण पत्र निर्धारित प्रार्थना पत्र पर निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र तीन प्रतियों में निर्धारित रूप पत्र के साथ ₹0 50/- का डिमाण्ट ड्राफ्ट महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पक्ष में देय होगा।</p> <p>चयन प्रक्रिया— जिला स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के माध्यम से पुरस्कारों का चयन किया जाता है।</p>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8.	हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना	चयनित महिला कर्मकारों को हथकरघा/पेंटलूम/फेमलूम एवं अन्य उपकरणों आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकतम कुल ₹0 25000/- का 90 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा तथा अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।	ऐसी महिला कर्मकार, जिनका पैतृक व्यवसाय बुनकरी/ कताई-बुनाई है। ऐसी महिला कर्मकार, जिन्हें हथकरघा क्षेत्र का अनुभव है, परन्तु करघा न होने की स्थिति में बुनाई कार्य सम्पादित नहीं कर पा रही है, को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। भारत सरकार/राज्य सरकार से पंजीकृत महिला कर्मकार।	आवेदन पत्र, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट <a href="https://doiuk.org">https://doiuk.org</a> से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, यदि भारत/ राज्य सरकार में पंजीकृत हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, अन्य हस्तशिल्पी/बुनकर संबंधी दस्तावेज/फाटो/प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। चयन प्रक्रिया—महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद स्तर पर पात्र महिला कर्मकारों का मानकों के अनुसार चयन कर सूची सहित विवरण अनुमोदन हेतु उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा, उसके उपरांत 90 प्रतिशत धनराशि महिला कर्मकारों के खाते में भेजी जाती है।
9.	शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के ऐसे शिल्पी, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें ₹0 400/- का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।	शिल्पी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से सम्बन्धित होना चाहिये। यदि किसी शिल्पी का पुत्र अथवा पौत्र 20 या उससे अधिक आयु का है, किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो अभ्यर्थी शिल्पी पेंशन हेतु पात्र होगा। राज्य के ऐसे शिल्पी, जो परम्परागत रूप से विभिन्न हस्तशिल्पियों यथा पत्थर, लकड़ी, ताप्र, लोहा, ऐंपण, रिंगाल, बांस एवं प्राकृतिक रेशे से	आवेदन पत्र, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट <a href="https://doiuk.org">https://doiuk.org</a> से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, वृद्धा वस्था पेंशन प्राप्त करने संबंधी प्रमाण, बीपीएल प्रमाण पत्र, जन्मतिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र/आधार, परिवार परिभाषित करने हेतु परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शिल्पकार होने संबंधी प्रमाणपत्र, सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक,

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			उत्पाद विकास आदि एवं जिन शिल्पों को शासन द्वारा समय-समय पर अनुमोदन किया जायेगा, उन शिल्पों में कार्य कर रहे शिल्पी योजना के पात्र होंगे।	जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे। चयन प्रक्रिया— महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र शिल्पियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर पेशन हेतु चयनित किया जाता है। चयन के उपरांत, अतिरिक्त प्रोत्साहन पेशन का भुगतान त्रैमासिक रूप से बैंक/डाकघर खाते में किया जाता है।
10.	थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु)	<p>प्रशिक्षण प्रोत्साहन :— थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं द्वारा सम्पादित किये जा रहे प्रचलित शिल्पों के साथ-साथ बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो माह की होगी, जो एक माह में अधिकतम 25 दिन स्वीकार्य होंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिदिन 5 घण्टे के अनुसार कुल प्रशिक्षण अवधि 250 घण्टे होगी।</p> <p>विपणन प्रोत्साहन—जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले परम्परागत मेलों, प्रदर्शनियों एवं जिला हथकरघा प्रदर्शनियों में प्राथमिकता पर प्रतिभाग के अवसर प्रदान किया जाता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से समय-समय पर राज्य/देश में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम/प्रदर्शनियों/भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में शिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाते हैं। उक्त प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को आने-जाने का न्यूनतम किराया, उत्पादों को लाने एवं ले जाने हेतु अधिकतम रु0 1000/- माल भाड़ा प्रति शिल्पी एवं स्टॉल किराया भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।</p>	राज्य में शिल्प क्षेत्र में कार्य करने वाली थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिला शिल्पी प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु पात्र होंगी।	<p>आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट <a href="https://doiuk.org">https://doiuk.org</a> से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, शिल्पकार होने संबंधी प्रमाण, एवं प्रार्थना पत्र जिसमें प्रशिक्षण लेने अथवा मेलों में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया हो, अथवा उद्योग कार्यालय में पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे।</p> <p>चयन प्रक्रिया—महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त पात्र शिल्पियों के चयन हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। उक्त के उपरान्त संबंधित महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु एवं मेलों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाता है।</p>

\*\*\*\*\*

### श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण

1	श्रेणी 'ए'	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र</li> </ul>
2	श्रेणी 'बी'	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र</li> <li>जिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी 'बी +' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)</li> <li>जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी 'बी +' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)</li> </ul>
3	श्रेणी 'बी +'	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड़ा विकास खंड के कोटद्वार, सिगड़ी और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र</li> <li>जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकास खंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र</li> <li>जिला नैनीताल का कोटबाग विकास खंड</li> <li>जिला देहरादून के कालसी विकास खंड के मैदानी क्षेत्र</li> </ul>
4	श्रेणी 'सी'	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकास खंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र</li> <li>जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड</li> </ul>
5	श्रेणी 'डी'	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र</li> <li>जिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'बी', 'बी +' और 'सी' श्रेणी में शामिल नहीं हैं)</li> </ul>

### स्टार्टअप की परिभाषा

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को "स्टार्टअप" माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:-\_ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में हो:

- विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं संचालन की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए; और
- निगमन / पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ है; और
- किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और
- इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या यदि यह रोजगार सृजन या धनोत्सर्जन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल हो; या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टअप के मानदंडों के अनुसार

## वित्तीय प्रोत्साहन सहायता-

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने एवं अन्य प्रदेशों के सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करेगी:-

**1.** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सहायता – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म उद्यमों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु सहायता दी जायेगी। इसके लिये उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा सलाहकारों (**Consultants**) का मनोनयन (**Empanelment**) किया जायेगा। राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्यमों द्वारा मनोनीत सलाहकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर, शुल्क के रूप में होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बंधित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त, दावा प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

**2.** स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति: ए, बी, सी व डी श्रेणी के जनपदों/क्षेत्रों में चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की निम्नवत प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर देय होगी—

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति प्रतिशत
श्रेणी –ए	100 प्रतिशत
श्रेणी– बी	100 प्रतिशत
श्रेणी– सी	75 प्रतिशत
श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

**3.** पूंजीगत उपादान: प्रदेश में स्थापित होने वाले, चिन्हित श्रेणी के, नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को, उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर, निम्नानुसार पूंजीगत उपादान सहायता देय होगी:-

इकाई श्रेणी ►	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	
जनपद/क्षेत्र श्रेणी ↓	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में रु. 01 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में रु. 01 करोड़ से अधिक, रु. 05 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में रु. 10 करोड़ से अधिक, रु. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	
श्रेणी–ए	स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 50 लाख)	रु. 50 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.50 करोड़)	रु. 1.50 करोड़ + रु. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2.50 करोड़)	रु. 2.50 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 3.75 प्रतिशत (अधिकतम रु. 04 करोड़)

	श्रेणी-बी	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रु. 40 लाख)	रु. 40 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.20 करोड़)	रु. 1.20 करोड़ + रु. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 16 प्रतिशत (अधिकतम रु. 02 करोड़)	रु. 02 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 03 करोड़)
	श्रेणी-सी	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख)	रु. 30 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 12.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 80 लाख)	रु. 80 लाख + रु. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 08 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.20 करोड़)	रु. 1.20 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 02 प्रतिशत (अधिकतम रु. 02 करोड़)
	श्रेणी-डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 20 लाख)	रु. 20 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 60 लाख)	रु. 60 लाख + रु. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 06 प्रतिशत (अधिकतम रु. 90 लाख)	रु. 90 लाख + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.50 करोड़)
<ul style="list-style-type: none"> <li>इस नीति के अंतर्गत "प्राथमिकता श्रेणी" के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की राज्य में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम, सूक्ष्म उद्यम— रु0 5 लाख, लघु उद्यम— रु0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम— रु0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।</li> <li>इस नीति के अंतर्गत "अति-प्राथमिकता श्रेणी" के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की श्रेणी-ए अथवा बी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 10 प्रतिशत (अधिकतम, सूक्ष्म उद्यम— रु0 10 लाख, लघु उद्यम— रु0 15 लाख तथा मध्यम उद्यम— रु0 20 लाख) तथा श्रेणी-सी व डी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम, सूक्ष्म उद्यम— रु0 5 लाख, लघु उद्यम— रु0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम— रु0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।</li> <li>इस नीति के अंतर्गत चिन्हित श्रेणी के नयी एंकर (<b>Anchor</b>) इकाई एवं न्यूनतम 7 सहायक (<b>Ancillary</b>) इकाईयों की राज्य में स्थापना पर एंकर इकाई तथा सभी नयी सहायक इकाईयों (यदि वे चिन्हित उद्यम श्रेणी में सम्मिलित हैं) को 5 प्रतिशत (अधिकतम, सूक्ष्म उद्यम— रु0 5 लाख, लघु उद्यम— रु0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम— रु0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।</li> <li>इस नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयों को 5 प्रतिशत (अधिकतम, सूक्ष्म उद्यम— रु0 5 लाख, लघु उद्यम— रु0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम— रु0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।</li> <li>किसी भी उद्यम द्वारा, इस नीति के अंतर्गत वर्णित विशिष्ट श्रेणी में से, एक श्रेणी का ही लाभ लिया जा सकेगा।</li> <li>पूंजीगत उपादान सहायता की गणना हेतु स्थायी पूंजी निवेश के लिए कार्यशाला भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी में कुल पूंजी निवेश को आंगणन में लिया</li> </ul>					

जायेगा, परन्तु इकाई की पात्रता श्रेणी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) का निर्धारण मात्र संयंत्र एवं मशीनरी में कुल स्थायी पूँजी निवेश के आधार पर किया जायेगा। स्थायी पूँजी निवेश के रूप में “भूमि एवं भूमि विकास” में किये गये निवेश को पूँजी उपादान के लिये आंगणन में नहीं लिया जायेगा।

- विनिर्माणक क्षेत्र के ऐसे सूक्ष्म उद्यम, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएमएफएमई (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) अथवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है, को सर्वप्रथम इन योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। यदि ये इकाईयां एमएसएमई नीति-2023 की अनुमन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, तो बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजना के कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर मद के लिए स्वीकृत/संवितरित बैंक ऋण पर अनुमन्य मार्जिन मनी (अनुदान) को, एमएसएमई नीति-2023 में अनुमन्य कुल पूँजीगत उपादान में से घटाकर अवशेष धनराशि टॉप-अप सहायता के रूप में दी जायेगी।
- यदि भारत सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिये कोई नयी नीति जारी की जाती है तो, उक्त नीति में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/उपादान को एमएसएमई नीति-2023 में देय वित्तीय प्रोत्साहन से समायोजित किया जायेगा।
- पूँजीगत उपादान सहायता का संवितरण –
- सूक्ष्म उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादान प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 2 वर्षों में, 2 समान किश्तों में।
- लघु एवं मध्यम उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादान प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 5 वर्षों में, 5 समान किश्तों में।

- 2.** ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति – प्रदेश में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में स्थायी पूँजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि.ऋण (Term Loan) पर निम्नवत् ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगी–

जनपद/क्षेत्र श्रेणी	ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा/सीमा		
	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
ए	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
बी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
सी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
डी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 2 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

- 3.** विद्युत ड्यूटी पर छूट – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 500 किवाट हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट दी जायेगी।

- 4.** गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेंट/क्वालिटीमार्किंग/ड्रेडमार्क/कॉपीराइट/एफ.एस.ए.आई.